महानगर नई दिल्ली रविवार 1 मार्च, 2020, रु. 5.00 (14+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

दिल्ली पुलिस : कोई खबर?

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे के ये दो चेहरे हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इनमें से एक (बाएं) आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, जिनके कारखाने की छत से विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ मिले थे, जबकि (दाएं) शाहरुख ने पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी। -दिल्ली दंगे से संबंधित खबरें पेज 3 व 4 पर

दोहा में तालिबान के साथ शांति समझौते पर दस्तखत

अफगानिस्तान से 14 माह में लौटेंगे अमेरिकी सैनिक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

बातचीत के लंबे दौर के बाद अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच शनिवार को शांति समझौते पर दस्तखत किए गए। कतर की राजधानी दोहा में हुए इस समझौते के घोषणापत्र के मुताबिक, तालिबान अगर समझौते का पालन करता है तो अमेरिका और इसके सहयोगी 14 महीने के भीतर अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेंगे।

शुरुआती 135 दिनों के भीतर आरंभिक तौर पर अमेरिका और इसके सहयोगी अपने 8,600 सैनिकों को वापस बुला लेंगे। तालिबान ने अलकायदा समेत किसी भी आतंकवादी संगठन को अपने यहां पनाह नहीं देने का वादा किया है। अब अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर आगे की वार्ता चलेगी। यह अफगान शांति वार्ता 10 मार्च से ओस्लो में शुरू होगी।

यह समझौता कतर के दोहा में हुआ। इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए दुनिया भर के 30 देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया जिसमें भारत भी शामिल है। समझौते पर दस्तखत के दौरान मौजूद रहे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि बाकी पेज 8 पर

दोहा में शनिवार को शांति समझौते के लिए जाते हुए अमेरिकी दूत खलीलजाद

अगर तालिबान और अफगानिस्तान सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाती है तो हम अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे और अपने सैनिकों को घर वापस ला पाएंगे।
– डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए बाहर से प्रायोजित आतंकवाद के खात्मे की जरूरत है। भारत सरकार अफगान नेतृत्व और अफगान नियंत्रण वाली स्थायी एवं समावेशी शांति तथा मेलमिलाप का समर्थन करती है।
– हर्षवर्धन शृंगला, विदेश सचिव

शांति-वार्ता के पड़ाव

सितंबर 2018 : चुनाव में किया गया वादा पूरा करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान-अमेरिकी राजनयिक जल्मए खलीलजाद को तालिबान से वार्ताकार नियुक्त किया।

2018-19 : जल्मए ने कई वार्ताएं की। कतर में अधिकांश बैठकें। तालिबान ने काबुल में सत्तारूढ़ सरकार से बातचीत से इनकार किया।

9 सितंबर, 2019 : तालिबान ने हमले बढ़ाए। काबुल पर बमबारी में एक अमेरिकी सैनिक के मारे जाने के बाद ट्रंप ने वार्ता रोक दी।

28 सितंबर, 2019 : अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव पर नतीजों का एलान महीनों रोका गया।

24 नवंबर, 2019 : ट्रंप का अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों का दौरा और एलान किया कि तालिबान बातचीत चाहता है। संकेत दिया कि कतर वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है।

15 फरवरी, 2020 : अमेरिका ने कहा कि दोनों पक्ष हिंसा में कमी पर सहमत।

18 फरवरी, 2020 : अफगानी चुनाव आयोग ने गनी को आधिकारिक विजेता घोषित किया।

नागरिकता का आवेदन करने वाले विदेशियों के लिए पासपोर्ट जरूरी नहीं : हाई कोर्ट

कोलकाता, 29 फरवरी (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विदेशी नागरिक अपने मूल देश से वैध पासपोर्ट नहीं होने के संबंध में उचित कारण दे सके तो उसके लिए भारतीय नागरिकता का आवेदन करते समय अपने मूल देश का पासपोर्ट देना अनिवार्य नहीं हो सकता है।न्यायमूर्ति सव्यसाची भट्टाचार्य ने याचिकाकर्ता को नागरिकता नियम 2009 के नियम 11 में अपेक्षित अधिकारी के समक्ष आवेदन करने की अनुमति देते हुए उसकी याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि वह पासपोर्ट अनुपलब्धता से संबंधित सवाल का जवाब संबंधित अधिकारी से मांगे।

अदालत ने कहा कि नागरिकता आवेदन के फॉर्म 'ककक' के खंड नौ में आवेदक के लिए पासपोर्ट को जरूरी बताते हुए कहा गया है कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में वैध विदेशी पासपोर्ट भी होना चाहिए। अदालत ने कहा कि नियम कहता है कि 'जब तक आवेदन फॉर्म में नहीं किया जाए तब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसे प्रावधान पासपोर्ट की उपलब्धता को अनिवार्य नहीं बनाते।' अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता पासपोर्ट नहीं होने की स्थिति में इसका वाजिब कारण बताता है तो ऐसे मामलों में ऐसी आवश्यकता में ढील होनी चाहिए। जब तक ऐसे आवेदकों को थोड़ी छूट नहीं दी जाएगी तब तक भारत में लंबे समय से रह रहे ईमानदार व्यक्ति भी देश की अर्थव्यवस्था और विविध संस्कृति में योगदान करने के बावजूद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से वंचित रहेंगे।

सबका भला व न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी : मोदी

प्रयागराज, 29 फरवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सभी का भला और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और यही 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का आधार है। उन्होंने यहां सामाजिक अधिकारिता शिविर में कहा कि पहले की सरकारों में दिव्यांगों को बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन राजग सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों की समस्याओं पर पूरा ध्यान दे रही है।

यहां परेड ग्राउंड में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण बांटने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आपकी एक-एक समस्या के बारे में सोचा और उसे दूर करने का प्रयास किया। पहले की सरकारों के समय इस तरह के महाशिविर गिनती के लगे थे। उन्होंने कहा कि बाकी पेज 8 पर

हमारी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर सैकड़ों सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया। इसी तरह 700 से अधिक रेलवे स्टेशन और हवाईअड्डे दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाए जा चुके हैं।
–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रयागराज में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

'बुंदेलखंड के जनजीवन को बदल देगा एक्सप्रेसवे'

चित्रकूट (उप्र) 29 फरवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेसवे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि करीब 15 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ए एक्सप्रेसवे यहां रोजगार के कई अवसर लाएगा और यहां के सामान्य जन को बड़े-बड़े शहरों जैसी सुविधा से जोड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चित्रकूट में करीब 15 हजार करोड़ बाकी पेज 8 पर

'सावधानी बरतनी चाहिए थी आदेश जारी करते समय'

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने कहा है कि सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस मुरलीधर को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में तबादला करने का 'आधी रात' को आदेश जारी करते हुए 'थोड़ी सावधानी' बरतनी चाहिए थी।

केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय ने 26 फरवरी को तबादले का आदेश जारी किया। उसी दिन न्यायमूर्ति मुरलीधर की अध्यक्षता वाले पीठ ने कथित घृणा भाषण देने के लिए तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। सरकार ने कहा कि तबादले का किसी मामले से कुछ लेना-देना नहीं है क्योंकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहले ही सिफारिश कर दी थी और न्यायाधीश ने भी अपनी सहमति दी थी। न्यायमूर्ति बाकी पेज 8 पर

न्यायाधीश मुरलीधर का तबादला

न्यायाधीश बालकृष्णन ने कहा, इस तरह से की गई कार्यवाही का लोग कुछ और मतलब निकाल सकते हैं।

रविवारी
1 मार्च, 2020

अंतरिक्ष की पुकार

पहली बार वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से ऐसे रेडियो संकेत सुने, जो बार-बार आ रहे थे। इस घटना ने आकाशवाणी के मिथ और रहस्य के प्रति उत्सुकता जगाई है। इस बारे में बता रहे हैं प्रमोद भार्गव।

• **कविता**/ सुदर्शन वशिष्ठ • **कहानी**/ दिनेश चमोला 'शैलेश' • **विमर्श**/ राजीव रंजन गिरि • **योग-दर्शन**/ डॉ. वरुण वीर • **शख्सियत**/ रवीन्द्र केलकर • **दाना-पानी**/ मानस मनोहर • **सेहत**/ पूनम मिश्रा

जरूरी है बच्चों के लिए डिटॉक्स
• दीप्ति अंगरीश
• **कविता**/ नरेंद्र सिंह 'नीहार'
• **कहानी**/ मोनिका अग्रवाल

माधुरी कानितकर बनीं थलसेना की पहली लेफ्टिनेंट जनरल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

मेजर जनरल माधुरी कानितकर ने शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल पद संभाल लिया। थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली वे पहली महिला अधिकारी हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल कानितकर ने नई दिल्ली में डिप्टी चीफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (डीसीआइडीएस), मेडिकल (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तहत) का कार्यभार संभाला। एक दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने माधुरी को पदोन्नति देने को मंजूरी दी थी।

तीन स्टार जनरल रैंक तक पहुंचकर सैन्य बलों में यह कीर्तिमान स्थापित करने वाली वे देश की तीसरी महिला हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला नौसेना की वाइस एडमिरल डॉ. पुनीता अरोड़ा थीं। इसके बाद वायुसेना की महिला एअर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय को इस पद पर पदोन्नत किया बाकी पेज 8 पर

झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच राष्ट्रपति ने कहा

समाज पर जबरदस्ती अपने विचार थोपना एक तरह की विकृति

बिशुनपुर, 29 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को यहां कहा कि समाज पर जबरदस्ती अपने विचारों को थोपना एक प्रकार की विकृति है, जबकि भ्रातृत्व भाव पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है।

राष्ट्रपति कोविंद ने गुमला के बिशुनपुर गांव में यहां पद्मश्री से सम्मानित अशोक भगत की संस्था विकास भारती में आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में कभी-कभी इस प्रकार की विकृतियां पैदा होती हैं कि जबरदस्ती अपने विचार को थोपने की बात सामने आती है। अपनी बात को गलत समझते हुए भी यह कहना कि यही सही है और अपनी ही बात को सही मानना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि गांधी जी कहा करते थे कि अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो उस बात को अपना लीजिए और फिर यह कहिए कि यह मैंने कही है, यह मत कहिए कि यह गांधी जी ने कहा है, क्योंकि वह बात आपकी हो गई। वह आपके आचरण में आ गया। अगर इस प्रकार हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो ही उचित होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रातृत्व भाव ही पूरे देश को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य होने के नाते हमें बाकी पेज 8 पर

राष्ट्रपति ने कहा, गांधी जी कहा करते थे, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो उस बात को अपना लीजिए और फिर यह कहिए कि यह मैंने कही है, यह मत कहिए कि यह गांधी जी ने कहा है, क्योंकि वह बात आपकी हो गई। वह आपके आचरण में आ गया।

दरअसल

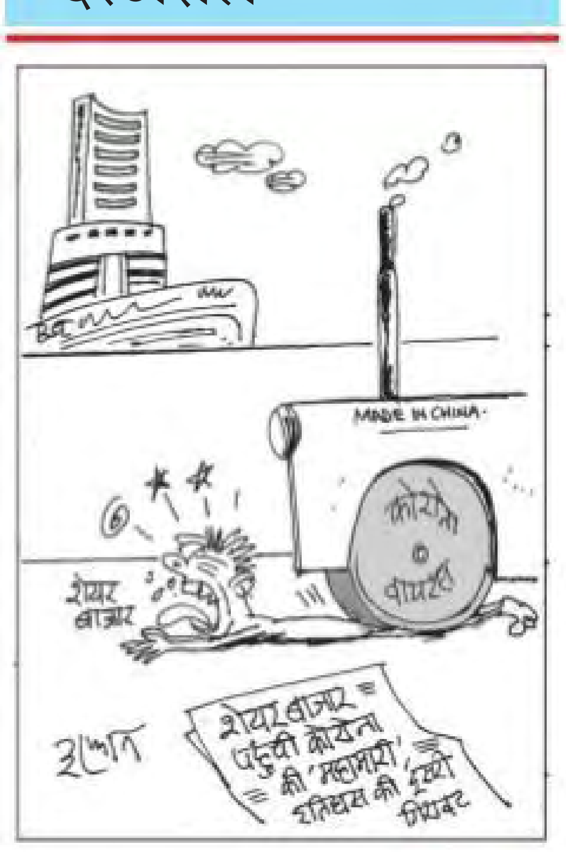

कोरोना का खौफ

हजारों लोग पिछले महीने चीनी नववर्ष की छुट्टियां मनाने आए थे | एक हजार चीनी नागरिकों ने वीजा बढ़ाने की अर्जी दी

इंडोनेशिया घूमने आए चीनियों ने लौटने से की तौबा

देन्पसार (इंडोनेशिया), 29 फरवरी (एएफपी)।

इंडोनेशिया के मशहूर पर्यटक द्वीप बाली में छुट्टियां मनाने गए चीन के सैकड़ों पर्यटक स्वदेश लौटने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें चीन से फैले जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण का भय है।

दुनियाभर में पैर पसार रही इस महामारी के मद्देनजर इंडोनेशिया ने इस महीने चीन से आने और वहां जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। चीन के मुख्य भूभाग में कोविड-19 (कोरोना) बीमारी से हजारों लोगों की मौत और सभी शहरों के बंद होने के बाद बाली में आव्रजन अधिकारियों ने बताया कि करीब एक हजार चीनी नागरिकों ने आपात स्थिति में वीजा की अवधि बढ़ाए जाने का आवेदन दिया है।

चीन के एक बड़े शहर में एक यूरोपीय कंपनी में प्रबंधक स्टीव ली ने बाली की राजधानी देन्पसार के एक मॉल में कहा, 'मैं एक अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी हूं। चीन एक बड़े जेल की तरह है, सभी शहर बंद हैं।' ली ने कहा कि उन्हें चीन के इस आश्वासन पर भरोसा नहीं है कि देश महामारी पर नियंत्रण पा रहा है।

बाली में हर साल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के बाद सबसे अधिक चीनी पर्यटक आते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में लाखों डॉलर का योगदान देते हैं। चीन से हजारों लोग पिछले महीने चंद्र नववर्ष की छुट्टियां मनाने बाली आए थे लेकिन वे अभी लौटना नहीं चाहते हैं। बेजिंग के जिलोंग वांग ने बताया कि वह लौटने की योजना टाल रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनकी सरकार ने संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या कम बताई है।

30 वर्षीय वांग ने कहा, 'इसके बजाय मैं बाली में रहूंगा और स्थिति पर नजर रखूंगा।' चीन के पूर्व झेजियांग प्रांत की रियल एस्टेट एजेंट हीथर वांग जनवरी से बाली में हैं और उनकी स्वदेश लौटने की बाकी पेज 8 पर

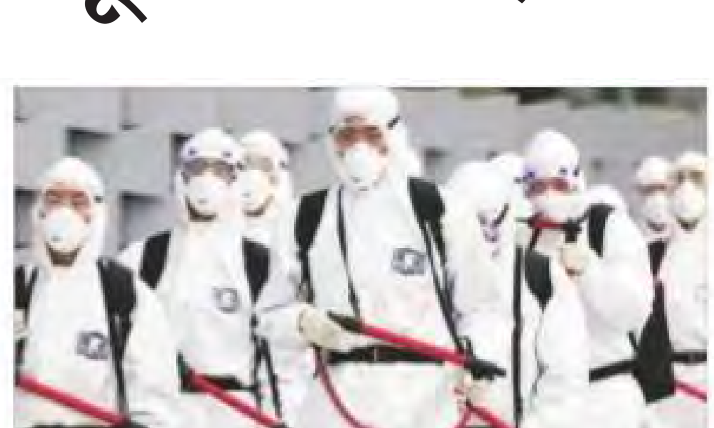

कोरोना से बचाव के लिए छिड़काव करने जाते दक्षिण कोरियाई सैनिक।

वुहान से लाए गए 112 लोगों की जांच नकारात्मक पाई गई

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

चीन के वुहान से निकाले जाने के बाद आइटीपीबी पृथक केंद्र में रखे गए सभी 112 लोगों की कोरोना वायरस के लिए जांच रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Sarneet Kour Lamba W/O Harmeet Singh Mago R/O-107-Z A-Block,Jahangirpuri,Delhi-110033.Changed My Name To Sarneet Kaur. 0040534087-2

I,Sanjive Singh Punyani S/o.Ranjit Singh R/o-118 GF, Navjiwan-Vihar,Near Malviya Nagar,New Delhi-110017, inform that Sanjive Singh Punyani,and Sanjive Punyani is Same and one person 0040534010-2

I,Sahil S/O Raghib Alam R/o RZ-42A,Gali No.14 Tughalkabad Extn, Alaknanda New Delhi-110019 have changed my name Sahil to Sahil Raza for all future purposes. 0040534008-1

I,Rupika Singh W/O.Sanjive Singh Punyani R/O-118,GF, Navjiwan-Vihar Near Malviya Nagar,New Delhi-110017,have changed my name to Rupika Singh,Rupika Singh and Rupika Chhabra Same,and one Person 0040534010-1

I,Prem kumari W/o Sh.Babu Lal R/o-H.No1473,Sector-21D Faridabad-121001,is also known as Prem Raghav,that Prem kumari and,Prem Raghav both Names are of one and,the same person 0040533994-1

I,Mohammad Anas Ansari,S/o Wajida Tabassum Ansari R/o-House.No.FC-9,1st-Floor, Shaheen-Bagh,District South-East,Jamia-Nagar, New.Delhi-110025,have changed my name,from Mohammad Anas Ansari to Anas Ansari,for all purposes. 0040534049-9

I,Lichhama Devi,W/O Rajesh Mahnot,R/O 2352 first-floor,Gali Kakwan Basti Punjabian Subzi Mandi,Delhi-110007,have changed my name to Laxmi Devi Mahnot. 0040534079-8

I,Kuldeep,S/O-Salender Kumar,DOB-18/05/1996,R/O-273,Village-Ramgarh Jind,Haryana.Correspondence address B270,Sector-7, Naharpur,Rohini,Delhi.I state Kuldeep and Kuldeep Singh are same person and has changed my name to Kuldeep,for all purposes. 0040534087-1

I,Jay Shree,W/o Pawan Bhatia,R/o-H-83,Ashok Vihar Phase-1 Delhi-110052,have changed name Jay Shree Bhatia. 0040534079-9

I, Ikram alias Md. Ikram S/O Irsad,R/O N_118/436,WazirPur Village,Ashok-Vihar,Phase-1,Delhi-110052,have changed my name to Mohammad Ikram. 0040534079-7

I, Swapnil Awasthi W/O Mayank Pandey, R/O-G-1403,Jmaroma,Sector-75, Noida,Gautam-Budh-Nagar, U.P.201301.Changed My Name To Swastika Pandey 0040534079-3

I, Suraj.N S/o. Nagarajan Thangavel R/o. EA-1/22, First Floor, Inderpuri, New Delhi-110012. have Changed my Name and Shall hereafter be known as Suraj Nagarajan for all Purposes. 0040534045-1

I,Tarsem Lal Banga S/o Lt. Banta Ram,R/o-Flat.No.81-D,Block-AC,Shalimar Bagh,Delhi-88,that my correct name is Tarsem Lal Banga in place of Tarsem Lal. 0040534087-8

I, Sunil Verma H.No.168 Noharia Bazaar Wno-D6, Sirsa Haryana,Have Change Surname To Sunil Soni, For All, 0040534049-8

I, Shekh Abdulla,S/o Munawwar Ali R/o-House.No.J-3/21-22, Top-Floor, Khirki-Extention,Malviya-Nagar,New-Delhi-17.have changed my name to Shekh Abdullah,for all purposes. 0040534057-7

I, Shahil Khan S/o Mohd Faruq R/o J.3/109J3 Extn laxmi Nagar Delhi changed my name from Shahil to Sahil For all Purposes. 0040534004-1

I, Santosh W/o Hemant Gusaiwal R/o-100-A, DDA-LIG Flat,Rohtak Road,Madhuban-Enclave, Paschim-Vihar, Punjabi Bagh,Delhi-110063 have changed my name to Santosh Gusaiwal. 0040534057-3

I, SEP Shyamu S/o Raja Ram Army No. 14843715F, 56 APO Inform that in my service record name of my wife is wrongly mentioned as Shailawti Devi DOB 26/02/1986 whereas her correct name is Shailwati & DOB is 04/02/1985 as per the affidavit No. 15AE666139 dated 28/02/2020 before notary. 0060073262-2

I, Ritu Kumari Aggarwal W/o Rohit Bansal R/o-I-4/97, Sector-16,Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Ritu Bansal for all purposes. 0040534049-7

I Randheer Singh S/o Sujan Singh R/o-9/2489 Gali-18A, Kailash Nagar, Gandhi-Nagar, Delhi-110031have changed my name Randhir Singh 0040534057-9

I Neelam Kashyap W/O Balbir Singh H.No-11,Block-B, Rishi Nagar Amar Colony Nangloi Delhi-11041,have changed my name to Neelam Devi. 0040534049-6

I, Priti Sharma W/o Vinay Sharma R/o-A-162, Harinagar-Clock Tower,N.Delhi-110064.have changed my name to Pallavi Sharma, permanently. 0040534057-1

I, Navpreet Singh Sachdeva S/o Shri Jaspal Singh R/o House No-2 Road No-69, First Floor West Punjabi Bagh Delhi-110026 have changed my name to Navpreet Singh for all Purposes. 0040534036-1

I, NITA PURI,W/o Sh.Kewal Krishan Babbar R/o-29, Qutub-View-Apartment,Katwaria-Sarai,Delhi,have changed my name,from NITA PURI to NITA PURI BABBAR,for all future purposes. 0040534057-10

I, Muskan Verma D/O Seema Soni R/O-134 Wno-D6 Noharia Bazaar Sirsa Have Change Surname To Muskan Soni,For All 0040534049-1

I, Mohan Lal S/O-Shobha Ram R/O-D-219 Jaitpur-Extn.Part-1,Badarpur,Delhi-110044,Have Changed My Name To Mohan Lal Maurya,For All Future Purpose. 0040534057-6

I, Mohammad Savir S/o Nadar Khan R/o-Village & Post-Maujepur,Thana & Tehsil-Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar-Pradesh-205262,have changed my name from Mohammad Savir to Mohd Sabir,for all purposes. 0040534057-5

I, Meenu Bala W/o Sanjeev R/o-A-105 Asha-Park,Hari-Nagar,Tilak-Nagar ND-18,Have Changed My Name To Meenu,For All Purposes. 0040534049-2

I, Khooshbu,D/o Ikramuddin R/o-T-15,Dildar-Nagar, Basti-Hazrat-Nizamuddin,Delhi-110013,inform that name of mine has been wrongly-written as Khusbu in my O.B.C.Certificate.That actual name of mine is Khooshbu. 0040534049-3

I, Kailash s/o Satpal Gupta R/o-b-107, jalvayu-Vihar,sector-30,Gurgaon have changed my name to Kailash Gupta. 0040534079-2

I, Jeetendra Kumar S/o-Jagatram R/o-122,Gwar, P.O.Khirsu, Patti-Chalan Shyun,Pouri-Garhwal, Uttarakhand-246147.have changed my name to Jeetendra Kumar Khirswal. 0040534079-1

I, Jamil Khan S/o-Munshi Abdullah R/o-Muhalla Azim-Pura Delhi-Gate Malerkotla, Sangrur Punjab-148023.have changed my name to Mohammed Jamil. 0040534079-5

I, Himanshu,S/o-Anil Kumar Sharma R/o-K-329,Kangra-Niketan,VikasPuri,New-Delhi-110018.have changed my name to Himanshu Sharma, for all future purposes. 0040534079-6

I, Hemant S/o Ganpat Lal R/o-100-A, DDA-LIG Flat,Rohtak-Road,Madhuban Enclave, Paschim-Vihar,Punjabi-Bagh, Delhi-110063.have changed my name to Hemant Gusaiwal. 0040534057-2

I, Gurpreet Singh S/o Jeet Singh R/o-F-44, Sudershan-Park,Motinagar, N.Delhi-15.have changed my minor son's name Jaskaran to Jaskaran Singh. 0040534057-4

I, Farhin Tabassum Ansari,D/o Wajida Tabassum Ansari R/o-House.No.FC-9,1st-Floor,Shaheen-Bagh,District South-East,Jamia-Nagar,New-Delhi-110025,have changed my name,from Farhin Tabassum Ansari to Farheen,for all purposes. 0040534049-10

I, Deepak Singh S/o Sh. G.P. Singh R/o GP-59, Maurya Enclave, Pitampura,Delhi-110034 have changed the name of minor Daughter from Kashvi to Kashvi Singh for all purposes. 0040534016-1

I, DHRUV MATHUR s/o S.B.MATHUR r/o 36-B, Greenview Apartment, Sector-15A, NOIDA-201301, GB Nagar, UP have changed my name as DRUVA MAATHUR. 0040534009-1

I, Anannya Chaturvedi D/o Ravi Kant Chaturvedi R/o-C-236 Millennium-Apartments Sector-18 Rohini,Delhi-110089.changed my name to Ananya Chaturvedi. 0040534057-8

I Shakuntla Devi W/o Sh. Ram Kishor R/o H-227, Shakurpur JJ Colony, Delhi – 110034 declare that my name is wrongly mentioned as Shanti Devi in my LIC Policy No. 12129177 my actual name is Shakuntla Devi which to be amended accordingly. 0040534007-1

I, Jaspal Singh Sachdeva S/o Shri Sunder Singh R/o House No-2 Road No-69, First Floor West Punjabi Bagh Delhi-110026 have changed my name to Jaspal Singh for all Purposes. 0040534036-2

I, Ruksar W/o Shabab Khan R/o-RZ-A-23 STREET.NO-14 Sita-Puri Part-1,Palam New-Delhi-110045.have changed my name to Rukhsar Khan. 0040534079-4

I Hitherto known as Ram Pyari Devi alias Ram Pyari W/o-Vishundev Das,R/o-A/306 Shastri-Mohalla, Patparganj, Delhi-110091,have changed my name&shall hereafter be known as Prem Pyari. 0040534049-4

I Hariom S/o Sh.Bhopal Giri R/o F-5/177-78, Sultanpuri,Nithari, North West Delhi,Delhi-110086 have changed my name to Hariom Laksh Giri for all purposes. 0040533997-2

I Sarveshwari W/o, Suresh Singh R/o H.No.230/18 B Gali No.5 Railway Colony Mandawali East Delhi New Delhi-110092 have changed my name to Sweta Devi 0040534059-1

I Indu Sharma D/o Late Sh.Narain Dass Chopra W/o Late Sh. Charanjeet Lal Sharma R/o Flat No. 120-A,Ground Floor,DDA Janta Flat,Block-BC,East Shalimar Bagh, Delhi-110088 inform that my & my husband name wrongly written as Indira Sharma & Charanjeet Lal in my GPA, Agreement to Sell Papers & cash receipt of abovesaid property. My & my husband correct name is Indu Sharma & Charanjeet Lal Sharma which may be amended accordingly. 0040533997-4

I Devesh Gupta S/o Sh. R.C.Gupta R/o L-265/1, 1st Floor,Shastri Nagar, Delhi-110052 have changed the name of my minor son from Subhakar Gupta alias Subhankar Gupta to Shubh Gupta for all purposes. 0040533997-1

I Balbir Kashyap S/O Jitu Ram,H.No-11, Block-B,Rishi Nagar,Amar Colony Nangloi Delhi-11041,have changed my name to Balbir Singh 0040534049-5

I Aditya Kumar S/o Sh. Binod Kumar R/o Flat No. S1-706, Saraswati Tower, Sector-D-6,Vasant Kunj, New Delhi-110070,Also at Bidisha,North Hill View, P.S. Asansol, Bardhaman, West Bengal-713304 have changed my name to Aditya Sharma for all purposes. 0040533997-3

I, Pradip Kumar Singh S/o Vijay Bahadur Singh R/o Sandhy Home for Senior Citizen Netaji Nagar New Delhi-110023 changed my name to Pradeep Kumar Singh. 0040533743-2

खोया+पाया

मेरा दसवीं पास सीबीएसई बोर्ड दिल्ली का वास्तविक मार्कशीट जिसका रोल नंबर 8141507 (वर्ष 2012) रोहिणी दिल्ली में खो गया है। मुकुल दहिया पुत्र श्री यशपाल सिंह निवासी जी 2-93, सेक्टर 16, रोहिणी दिल्ली 110089

My original-qualifying marksheet of secondary-examination-2015 Roll.No.8197940 issue by CBSE has been lost.Finder contact:Rajat Solanki S/o-Raj Karan Solanki R/o-WZ-13, Asalatpur, Janakpuri, N.Delhi-58. 0040534087-5

I,Nandini Sarma & Chandrani Sarma,Both D/o.Sujaya Charan Sarma R/o-B-41,DG(s),CGHS Dwarka Sector-22,N.D-77,have lost Original Allotment-Letter,& Original Handing Over &,Taking Over Document pertaining to our mentioned Flat Finder-Kindly cont-9868249212 0040533999-1

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main secondary examination of year-2019 and roll no.-8250908 issued by CBSE has been actually lost. Iamis Zehra s/o Raza Abbas r/o T399, near Vashist Temple, Ahata Kidara, Delhi-110006 0040534002-1

It is notified for the information that,my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main-Secondary Examination of,Year-2013.Roll.No.-9747019,issued by.CBSE has been actually lost.Himanshi Gautam R/o-H.No-77/26 MES-Colony Pinto-Park,Delhi-Cantt,New-Delhi-110010.Mobile.No.9625263911. 0040534087-6

My Original allotment letter, Possession letter and Lease Deed of L-124, Sector-11, Noida, U.P. hasbeen Lost. If anybody found Please contact Sushma Yadav on above address. 0040534021-1

I Veena Rani W/o Sh.Trilok Singh R/o A-3/138, Paschim Vihar,New Delhi-110063 have lost my original Mutation Letter,Possession Letter etc.of my property bearing No. A-4/56, Paschim Vihar, New Delhi-110063. Finders may contact at above residential address or mobile No. 9810302010. 0040533997-5

LOST & FOUND

Loss of my ORIGINAL One office file while travelling from our office Akiko Sherman Infotech 16 New Rohtak Road. New Delhi 110005 to our CA office at Jhandewalan Extension by walk our office staff Mr. Naresh Grover have lost One Original file containing income tax/service tax documents some where Idgah.

Call : 9810068474

संपत्ति

Freehold land 39*80' Agra 500 m from Taj main gate @4cr.#. 6398391587. 0050163189-1

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Gulbir Singh Lamba S/O. Late Sardar Avtar Singh Lamba R/O. A-4/20, Ground Floor, Paschim Vihar, New Delhi- 63 have Debarred and disowned his son Taran Preet Singh Lamba from his immoveable & movable properties due to his disobedience and my client have also severed his all relation with him. If anybody deals with him, he/She will do so at his own risks cost and consequences. My client and other family members shall not be responsible in any manner for the same.

Sd/-
HARSH PRIYA SINGH (Advocate)
Ch. No. 120-A, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री जितेन्द्र नाथ पाठक व उनकी पत्नी श्रीमति आशा पाठक पता-4-ए, जनता फ्लैट रामपुरा दिल्ली-35 ने अपने पुत्र अंकुश पाठक व उसकी पत्नी पूजा पाठक के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें व उनकी संतान को अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल करके उससे अपने सभी पारिवारिक, सामाजिक सम्बंध विच्छेद कर लिए है। भविष्य में वह अपने सभी कृत्यो का स्वयं उत्तरदायी होगा।

एम.एम. बेग (अधिवक्ता)
सीट नं. 123, सैन्ट्रल हाल,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that Mrs. Suraj Mukhi acquired the property i.e Residential Plot No. 29, measuring 100 sq. yds., Khasra No. 66, Shani, Ghaziabad, and Original GPA dated 08.04.1997 favour of Mr. Nand Kishore and Sale Deed dated 16.10.2009 by Mrs. Basanti Devi in favour of Mrs. Maya Devi in respect of the said property vide Document No. 7478 are lost in original and Mrs. Suraj Mukhi is the undisputed owner of said property till date. OR Any person / firm / Institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

Ajay Kumar Giri - Advocate
H.No. 28/161, Basement, Vikram Vihar, Lajpat Nagar 4, New Delhi 110024

PUBLIC NOTICE

General Public hereby informed that my Client Sh. Rajender Prasad S/o. Late. Jagdish Prasad, R/o. WZ-662 Badiyal, Palam, Village New Delhi-110045 is disowning and disinheriting his son namely Shanky Bhardwaj as he wishes to marry against the wishes of the family and also against the norms of the community, he has become disobedient, wayward and out of control. That his wayward and unacceptable behaviour is not acceptable to the family members as well as to my client therefore, he is being disinherited from inheriting my movable and immovable property with immediate effect. Anyone dealing with them in any manner shall do so at his/her own risk. My Client will not be responsible for any act/ promises or he may commit with any person in future.

Sd/-
VINCENT LAKRA (ADVOCATE)
Ch. No. 512, Dwarka Court, New Delhi-7

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मुवक्किल श्री देवी शंकर मिश्रा पुत्र श्री हरि प्रसाद मिश्रा निवासी बी-14/7, डी.एल.एफ., अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश एक सम्पत्ति फ्लैट नं. एस.एफ.-2, दूसरा तल, बैक साईड एम.आई.जी. छत के अधिकार सहित, प्लॉट नं. ए-8/19ए, डी.एल.एफ. अंकुर विहार, गांव लोनी, गाजियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश श्रीमान जयन्त बन्सल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी मकान नं. 3, 30 फुटा रोड, ब्लॉक-बी, मुकुन्द विहार, नजदीक पी.एन.बी बैंक, करावल नगर, उत्तर-पूर्वी दिल्ली- 110094 (कानूनी मालिक) से वैध प्रतिफल देकर खरीदना चाहता है। कोई भी व्यक्ति इत्यादी, जोकि उपरोक्त सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार, हित, ब्याज, शीर्षक, ऋण, शुल्क, दावा, किसी भी प्रकृति का प्रभार, जो भी उसके पास मौजूद सम्पत्ति या उसके किसी भी हिस्से से संबंध में अपने दस्तावेजीय साक्ष्य के साथ अपनी आपत्तियों को नीचे दिये गये पते पर इस नोटिस के प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर भेज सकता है, नहीं तो यह माना जायेगा कि उक्त सम्पत्ति सम्पूर्ण रूप से ऐसे सभी दावों, ब्याज, शुल्क, ऋण आदि से मुक्त है।

Sd./-
(F.C. Rajput)
Advocate
Enrl. No. D-138/1998, Ch.No. 292, WESTERN WING, TIS HAZARI COURTS. DELHI-110054

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public at large that my client Smt. Ishu Kaily, Sh. Naveen Sharma and Sh. Sumit Sharma all are D&S/o Late Moti Lal Sharma are the Title Holder(s) in possession of Flat No. 119, Dhruva Apartments Plot No. 4, I.P. Extension, Delhi-110092 hereinafter referred to as 'Schedule Property' vide Conveyance Deed dated 06-Jul-2017 duly registered as Regn. No. 5229 Book No. 1, Vol. No. 6751 pages from 95 to 97 dated 06/07/2017 in the Office of the Sub Registrar-VIII, VikasSadan, New Delhi. That the Title Holder(s) are desirous to sell the Schedule Property in favour of Sh.Narender Kumar Vasudeva That the Original of Share Certificate, Allotment Letter and Possession Letter all issued by Dhruva Co-operative Group Housing Society Ltd. in favour of Sh. M.L. Sharma/ Smt. Kamal Sharma w.r.t. the Schedule Property have been lost/ misplaced. In lieu of which Information Report (NCR) dated 24/05/2017 with Delhi Police bearing LR No. 821053/2017 has also been filed. Therefore, any Person(s), Company(ies), Authority(ies), Society(ies), Organization(s), Financial Institution(s), Bank(s) etc., having any knowledge of the above mentioned lost documents or having any claim, right, title, interest or possession of the Schedule Property, by way of Ownership, Succession, Inheritance, Sale, Mortgage, Exchange, Charge, Lien, Gift, Trust, Encumbrance etc. may come forward supported with documents to be delivered to the undersigned within 15 days from the date of this Publication, post expiration of which, any claim(s) or objection(s), if raised, shall be treated as null and void and shall be treated as waived, and the Title Holder(s) shall proceed to complete the transaction of sale of the Schedule Property as intended.

Aarti Tyagi - Advocate
Lawyer's bar room No.2
Western Wing Tis Hazari
Mob-8377096729

PUBLIC NOTICE

FLAT NO.202, SECOND FLOOR WITHOUT ROOF RIGHT, PART OF BUILT UP PROPERTY BEARING PLOT NO.19, ROAD NO.41, MEASURING 1200 SQ. FTS, GOENKA APARTMENT, PUNJABI BAGH (WEST) NEW DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India.** The captioned property at present is mortgage with SASM II, SBI, Delhi. An **Agreement to Sell dated 20.02.2020** executed by M/s. BTM Corp Ltd through its signatory Sh. Sanjeev Tekriwal in favour of Sh. Manoj Wadhwa & Smt. Sangeeta Rani.

It is hereby notified that **except the above mentioned bank**, any person or entity, firm / company, Bank, financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents / court judgment or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 15 days from the day of publication, failing which the title / Sale Deed / executed in favor of **Shri Manoj Wadhwa & Smt. Sangeeta Rani** or in joint name with her nominees shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company / financial institution / Bank.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile - 9687898197, Email : nr2alma@gmail.com

PUBLIC NOTICE

V-257, Rajouri Garden, New Delhi-110063

The Public at large is informed that my client **Mr. SIDDHARTH PARUTHI ("Purchaser")** has entered into an agreement to purchase from **Dr. ARUN LAKHANPAL ("Seller")** in respect of Entire Freehold Built-up Property No. V-257, Rajouri Garden, New Delhi-110027, measuring 100 Square Yards **("Said Property")**. Any person(s)/entity/firm/company having any claim or claims on the Said Property by way of ownership, tenancy, licence, sale, mortgage, exchange, charge, lease, lien, inheritance, maintenance, possession, gift, trust, Govt. Duties, levies, encumbrances, disputes, court injunction, litigation, attachment or the decree of any court, acquisition, easement or otherwise are requested to inform the undersigned in writing along with supporting documentary evidence to the undersigned within 10 days of publication of this notice. Any claim received after the aforesaid period shall be deemed to have been waived or abandoned and the sale will be completed without taking any reference to such claim or claims.

Rajesh Gandhi (Advocate)
D/2593/2011
E-996 C.R. Park, N. Delhi-19
+91-9868106823

बलात्कार के बाद नाबालिग को जलाया, आरोपी फरार

हैदराबाद, 29 फरवरी (भाषा)।

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में प्रेम प्रस्ताव देकर बार-बार परेशान करने व आपत्ति जताने पर एक युवक ने नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद उसे आग लगा कर जला दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। लड़की 50 फीसद तक जल चुकी है और वारंगल के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है।

लोगों ने 21 वर्षीय आरोपी को लड़की को परेशान करने से कई बार मना किया था। आरोपी शुक्रवार रात में पीड़िता के घर पहुंचा और उसे जबरदस्ती बाहर झाड़ियों में ले गया, जहां बलात्कार करने के बाद आग लगा दी। घटना के समय लड़की घर पर अकेली थी।

मप्र में मिलेगा मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण : कराड़ा

शाजापुर (मप्र), 29 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा मुसलमानों को शिक्षा में पांच फीसद आरक्षण देने के लिए कानून बनाने के आश्वासन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को इससे भी बेहतर रियायत दिए जाने का दावा किया है।

शाजापुर से 53 किलोमीटर दूर आगर मालवा में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजंडा तैयारी में है और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़ कर रियायत मिलने वाला है। आपको यह महसूस होगा। महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने

> *आगर मालवा* में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजंडा तैयारी में है

हाल ही में कहा था कि एमवीए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा में मुसलमानों को पांच फीसद आरक्षण देने वाला कानून जल्द पारित हो, इसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री कराड़ा ने यह बात कही।

मध्य प्रदेश सरकार क्या मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था करने जा रही है, इस पर कराड़ा ने कहा कि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि वह घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, पर निश्चित तौर पर एक अच्छा 'लिबरल मैसेज' मिलेगा।

सार्वजनिक स्थान पर धरने की अनुमति वाली याचिका खारिज की

जबलपुर, 29 फरवरी (भाषा)।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली मुसलिम संगठन की याचिका खारिज कर दी है।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश विशाल घगट की एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

> *इंडियन* मुसलिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान ने याचिका दायर कर सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी

इंडियन मुसलिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि वह सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और न्यायालय द्वारा इसके लिए उन्हें अनुमति दी जाए। इससे पहले उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की अनुमति के लिए आधारताल इलाके के एसडीएम के समक्ष आवेदन दिया था। एसडीएम ने संबंधित थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें अनुमति प्रदान करने से इंकार कर दिया था। जिला कलेक्टर और संभागायुक्त से भी इसकी अनुमति नहीं मिलने के बाद खान ने अदालत में इसके लिए याचिका दायर की।

एकलपीठ ने शुक्रवार को जारी फैसले में याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता को पब्लिक प्लेस में धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में न्यायालय हस्ताक्षेप नहीं करेगा और जिला कलेक्टर को किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जाएगें।

गबन मामले में जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष और सदस्य की संपत्ति कुर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

ईडी ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) की निधि के कथित गबन से संबंधित धन शोधन मामले में 2.6 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक, जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष अहमद मिर्जा और उसकी वित्त समिति के सदस्य मीर मंसूर गजनफर के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की। अब्दुल्ला पांच अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में हैं और उन पर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) की धाराएं लगाई गई हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क संपत्ति मिर्जा संस के नाम से लाजपत नगर, नई दिल्ली की जेएंडके बैंक की 1.29 करोड़ रुपए की तीन सावधि जमा हैं।' मिर्जा संस मिर्जा और उनके पिता की भागीदारी वाली कंपनी है।

बयान में कहा गया है कि पंडेरथन में 1.31 करोड़ रुपए की वाणिज्यिक शॉपिंग कांप्लेक्स और इमारत वाली 11 कनाल भूमि को भी कुर्क किया गया है। ईडी का मामला सीबीआइ की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसके तौर पर जांच एजंसी ने जेकेसीए के महासचिव मोहम्मद सलीम खान और मिर्जा समेत पूर्व पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया।

सीबीआइ ने बाद में फारूक अब्दुल्ला, खान, मिर्जा, मीर मंजूर गजनफर अली, बशीर अहमद मिसगर और गुलजार अहमद बेग (जेकेसीए के पूर्व लेखाकार) के खिलाफ जेकेसीए की 43.69 करोड़ रुपए की निधि की अनियमितता के लिए एक आरोप-पत्र दायर किया। यह निधि 2002-2011 के बीच राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की ओर से दी गई थी।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि वित्त वर्ष 2005-2006 से 2011-2012 के दौरान जेकेसीए को तीन अलग-अलग बैंक खातों में बीसीसीआइ से 94.06 करोड़ रुपए मिले।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल राजेंद्र सिंह पुत्र श्री राम सुन्दर और उनकी पत्नी राजबाला निवासी म.न. 123, ग्राम सभा, पूठ कलां, दिल्ली 110086 ने अपने पुत्र अनिल बंसल उम्र 30 साल और उसकी पत्नी मीनाक्षी सोनी को उनके दुराचरण, अवज्ञा और दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है व उनसे अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं व उनके किसी भी कृत्य के लिए मेरे मुवक्किल उत्तरदायी नहीं होंगे।

विष्णु दत्त शर्मा (अधिवक्ता)
चै. नं. 718, द्वितीय तल, वैस्टर्न विंग
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

PUBLIC NOTICE

That my clients Ashok Kumar Gupta S/o. Late Sh. Om Prakash Gupta and Rama Gupta W/o. Sh. Ashok Kumar Gupta both R/o. 30, Rishi Nagar, Rani Bagh, Shakurbasti, Delhi -110034, have disowned /debarred their son namely Suraj Gupta and his wife namely Namita Gupta 30, Rishi Nagar, Rani Bagh, Shakurbasti, Delhi -110034 from all the movable and immovable properties also severed all relations with them because they are not in control of my clients. If anybody deal with them, my clients shall not be responsible in any manner

MUKESH CHAUHAN-ADVOCATE
CH. NO. K-101B, Near Gate No.2, TIS HAZARI COURT, DELHI-54

PUBLIC NOTICE

My client Smt. Rajni W/o Late Sh. Sri Gopal R/o H.no. 391, 1st & 2nd Floor, PKT- A-2, Sector-8, Rohini, Delhi have cut off her family relations and have disowned her son Sh. Ashish Kaushik from her movable/ immovable properties due to his quarrelsome/ disobedient nature toward my client. My client shall not be responsible for any acts & deeds of Sh. Ashish Kaushik in any manner in future.

Sd/-
(ANIL DAGAR)
ADVOCATE
CHAMBER NO. 915, LAWYER'S CHAMBER BLOCK, ROHINI COURT, DELHI-110085

शाह ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रार्थना की

भुवनेश्वर, 29 फरवरी (भाषा)।

गृह मंत्री अमित शाह समुद्र किनारे स्थित तीर्थ नगरी पुरी पहुंचे और श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। ओड़ीशा के दो दिवसीय दौरे पर आए शाह ने कड़ी सुरक्षा के बीच 12वीं सदी में बने इस मंदिर के दर्शन किए और त्रिमूर्ति - भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लिया।

केंद्रीय मंत्रियों- धर्मेंद्र प्रधान, प्रताप सारंगी, प्रहलाद सिंह पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा के साथ गृह मंत्री सुबह में मंदिर पहुंचे। भाजपा प्रदेश इकाई के प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष समीर मोहंती भी मौजूद थे जब शाह का मंदिर के सिंह द्वार के पास स्वागत किया गया। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि मंदिर परिसर में 30 मिनट रुकने के दौरान शाह ने मंदिर के गर्भ गृह के पास दर्श किए और दीप जलाकर प्रार्थना की।

PUBLIC NOTICE

It is hereby, informed to the General Public that, **I Rashmi Agrawal** W/o **Sh. Sunil Agrawal R/o 9/4, Madhuban Apartments, Madhuban Chowk, Pitampura, Delhi-110034** have lost the Original Provisional Allotment Letter No. **JGNKM0190604 dated March 29, 2010** and all Original Payment Receipts issued by Jaiprakash Associates Limited in respect of Unit bearing No. **KM19-604 in Jaypee Kosmos projects**, situated at Japee Greens, Noida on dated **25.02.2020.** Any one finding the said documents is requested to kindly contact me at **9899967910.**

SURENDER KUMAR (Advocate)
Enrl. No D-152/88

PUBLIC NOTICE

It is for the general public information that my client, Mahesh Prakash S/o Late Ram Saran and his wife Anita both R/o 75-A, Ganesh Nagar-II, Shakarpur Extn. Delhi-110092, has debarred, disown and break down all the relationship from their son namely Ashish Gautam and his wife Smt. Reetu, from their all moveable and Immovable properties either self acquired or ancestral situated all over India due to their misconduct, disobedience and misbehavior attitude. My client will not be responsible in future for their acts which was done by him.

R.P.S. Gautam, Advocate
Ch. No. 185, Patiala House Courts, New Delhi-110001,
Mob: 9811863581

Express Classifieds

EXPRESS EDUCATION

ANTHRO
Interview Sessions
One-to-One with
Vaid Sir
On Mar 1 & Mar 12
VAID'S ICS, DELHI
Ph: 0-9311337737, 0-9999946748

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS OF **JANSATTA, NEW DELHI,** AS REQUIRED UNDER RULE 8 OF THE REGISTRATION OF NEWSPAPERS (CENTRAL) RULES,1956
FORM-IV
(SEE RULE 8)

1. Place of Publication	: The Indian Express (P) Ltd., Mezzanine floor, Express Building, 9 & 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
2. Periodicity of its publication	: Daily
3. Printer's Name	: Mr. R.C. Malhotra
Whether Citizen of India	: Yes
Address	: The Indian Express (P) Ltd., Mezzanine floor, Express Building, 9 & 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
4. Publisher's Name	: Mr. R.C. Malhotra
Whether Citizen of India	: Yes
Address	: The Indian Express (P) Ltd., Mezzanine floor, Express Building, 9 & 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
5. Editor's Name	
Executive Editor (Delhi)	: Mr. Mukesh Bhardwaj
Whether Citizen of India	: Yes
Address	: The Indian Express (P) Ltd., A-8, Sector-7, G.B.Nagar, Noida.
6. Name and address of individuals who own the Newspaper AND	: The Indian Express (P) Ltd Express Towers, 1st Floor, Nariman Point, Mumbai 400021
Shareholders holding more than one percent of the total capital	: Indian Express Holdings & Entp Private Limited Express Towers, 1st Floor, Nariman Point, Mumbai 400021
	: Mr. Viveck Goenka & Mr. Anant Goenka Express Towers, 1st Floor, Nariman Point, Mumbai-400021
	: Mr. Shekhar Gupta & Mrs. Neelam Jolly C-6/53, Safdarjung Development Area New Delhi 110 016

I, R.C. Malhotra, hereby declare that the particulars given above are true and to the best of my knowledge and belief.

Sd/-
R.C. Malhotra
Publisher

Date:1.3.2020

www.readwhere.com

दंगे के डर से घर लौट गए लोगों को वापस बुलाने की मुख्यमंत्री ने की पहल

पड़ोसी ही फोन करके बुलाएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

दंगे का दर्द सह रहे लोगों को उनके पड़ोसी ही फोन करके बुलाएं। इसके लिए दिल्ली सरकार एक बड़ी पहल शुरू करेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इससे लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा होगी और उनके अंदर का डर खत्म किया जा सकेगा।

शनिवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली के उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों की स्थिति की समीक्षा में इस बाबत आदेश जारी किए। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने क्षेत्रीय एसडीएम को कहा है कि आस पड़ोस के लोगों को कहें कि वे अपने पड़ोसियों को फोन करके कहें कि घर लौट आएं ताकि लोगों के बीच का डर समाप्त हो सकेगा। हर

परिस्थिति में सब लोग मिलकर रहेंगे। इससे लोगों के बीच सुरक्षा भाव बढ़ेगा और हालात सामान्य होंगे। उन्होंने कहा कि डर की वजह से कोई नहीं आता है तो यह चिंता की बात है। यह सही नहीं है। इससे पूर्व भी दिल्ली वाले दंगा पीड़ितों की मदद के लिए आगे बढ़कर आएं है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा सबसे पहला मकसद है कि लोगों की जिंदगी सामान्य हो। अब तक हिंसा की कोई नई वारदात नहीं आ रही है। पर इस वजह से लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं और उनका वापस लौटना जरूरी है। सभी लोगों के बीच दोस्ती व भाईचारे का रिश्ता कायम हो। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी सहायता दे सकते हैं। वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं।

इस हादसे में लोगों की मदद के लिए मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के पास अब तक 69 लोगों ने फार्म जमा किए हैं और मुआवजा मांगा है। जल्द ही घोषित मुआवजा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 4 सब डिवीजन है। इस समय 18 एसडीएम लगाए गए हैं ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें। सभी एसडीएम ने अपने क्षेत्र में जांच की है। उन्हें आदेश दिए गए हैं कि पूरे रिकार्ड तैयार करें कि घरों – दुकानों या वाहनों की कितनी आगजनी हुई है। इसकी विभिन्न स्तर के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए।

यह रिपोर्ट रविवार तक सामने आएगी। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर एसडीएम खुद घर फार्म लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि खाने व रहने की कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों के घर जले हैं वे अपने रिश्तेदारों के घरों में है। रात्रि आश्रय स्थल समुदाय केंद्र में इंतजाम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। कई जगह पर स्ट्रीट लाइट खराब होने की जानकारी मिली थी। इन्हें भी ठीक किया जा रहा है।

हिंसा फैलाने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो : मनोज तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शनिवार को मांग की कि हिंसा फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा में पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का शामिल होना और अब कांग्रेस निगम पार्षद इशरत जहां का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह इशारा कर रहा है कि 'आप' और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली में हिंसा को भड़काने का काम किया है। उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए इशरत जहां को 13 जनवरी को भी खजूरी खास इलाके से प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था लेकिन फिर भी इशरत जहां लगातार हिंसा भड़काने वाले भाषण देती रहीं।

मनोज तिवारी ने कहा कि धर्म विशेष की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी और

कांग्रेस मिलकर दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की है, जबकि हिंसा के माहौल में ये सभी राजनैतिक पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो ऐसे किसी भी बयानबाजी से बचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व 'आप' ने साबित किया है कि दिल्ली के सुरक्षा और शांति व्यवस्था उनके लिए मायने नहीं रखती है। उन्होंने बताया कि वे लगातार लोगों के संपर्क में हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

गंगा के लिए अनशनरत पद्मावती की कोई सुनने वाला नहीं : राजेंद्र सिंह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

'नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित ग्रेटा थनवर्ग और भारत की साध्वी पद्मावती के बीच में कोई असमानता नहीं है' जल पुरुष डॉ राजेंद्र सिंह ने शनिवार को दिल्ली में हुए पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों ही पर्यावरण के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। परंतु एक ओर जहां 16 वर्षीया ग्रेटा थनबर्ग को विश्व सिर आंखों पर बैठा रहा है, वहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 23 वर्षीय पद्मावती की कोई सुनने वाला नहीं है। वह 77 दिनों से गंगा और पर्यावरण की सुरक्षा की मांग को लेकर अनशनरत थीं और आज अस्पताल में जिंदगी व मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। इस बीच मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने एम्स पहुंचकर साध्वी पद्मावती से मुलाकात कर उनका हाल जाना।

राजेंद्र सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया का ध्यान पद्मावती के इस संघर्ष की तरफ दिलाना बेहद जरूरी है क्योंकि आज सारी दुनिया पर्यावरण और नदियों के प्रति बहुत सजग और संवेदनशील है। डॉ सिंह ने विश्वास जताया कि जब पूरा विश्व पद्मावती के त्याग के बारे में जानेगा तो उनके समर्थन में उठ खड़ा होगा। डॉ सिंह ने कहा कि 21वीं शताब्दी संकट भरी है, हम अपने साझे भविष्य को आज सुधारने का प्रयास शुरू करे तो हमारी नदियां और हमारे पर्यावरण को ठीक किया जा सकता है। आज इसी बात को लेकर हमारी बहनें ग्रेटा और पद्मावती उठ खड़ी हुई हैं। यह जरूरी है कि भारत सहित सारे विश्व की सरकारें इनकी बातों को सुनें और सकारात्मक होकर इनकी मांगों को पूरा करने व विश्व को बचाने में सब जुट जाएं।

साध्वी पद्मावती गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए अपनी मांग रखते हुए हरिद्वार में 77 दिनों से अनशन कर रहीं थीं।

डॉक्टरों के सम्मेलन में पर्यावरण सुधार की पहल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सामुदायिक चिकित्सा विभाग की अगुआई में देशभर से आए सामुदायिक चिकित्सकों ने शनिवार को यमुना की सफाई की। चिकित्सकों ने हरित सम्मेलन के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही एम्स में हरित सम्मेलन का आगाज किया। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने किया। सम्मेलन के जरिए डॉक्टर पर्यावरण सुधार की ओर पहल कर रहे हैं। इसलिए यहां आने वाले हर अतिथि को बस और कार से आने-जाने की सुविधा की जगह मेट्रो कार्ड दिए गए हैं और पीने के लिए तांबे के बोतलों का इंतजाम है। सामुदायिक चिकित्सा विभाग के डॉ पुनीत मिश्र और डॉ संजय राय ने जानकारी दी कि योग व पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन व दुनिया को बचाया जा सकता है। सामुदायिक स्तर पर तमाम बीमारियां पानी की गंदगी व पर्यावरणीय प्रदूषण से जुड़ी हैं। ऐसे में इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के सालाना सम्मेलन में इस बार हमने यह अनूठी पहल की है कि हम बचाव के कदम उठाकर बीमारियों के बोझ को कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सक यमुना की सफाई व दो लाख पौधारोपण भी करेंगे।

सम्मेलन से जुड़ी हर गतिविधि पर्यावरण अनुकूलन का संदेश देगी। करीब डेढ़ हजार प्रतिभागियों को सम्मेलन में आने के लिए कार या बस की बजाय मेट्रो कार्ड दिया गया है। ताकि हम रोज कम से कम 50 बसों व 100 गाड़ियों का प्रदूषण उत्पन्न होने से रोक सकें। चार दिन में डेढ़ हजार गाड़ियों का बोझ कम होगा।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदार को नीचे वर्णित मांग सूचना दिनांकों जारी किया था जिसमें निम्नानुसार उल्लेखित राशि उपरोक्तानुसार खाते के आगे वर्णित है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**
कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 उक्त नियमों के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांकों को ले लिया है।**
विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

शाखा का नाम और पता	कर्जदार/गारंटर्स का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि
भंगेल शाखा ईशान टॉवर डीएससी रोड गाँव भंगेल, नोएडा-201304, जिला गौतम बुध नगर (यू.पी.)	मैसर्स अर्नव ट्रेडिंग कं., प्रोपराईटर श्री राजेश कुमार शर्मा (गारंटर)	रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 283, प्रथम तल, सैक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू.पी.-201009 में स्थित, यह सम्पत्ति राजेश कुमार के नाम पर है।	05-11-2019 / 24-02-2020	रु. 20,17,557.56 + भविष्य का ब्याज
नोएडा मेन शाखा सैक्ट 29, ब्रह्मपुत्र कॉम्पलैक्स नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, यू.पी	श्री कृष्ण नागर और श्रीमती सीता नागर	फ्लैट नं. 2एल 404, डिलक्स् AWHO गुरजिंदर विहार, पॉकेट 05, सैक्टर-सीएसआई 1, ग्रेटर नोएडा में स्थित	22-11-2019 / 24-02-2020	रु. 19,87,219/- + भविष्य का ब्याज

दिनांक : 24.02.2020, प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करे यूजीसी : एनडीटीएफ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) के पूर्व अध्यक्ष व दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के पूर्व सदस्य डॉ. एके भागी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की मांग की है।

यूजीसी अध्यक्ष को लिखे इस पत्र में तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान करने का आग्रह किया है। डॉ. भागी ने पत्र में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में वरिष्ठ प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पद तुरंत लागू करने की बात की है। उन्होंने हजारों शिक्षकों के लंबित प्रमोशन के मामलों में यूजीसी सर्विस कंडीशन के तहत शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया विश्वविद्यालय में तुरंत शुरू करने का आग्रह भी किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्य डॉ. वी.एस नेगी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के आरक्षण के कारण बढ़ी हुई सीटों के लिए अतिरिक्त शिक्षक पद को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने का आग्रह यूजीसी के अध्यक्ष से किया है। उन्होंने इस विषय में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

प्रपत्र जी–
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण

[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	वॉल रॉक इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19.08.2014
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70109DL2014PTC270537
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय, 301, नीलकण्ठ चैम्बर-II, प्लॉट सं. V, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सैनी एन्कलेव, दिल्ली-110092
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	17.12.2019 (आईआरपी को आदेश की प्रति 07.01.2020 को उपलब्ध करायी गयी)
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	01.03.2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	vijaykumargupta.ip@gmail.com पर निवेदन भेजकर समाधान प्रोफेशन से निवेदन द्वारा उपलब्ध
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध हैं:	ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29ए एवं उसके अन्य प्रावधानों के अनुसार। आईबीबीआई की वेबसाइट https://lbbl.gov.in/legal-framework/act पर उपलब्ध
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	16.03.2020
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	26.03.2020
12.	अस्थायी सूची की आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम तिथि	31.03.2020
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	10.04.2020
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	31.03.2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन आव्यूह, सूचना ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति	सम्भावित समाधान आवेदक जो न्यूनतम पात्रता शर्तें पूरी करते हैं और जिन्हें ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29 के तहत गैर-प्रकटन अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किया है, उन्हें ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	30.04.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल हेतु समाधान योजना जमा करने की रीति	इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में vijaykumargupta.ip@gmail.com के पास।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	30.05.2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	विजय कुमार गुप्ता IBBI/IPA-001/IP-P00262/2017-18/10500
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल	विजय कुमार गुप्ता, 408, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेल : vkgupta2004@yahoo.co.in
21.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	केवीजी इन्सॉल्वेंसी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, 405, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेल : vljaykumargupta.ip@gmail.com
22.	अधिक विवरण अग्रलिखित पर या इसके साथ उपलब्ध है	अधिक विवरण के लिए vijaykumargupta.ip@gmail.com पर मेल करें।
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि	01.03.2020

विजय कुमार गुप्ता
वॉल रॉक इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P00262/2017-18/10500
तिथि : 29.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

इण्डिया एसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. isarc
[CIN: U671190MH2008PLC181062]
स्वावलम्बन भवन, सी-11, 'जी' ब्लॉक, 3रा तल बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051
टेली: 022-67531334, ई-मेल : isarc@isarc.in

परिशिष्ट IV
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1) देखें
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 18.01.2018 के माध्यम से "आईएसएआरसी एसआईडीबीआई 111/2017-18 ट्रस्ट" के ट्रस्टी की उसकी हैसियत में कार्यरत इंडिया एसएमई एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (यहां के बाद "आईएसएआरसी" वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने मूल लेण्डर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबीआई) से अधोलिखित प्रतिभूतियों के साथ प्रतिभूति ऋण अर्जित किया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "सरफैसी अधिनियम, 2002 वर्णित) की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसआईडीबीआई के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग सूचना तिथि 18.9.2013 जारी कर मै. ब्योम एण्टरप्राईजेज (यहां के बाद ऋणधारक वर्णित) तथा श्री कैलाश चन्द शर्मा, श्री शिखर शर्मा, श्रीमती सुनीता शर्मा (यहां के बाद गारंटर/मार्टगैजर वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 05.09.2013 को रु. 38,26,622.76 (रुपए अड़तीस लाख छब्बीस हजार छह सौ बाईस मात्र) के साथ उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य लागत वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आईएसएआरसी (आईएसएआरसी एसआईडीबीआई 111/2017-18 ट्रस्ट के प्रतिभूत क्रेडीटर) के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से 28 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों के साथ 5.9.2013 को रु. 38,26,622.76 (रुपए अड़तीस लाख छब्बीस हजार छह सौ बाईस तथा पैसे छिहत्तर मात्र) के लिए मै. इंडिया एसएमई एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. (आईएसएआरसी) के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 2699/1/2-6-0, बाग रिसलदार, खवेशज्ञान, खुर्जा में स्थित भूमि माप 1701 वर्ग यार्ड्स (15 बिसवा पुख्ता) का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः हॉरिजन क्वार्टर, पूर्वः रोड, पश्चिमः जीवन दास की सम्पत्ति, दक्षिणः सहादुल्लाह एवं आलमउद्दीन की फैक्ट्री। तथा उसके साथ उस पर सभी बिल्डिंग एवं संरचना, वहां की भूमि से जुड़ी स्थाई रूप से फिटिंग एवं फिक्चर।

(श्री अभय कुमार सिंह)
स्थानः खुर्जा प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 28 जनवरी, 2020 इंडिया एसएमई एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

www.readwhere.com

मौसम				
तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	27.3 डि.से.	27.3 डि.से.	27.0 डि.से.	27.5 डि.से.
न्यूनतम	16.2 डि.से.	16.2 डि.से.	16.2 डि.से.	16.2 डि.से.

अब्बू मैं स्कूल कब जाऊंगा...

दंगे से सहमे बच्चों का दर्द

मीना
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

'अब्बू मैं स्कूल कब जाऊंगा। एग्जाम हैं। अब्बू आप इतने दिनों से छुट्टी पर कैसे हो, क्या बात है आप क्लीनिक पर नहीं जा रहे हो...' ये सवाल अपने अब्बू से पांच साल के अब्दुल आहद के हैं। अब्दुल के पिता डॉक्टर शहजाद का चांद बाग में फिजियोथेरेपी का क्लीनिक है। वे बताते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरह की हिंसा की गई उसके बाद बच्चे क्या हम खुद भी बाहर निकलने में सहजता महसूस नहीं कर रहे हैं। आहद प्ले स्कूल में पढ़ता है। ऐसे हिंसा के माहौल में उसे हम बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है लेकिन इस दहशत का असर बच्चों के मन पर बहुत गहरा पड़ा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद वहां रहने वाले बच्चों के मन पर डर की गहरी छाप छूटी है। 23, 24 और 25 फरवरी को हुई हिंसा के दिन कोई बच्चा स्कूल में था तो कोई बाजार में और कोई घर पर।

> ***उत्तर*** पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद बच्चों के मन में डर
> ***पढ़ाई*** में एकाग्रता नहीं ला पा रहे बच्चे, अमन की दरकार

भीड़ डंडे लेकर आ रही थी

मौजपुर में रहने वाली नौ साल की डेजी बताती हैं कि उस दिन दोपहर को मैं अपनी मम्मी के साथ बेकरी की दुकान पर जा रही थी। तभी देखा कि सामने से एक भीड़ डंडे और गुलेल लिए आ रही है। मम्मी और मैं जल्दी से घर की तरफ भागे। मैं बहुत डर गई थी। लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे। वो सब कुछ मेरे दिमाग में बार-बार घूमता रहता है। अब बाहर जाने में भी डर लगता है। बार-बार ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग फिर से डंडे लेकर मेरी तरफ आ रहे हैं। डरी सी आवाज में डेजी बोलती हैं कि जब बाद में पुलिस आ गई तो थोड़ा सुकून मिला। नौ साल की अजरा मंसूरी अपनी अम्मी के साथ ट्यूशन से वापस आ रहीं थीं। माहौल के बारे में पूछने पर अजरा कुछ जवाब नहीं देतीं और अपनी

एक तस्वीर मायूसी की। फोटो : अरुष चोपड़ा

अम्मी से चिपक जाती हैं। अजरा की अम्मी अफरोज कहती हैं कि यहां जो हुआ उसके बाद सभी घबराए हुए हैं।

पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहे बच्चे

छठी कक्षा का छात्र अभिसार यमुना विहार में रहता है। उन्होंने बताया कि हमारा परीक्षाओं का समय चल रहा है। ऐसे में ऐसी घटनाएं दुखी करती हैं। मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। उस दिन आसमान में चारों तरफ काला धुआं था। पढ़ते समय वो शोर, धुआं सब मन में उठने लगता है। और डर लगता है। जब से हिंसा हुई है तब से बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहा हूं। तो वहीं, मो दानिश खजूरी खास के सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं। वे बताते हैं कि स्कूल तो अभी बंद हैं लेकिन चिंता इस बात की है कि जो पेपर के लिए पढ़ा था वो सब भूल भी गए और अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हिंसा की जो तस्वीरें टीवी पर देखीं उससे मन में खौफ है, और पढ़ने के लिए एकाग्रता नहीं ला पा रहा हूं। दानिश कहते हैं कि मन में बुरे ख्याल आते हैं और लगता है कि जब स्कूल जाऊंगा तो कहीं रास्ते में कोई पकड़ न ले, पता नहीं छोड़ेंगे या नहीं। अब लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगने लगा है। हम अमन और शांति चाहते हैं। न्यू जाफराबाद में रहने वाले चौदह साल के वागीश का कहना है कि हमें टीवी से पता चला कि दंगा हो गया है। उसके बाद हम सब घबराए हुए बैठे रहे और चिंता हो रही थी कि कहीं कोई हमारे भी घर पर पत्थर ना फेंक दे या जला न दे। अभी भी पूरा परिवार रात में सोते नहीं हैं। डर है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए।

गोली मारो के नारे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

दिल्ली में हुई हिंसा के बाद शनिवार को कुछ लोगों ने मेट्रो में प्रदर्शन व हंगामा करने की कोशिश की। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर एक ट्रेन में और राजीव चौक स्टेशन पर कुछ युवाओं ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में नारे लगाए। इस पर कुछ लोग इसके समर्थन में तो कुछ इसके विरोध में बोलने लगे। प्रदर्शनकारियों ने भड़काऊ नारे भी लगाए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवकों को नारेबाजी करते देख भीड़ जमा होने लगी। इस बीच सीआइएसएफ ने मौके पर पहुंच कर युवकों को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि पांच से छह व्यक्तियों ने उस समय नारेबाजी शुरू की जब ट्रेन स्टेशन पर रुकने ही वाली थी। ट्रेन से उतरने के बाद भी इन लोगों ने सीएए के समर्थन में नारे लगाए। सीआइएसएफ के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों को रोका और उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उपायुक्त (मेट्रो) विक्रम पोरवाल ने कहा कि हमने छह लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

मिश्रा का शांति मार्च

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों से पहले कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए आलोचना का सामना कर रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा और हिंसा के शिकार कुछ पीड़ितों के परिवारों ने शनिवार को कनॉट प्लेस में 'जिहादी आतंकवाद' के खिलाफ शांति मार्च निकाला। इस दौरान कुछ लोगों ने 'देश के गद्दारों को गोली मारो...' के नारे लगाए। 'दिल्ली पीस फोरम' ने मार्च का आयोजन किया था।

जंतर-मंतर से संसद मार्ग थाने तक शनिवार को निकाले गए 'शांति मार्च' के दौरान मिश्रा ने न तो नारेबाजी की और न ही सभा को संबोधित किया। जंतर-मंतर पर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों के हाथ में तिरंगा था और हवा में जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। मार्च के आयोजकों ने हिंसा के दौरान मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल और आइबी के कर्मचारी अंकित शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंसा में अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है।

जनजीवन धीरे-धीरे हो रहा सामान्य

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में शनिवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही। इन क्षेत्रों में अब जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है। सुरक्षाकर्मियों की व्यापक गश्त के बीच खुली कुछ दुकानों से किराने का सामान और दवाएं खरीदने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले।

स्थानीय निवासी इस सप्ताह की शुरुआत में इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों में पहुंचे नुकसान से धीरे-धीरे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, शिव विहार, यमुना विहार इलाकों में हिंसा में 42 लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिंसा के दौरान संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है।

हिंसा के बाद दिल्ली

उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुराने मुस्तफाबाद स्थित अस्पताल में दंगा पीड़ित लोगों को भोजन परोसता एक युवक।

एक-एक माह का वेतन देंगे प्रवेश वर्मा

नई दिल्ली। दंगों में मारे गए पुलिसकर्मी व आइबी अधिकारी को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के सांसद प्रवेश साहिब सिंह एक- एक माह का वेतन देंगे। शनिवार को सांसद ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल और आइबी ऑफिसर अंकित शर्मा शहीद हुए हैं। इनके परिवार को बतौर सांसद मिलने वाला एक - एक माह का वेतन समर्पित करता हूं। इससे पूर्व प्रवेश साहिब सिंह अपने विवादित बयानबाजी को लेकर चर्चा में थे। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंसा के संबंध में वर्मा समेत भाजपा के तीन नेताओं के कथित घृणा भाषणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पुलिस को सचेत फैसला लेने का निर्देश दिया। **(जसं)**

संस्कृतिकर्मियों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। देशभर के 445 लेखकों, कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर गहरी चिंता जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपने स्तर पर इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में इस वक्त जिस तरह सांप्रदायिक हिंसा भड़की है, उसमें जान-माल का जो नुकसान हुआ है और उससे देश की राजधानी के जो हालात बन गए हैं उससे हम लेखक स्तब्ध और चिंतित हैं। जनता ने आपको आपकी सरकार के काम के अलावा इसलिए भी चुना क्योंकि जनता शांति और अमन-चैन चाहती है। साहित्यकार व पत्रकार राकेश तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि वे दबाव डालें और अपनी ओर से भी कोई ठोस कदम उठाएं। पत्र में उम्मीद जताई गई है कि मुख्यमंत्री दिल्ली को सांप्रदायिकता और नफरत की आग में जलने से बचाने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरी शक्ति लगा कर प्रयास करेंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार को अपनी ओर से इस पूरे घटनाक्रम की जांच करानी चाहिए। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में ममता कालिया, नासिरा शर्मा, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, मदन कश्यप सहित 400 से ज्यादा लेखक, कलाकार, फिल्मकार, रंगकर्मी, संस्कृतिकर्मी और अन्य प्रबुद्ध नागरिक शामिल हैं। **(जसं)**

उत्तर पूर्व दिल्ली के स्कूल बंद, परीक्षा स्थगित

नई दिल्ली। दंगों के डर की वजह से दिल्ली सरकार ने उत्तर पूर्व दिल्ली के स्कूलों को सात मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस वजह से उत्तर पूर्व में सात मार्च तक होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। ये आदेश उत्तर पूर्व दिल्ली के सभी निजी व सरकारी स्कूलों पर लागू होंगे। आदेश अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल व परीक्षा) डॉ. सरोज सिंह ने जारी किए हैं। अब ताजा आदेशों के बाद स्कूल सात मार्च तक बंद रहेंगे और इसके बाद ही परीक्षा की तारीखें भी तय की जाएंगी। ये आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी व निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होंगे। सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों की प्रति सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक शिक्षा विभाग समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति के लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में सामने आया है कि अभी बच्चों के बीच काफी डर है। इसलिए सभी परीक्षाओं को 7 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकारा सीबीएसई से भी सिफारिश करेगी कि इस जिले में परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार करे। **(जसं)**

सतेंद्र जैन ने घायलों का लिया हालचाल

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए शनिवार को जीटीबी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल जाना और उन्हे हरसंभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि घायलों की हालत अब स्थिर है। पूर्वोत्तर दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा और यमुना विहार के इलाकों में हिंसा में 42 लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर घायल जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के बाद जैन ने कहा कि मैं यहां घायलों से मिलने आया हूं। यहां कुल 45 मरीजों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत अब स्थिर है और सरकार की घोषणा के मुताबिक उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। **(जसं)**

शवगृह के चक्कर लगा रहे परिजन

नई दिल्ली। दंगों में लापता लोगों के परिजन अपने प्रियजनों के बारे में कोई खबर नहीं मिलने से हताश हैं और उनका दुख बढ़ता जा रहा है। बेटे की तलाश कर रहे अफरोज (52) का कहना है कि वह अपने परिवार के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मदीना (48) मंगलवार से लापता अपने बेटे को ढूंढ़ रही हैं। थक-हारकर वह जीटीबी अस्पताल के शवगृह में अपने बेटे का शव ढूंढ़ने पहुंचीं। उन्होंने कहा-मैं कई पुलिस थानों में जा चुकी हूं। उसका कोई पता नहीं चल रहा है। बिजनौर के मोहम्मद कादिर भी अपने 18 साल के भाई आफताब की तलाश में बुधवार से जीटीबी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा-वह उस दिन अपने दोस्तों से मिलने गया था। उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि उनपर एक भीड़ ने हमला किया था। बाकी सब भाग गए। उसे बुरी तरह से पीटा गया। **(जसं)**

दिल्ली में शांति बहाल करना हमारी प्राथमिकता : एसएन श्रीवास्तव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

कार्यवाहक दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने शनिवार को अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद संवाददाताओं से कहा कि दंगे में प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं और आरोपियों की पहचान भी की है। कानून अपना काम करेगा।

वांछितों की गिरफ्तारियां जल्द होंगी। श्रीवास्तव 1985 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं और उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम लगाने के लिए इसी हफ्ते दिल्ली पुलिस का विशेष आयुक्त (कानून-व्यवस्था) नियुक्त किया गया था। अमूल्य पटनायक की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें प्रभार सौंपा गया था जो रविवार से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि-लोगों तक पहुंचने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है और विश्वास बहाली के लिए हर समुदाय के लोगों से मिलकर उनसे बात कर रहे हैं। हम इनमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज करेंगे। पुलिस के मुताबिक, हिंसक गतिविधियां पूरी तरह काबू में हैं। अब तक 167 प्राथमिकी दर्ज की जी चुकी हैं। और 885 लोग या तो गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए। कुछ लोग फरार हैं जिनके लिए टीमें लगाई गई हैं। आयुध अधिनियम के तहत 36 मामले दर्ज किए गए हैं।

कार चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद

नई दिल्ली। हरि नगर थाना क्षेत्र में एक शख्स की कार चोरी हो गई है। पीड़ित अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गए थे, तभी चोरों ने उनकी कार पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित रोहित सहगल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। रोहित अपने परिवार के साथ बी ब्लॉक हरि नगर जनकपुरी अपने रिश्तेदार के घर गए थे। पीड़ित ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को दे दी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर तलाश में जुटी है। **(जसं)**

ऐक्सिस बैंक — **अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है जहॉ है" और "जो कुछ भी है के आधार पर"** बेचा जाएगा **मेसर्स बालाजी ट्रैक्टर्स, द्वारा प्रोपाइटर श्री राज पुत्र श्री स्वरूप राम (ऋणी)** एवं **श्रीमती मंजू (जमानतकर्ता), श्री अमजद (जमानतकर्ता), श्री सलाउद्दीन (जमानतकर्ता)** से प्रतिभूत लेनदार की **रूपये 97,52,170.00** देय दिनांक **30.09.2015** की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 20.03.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे (निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 19.03.2020 को अपरान्ह 5:00 बजे तक)** को बेचा जायेगा। **सम्पत्ति सं0 1 की** आरक्षित मूल्य **29,07,497.00 रूपये** होगा और अग्रिम धनराशि **2,90,750.00 रूपये** होगी। **सम्पत्ति सं0 2 की** आरक्षित मूल्य **18,02,625.00 रूपये** होगा और अग्रिम धनराशि **1,80,262.50 रूपये** होगी। **सम्पत्ति सं0 3 की** आरक्षित मूल्य **20,68,700.00 रूपये** होगा और अग्रिम धनराशि **2,06,870.00 रूपये** होगी। **सम्पत्ति सं0 4 की** आरक्षित मूल्य **13,20,000.00 रूपये** होगा और अग्रिम धनराशि **1,32,000.00 रूपये** होगी। सामूहिक सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य **80,98,822.00 रूपये** होगा और अग्रिम धनराशि **8,09,882.00 रूपये** होगी।

खाता संख्या	स्थान/ अचल सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति पर बैंक की जानकारी में कोई भार
912030057679067	(1) खसरा नम्बर 1034/5 (प्लाट नम्बर 43, 44, 47 एवं 48), मौजा शेरगढ़ (विकास शील नई आबादी) कोसीकलां, तहसील छत्ता, जिला मथुरा (उ0प्र0), **मालिकाना श्रीमती मंजू पत्नी श्री राज, क्षेत्रफल-371.56 वर्ग मी0** **चौहद्दी : पूर्व** : सड़क 25 फुट, **पश्चिम**: सड़क 20 फुट, **उत्तर**: मी0 हाकिम की भूमि, **दक्षिण**: सड़क 25 फुट.	नहीं
	(2) खसरा नम्बर 210 (प्लाट नम्बर 7 एवं 12), मौजा छत्ता, सर छोटूराम कालोनी, होली वाली बगीची, पिगॉंव रोड, छत्ता, तहसील छत्ता, जिला मथुरा (उ0प्र0), **मालिकाना श्रीमती मंजू पत्नी श्री राज, क्षेत्रफल-209 वर्ग मी0** **चौहद्दी : पूर्व** : प्लाट किशन सिंह एडवोकेट, **पश्चिम**: अजय सिंह एवं अन्य की भूमि, **उत्तर**: सड़क 18 फुट, **दक्षिण**: सड़क 18 फुट.	
	(3) खसरा नम्बर 1189, मौजा कोसीकलां, तहसील छत्ता, जिला मथुरा (उ0प्र0), **मालिकाना श्री अमजद पुत्र श्री सोरू, क्षेत्रफल-209 वर्ग मी0** **चौहद्दी : पूर्व** : सड़क 12 फुट, **पश्चिम**: विक्रेता की भूमि (अकबर), **उत्तर**: विक्रेता की भूमि (अकबर), **दक्षिण**: सड़क 12 फुट,	
	(4) खसरा नम्बर 1189, मौजा कोसीकलां, तहसील छत्ता, जिला मथुरा (उ0प्र0), **मालिकाना श्री सलाउद्दीन पुत्र श्री हैदर अली, क्षेत्रफल-105 वर्ग मी0** **चौहद्दी : पूर्व** : अमजद की भूमि, **पश्चिम**: सड़क 15 फुट, **उत्तर**: विक्रेता की भूमि (अकबर), **दक्षिण**: सखी बाई का प्लाट	

विक्रय के निबन्धन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये वेबसाइट **https://www.axisbank.com/auction-notices/** पर क्लिक करें।

दिनांक : 01.03.2020 (प्रा0 अधिकारी)
स्थान : लखनऊ एक्सिस बैंक लि0

सोशल मीडिया के संदेशों पर निगरानी बढ़ाएगी सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

दिल्ली में हो रहे दंगों की एक वजह सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे संदेश हैं। जल्द ही दिल्ली सरकार इन संदेशों पर निगरानी बढ़ाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार वॉट्सऐप नंबर जारी करने पर विचार कर रही है ताकि लोग इस नंबर पर लाए जा रहे घृणा संदेशों की शिकायत दर्ज कर पाएं।

सरकार लोगों से इस तरह के किसी भी संदेश को आगे नहीं भेजने की अपील करेगी क्योंकि ऐसी किसी भी सामग्री को फॉरवर्ड कर समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करना एक अपराध है। शनिवार को यह जानकारी दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने दी। इस कदम का मकसद सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर लगाम लगाना है। अगर किसी को भी इस तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त होती है, तो वह तुरंत इसकी शिकायत दिल्ली सरकार को कर सकता है। इसके माध्यम से संदेश भेजने वाले व्यक्ति का नाम और नंबर भी बता सकता है। इसके लिए बकायदा एक अधिकारी तैनात होगा जो इन शिकायतों की निगरानी करेगा। बाद में शिकायतों को दिल्ली पुलिस के पास भेजा जाएगा।

दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचा अल्पसंख्यक आयोग

दंगा प्रभावित इलाकों में शनिवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सय्यद गय्यूर उल हसन, उपाध्यक्ष जार्ज कुरियन और सदस्य आतिफ रशीद, सरदार मंजीत सिंह राय समेत आयोग के संयुक्त सचिव डेनियल रिचर्ड समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस प्रतिनिधिमंडल ने मौजपुर, नूर इलाही, ब्रह्मपुरी, चांद बाग, मुस्तफाबाद, शिव विहार, चमन आरा बाग में दौरा किया और समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। आयोग ने पुलिस-प्रशासन को हिदायत दी कि दंगे में जो भी नुकसान हुआ है। उसे तुरंत दर्ज किया जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। बाद में आयोग सदस्य जीटीबी अस्पताल में भी पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। आयोग ने निगम अधिकारियों को जल्द से जल्द सड़क साफ करने की हिदायत दी।

पार्क में नागरिकता कानून समझाएंगे भाजपा नेता

भाजपा नेता विजय गोयल रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के बोंटा पार्क में शाहीन बाग और नागरिकता संशोधन कानून समझाएंगे। उन्होंने कहा कि दंगों के पीछे सोची-समझी सुनियोजित साजिश है। जबसे यह कानून पारित किया गया है तभी से शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर धरने पर बिठाया गया है। इसलिए भाजपा पार्क में जाकर लोगों को इस कानून की बारिकियां समझाएगी। विजय गोयल ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के देशद्रोह मुकदमे को मंजूरी देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को मंजूरी चार साल पहले जब चार्जशीट जारी हुई थी, तभी मिल जानी चाहिए थी। अब जब दिल्ली में खुद आप पार्षद ताहिर हुसैन का नाम हिंसा फैलाने में आया तो सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि आप नेता इस आरोपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में आप पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान व आप नेता संजय सिंह ने भी ताहिर हुसैन का समर्थन किया था।

'फॉरेस्ट मैन' विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित

पायंग ने की युवाओं से स्वदेश लौटने की अपील

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फॉरेस्ट मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री जादव पायंग को शनिवार को सांतवा स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया। गैर सरकारी संगठन माइ होम इंडिया के निर्णायक मंडल ने जादव पायंग को इस पुरस्कार के लिए चुना था। शनिवार शाम दिल्ली में हुए एक समारोह में पायंग को प्रशस्ति पत्र, समृति चिन्ह और एक लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया।

इस मौके पर जादव पायंग ने अपने संबोधन में वन से जुड़े कार्यों को रखा साथ ही विदेश में रह रहे युवाओं से स्वदेश लौटने की अपील की।

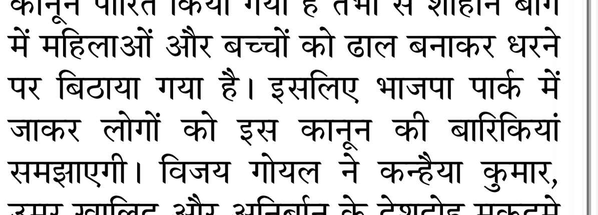

उन्होंने कहा-प्रतिभा पलायन को रोकने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि जो युवा विदेश में हैं उन्हें कम पैसों में ही सही स्वदेश में काम करने को लौटना चाहिए। देश में उनका योगदान जरूरी है। उन्हें जो तालीम दी गई उसका देश हित में भी उपयोग होना चाहिए।

जावड़ेकर ने कहा कि वे जादव पायंग को सम्मानित कर खुद को गौरवांवित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर वन-जल जीव व पर्यावरण की बात भी रखी। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के त्रिपुरा के प्रभारी सुनिल देवधर, दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हिबू तमंग, माइ होम इंडिया के अध्यक्ष अनिल मित्तल, वकील प्रदीप राय ने भी बात रखी।

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर और जादव पायंग दोनों ने अपने संबोधन को देश और प्रकृति पर केंद्रित रखा। वन संपदा और वन्य-जल जीवों के नजरिए से भारत को संपन्न बताते हुए जावड़ेकर ने दो घोषणएं की। उन्होंने मंच से कहा-केंद्र सरकार जल्द ही कछुओं के संरक्षण के लिए एक नई नीति ला रही है। इसके अलावा स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय के तर्ज पर कॉलेजों के लिए 'ग्रीन कैंपस' योजना ला रही है जिसके तहत कॉलेजों में पर्यावरण से जुड़े काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा विश्व के 75 फीसद बाघ केवल भारत में हैं। उन्हें केवल बचाने और बढ़ाने की जरूरत है।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के त्रिपुरा के प्रभारी सुनिल देवधर ने कहा-माइ होम इंडिया ने शेष भारत के लोगों को पूर्वोतर भारत के लोगों से जोड़ने और उन्हें पूर्वोतर की संस्कृति से परिचित कराने का कार्य किया है। मोदी सरकार की सक्रियता और जागरूकता अभियान के चलते भारत के दूसरे हिस्सों में पूर्वोतर के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव और दुर्घटनाओं में बहुत कमी आई है।

सुनिल देवधर ने कहा कि पूर्वोत्तर के बारे में लोगों में या तो गलत जानकारी दी जाती रही या उनकी जानकारी छुपाई जाती रही। इसे मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर पर जो काम किया है वह सत्तर सालों में नहीं हुआ था।

www.readwhere.com

Bank of Baroda (A Govt- Of India Undertaking) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

दिल्ली महानगर क्षेत्र–1,
12 वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
ई–मेल – OPERATIONS.DM1@bankofbaroda.com, फोन नं: 011-23441243

बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर धारकों के लिए सूचना / लॉकर का किराया भुगतान न करने वाले चूककर्ता को सूचना

यह सूचना हमारे उन मूल्यवान संरक्षकों के लिए है जिनके द्वारा बैंक के विभिन्न शाखाओं में किराए पर लॉकर लिए गए है तथा बैंक के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन किया गया है । आर बी आई / बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकर धारकों को बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज पतों पर सूचनाएँ भेजी गई, जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गई कि पता खोजा नहीं जा सका या वह व्यक्ति उस पते पर नहीं रहता है । लॉकरधारकों को बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज उनके पतों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का प्रयास भी निष्फल रहा और उनके वर्तमान ठौर –ठिकाने भी अभिनिश्चित नहीं किए जा सके हैं । अतः अब कोई विकल्प न होने की स्थिति में यह सूचना निम्नलिखित व्यक्तियों को इसलिए भेजी जा रही है ताकि संबन्धित शाखा से संपर्क करें तथा बैंक की बकाया राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अवधि से भीतर चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर बैंक उनकी लागत, जोखिम ज़िम्मेदारी पर लॉकर तोड़कर खोलने की कार्यवाही आरंभ करेगा और बैंक अपने किराए लागतों तथा अन्य प्रभारों की वसूली के लिए इसके अतिरिक्त अपने ग्रहणाधिकार का प्रयोग करेगा ।

क्रम सं.	बैंक	शाखा का नाम	ग्राहक का नाम	लाकर नं.	खाता लिंक / ऑपरेटिव खाता	बकाया किराया देय तक्से दिनांक (ति./म./व.)	बकाया राशि (रु. में)	तीसरी भेजी गई नोटिस (ति./म./व.)
1	बीओबी	करोल बाग	राजीव बल वोहरा	242		01.09.2018	04409	12.12.2019
2	बीओबी	करोल बाग	सुधीर नारायण भटनागर	116	500970100003318	01.03.2019	2144	12.12.2019
3	बीओबी	करोल बाग	इकबाल कौर	895	00970100003767	01.03.2019	2254	12.12.2019
4	बीओबी	करोल बाग	विनोद कुमार मेहरोत्रा	726	00970100000130	01.09.2018	4244	12.12.2019
5	बीओबी	करोल बाग	अनुराग बिंद्रा	1316	00970100004689		2254	12.12.2019
6	बीओबी	करोल बाग	विजय शर्मा	1281	नहीं है		2254	12.12.2019
7	बीओबी	करोल बाग	हितु भाटिया	1172	नहीं है	01.04.2019	2089	12.12.2019
8	बीओबी	करोल बाग	हरबंस सिंह	296	नहीं है	01.09.2018	4244	12.12.2019
9	बीओबी	पहाड़गंज	राजेश बख्शी	247	980100001793	2019	1770	वापसी
10	बीओबी	पहाड़गंज	जगदीश चंदर	239	980100004076	2019	1770	वापसी
11	बीओबी	पहाड़गंज	कपलजीत सिंह	98	980100000755	2017	5310	03.01.2020
12	बीओबी	पहाड़गंज	पंकज सक्सेना	261	980100003823	2015	8850	03.01.2020
13	बीओबी	पहाड़गंज	गुलशन राजपाल	268	980100004763	2019	1770	03.01.2020
14	बीओबी	पहाड़गंज	नितिन ढिंगन	313	980100017648	2019	1770	03.01.2020
15	बीओबी	पहाड़गंज	श्याम सुन्दर लाल गुप्ता	336	980400000026	2018	3540	03.01.2020
16	बीओबी	पहाड़गंज	मिनाक्षी दुआ	337	980100005413	2019	1770	03.01.2020
17	बीओबी	पहाड़गंज	राजेश कुमार शर्मा	352	980100005119	2017	5310	03.01.2020
18	बीओबी	पहाड़गंज	चंद्र प्रकाश विज	364	980100002942	2017	5310	वापसी
19	बीओबी	पहाड़गंज	कैलाश रानी	372	980100002432	2017	5310	वापसी
20	बीओबी	पहाड़गंज	जानक राज मेहता	395	980100004592	2013	12390	वापसी
21	बीओबी	पहाड़गंज	भगवान सिंह	404	980100008311	2019	1770	03.01.2020
22	बीओबी	पहाड़गंज	रानी कोहली	102	980100001854	2017	1770	वापसी
23	बीओबी	पहाड़गंज	राजेश कपूर	154 एवं 176	980100018158	2019	7080	वापसी
24	बीओबी	पहाड़गंज	हरीश चंद चोपड़ा और निर्मला रानी	108	98010000935	2018	3540	वापसी
25	बीओबी	पहाड़गंज	उषा रानी वधवा	99	980100009459	2019	1770	वापसी
26	बीओबी	पहाड़गंज	जसबीर सिंह एवं चरनजीत सिंह	177	980100001622	2013	18880	वापसी
27	ई–देना	चांदनी चोक	उषा ठाकुर	0059A0000017	005910006110	04.02.2015	4912	16.01.2020
28	ई–देना	चांदनी चोक	सुनील कुमार मिश्रा	0059A0000018	कोई खाता नहीं	16.09.2015	4299	16.01.2020
29	ई–देना	चांदनी चोक	राधे श्याम	0059A0000054	005910003508	10.08.2010	9403	16.01.2020
30	ई–देना	चांदनी चोक	तोश कुमार	0059A0000060	005910002366	26.04.2017	3082	16.01.2020
31	ई–देना	चांदनी चोक	राजेंदर जैन	00059A0000071	005910003791	03.02.2014	5915	16.01.2020
32	ई–देना	चांदनी चोक	सनाज शाह	0059A0000079	कोई खाता नहीं	01.02.2007	6204	16.01.2020
33	ई–देना	चांदनी चोक	बाबू राम गुप्ता	0059A0000080	005910002057	25.03.2013	6778	16.01.2020
34	ई–देना	चांदनी चोक	दिनेश कुमार गुप्ता	0059A0000090	005910002534	25.07.2017	4362	16.01.2020
35	ई–देना	चांदनी चोक	गोविन्द प्रकाश शमा	0059A0000091	कोई खाता नहीं	11.01.2008	6339	16.01.2020
36	ई–देना	चांदनी चोक	विमला देवी	0059A0000097	005910002340	12.01.2013	6743	16.01.2020
37	ई–देना	चांदनी चोक	दीपक चोपड़ा	0059A0000106	कोई खाता नहीं	10.02.2018	2968	16.01.2020
38	ई–देना	चांदनी चोक	सुरेंदर नाथ सेठ	0059A0000116	005910001402	02.09.2017	2878	16.01.2020
39	ई–देना	चांदनी चोक	श्रीमती दर्शन देवी	0059A0000123	005910002273	03.06.2014	5586	16.01.2020
40	ई–देना	चांदनी चोक	कन्हया लाल	0059A0000126	005910002313	10.09.2011	8318	16.01.2020
41	ई–देना	चांदनी चोक	पदमा देवी	0059A0000133	005910003670	17.08.2010	9384	16.01.2020
42	ई–देना	चांदनी चोक	राज कुमार गोयल	0059A0000135	005910002220	20.01.2014	5953	16.01.2020
43	ई–देना	चांदनी चोक	ओम प्रकाश शमा	0059A0000151	005910002073	11.06.2018	2811	16.01.2020
44	ई–देना	चांदनी चोक	निर्मल बुबना	0059A0000157	कोई खाता नहीं	13.12.2006	6170	16.01.2020
45	ई–देना	चांदनी चोक	श्रीमती कुंता रानी	0059A0000166	005910002278	07.06.2007	6397	16.01.2020
46	ई–देना	चांदनी चोक	कौशल्या देवी	0059A0000191	005910001946	12.11.2009	10145	16.01.2020
47	ई–देना	चांदनी चोक	अशोक कुमार	0059A0000196	005910002315	22.09.2016	3286	16.01.2020
48	ई–देना	चांदनी चोक	योग राज खन्ना	0059A0000210	005910007532	10.08.2010	9403	16.01.2020
49	ई–देना	चांदनी चोक	कांता जैन	0059A0000291	000591005691	22.08.2006	6419	16.01.2020
50	ई–देना	चांदनी चोक	अशोक कुमार गुप्ता	0059A0000314	005910024106	13.07.2015	4365	16.01.2020
51	ई–देना	चांदनी चोक	हंसा डोडिआ	0059A0000318	005910002511	30.07.2012	7430	16.01.2020
52	ई–देना	चांदनी चोक	सुनील कुमार गर्ग	0059A0000322	005910002491	05.08.2012	7414	16.01.2020
53	ई–देना	चांदनी चोक	प्रेम खन्ना	0059A0000350	005910002733	01.07.2015	4510	16.01.2020
54	ई–देना	चांदनी चोक	शांति देवी जैन	0059A0000353	005910002809	08.02.2014	5901	16.01.2020
55	ई–देना	चांदनी चोक	पुष्पा सोनी	0059A0000356	005910004353	19.03.2008		16.01.2020
56	ई–देना	चांदनी चोक	मोती सागर माथुर	0059A0000360	005910001967	19.03.2008	5968	16.01.2020
57	ई–देना	चांदनी चोक	नकुल जैन	0059A0000368	005910004977	31.08.2011	8345	16.01.2020
58	ई–देना	चांदनी चोक	वीणा जैन	0059A0000388	005910002869	20.03.2007	6143	16.01.2020
59	ई–देना	चांदनी चोक	कौशल्या खेमका	0059A0000406	005910002980	19.03.2008		16.01.2020
60	ई–देना	चांदनी चोक	अशोक कुमार चौधरी	0059A0000424	005910003969	25.10.2010	9195	16.01.2020
61	ई–देना	चांदनी चोक	शशिबाला कौशिक	0059A0000469	005910002551	17.08.2007	5945	16.01.2020
62	ई–देना	चांदनी चोक	मुक्ता द्वारिका मिश्रा	0059A0000486	005910004969	30.06.2009	5783	16.01.2020
63	ई–देना	चांदनी चोक	श्रीमती राधा रानी	0059A0000501	005910003129	15.06.2007	6028	16.01.2020
64	ई–देना	चांदनी चोक	रतना अरोड़ा	0059A0000529	कोई खाता नहीं	09.09.2008	5377	16.01.2020
65	ई–देना	चांदनी चोक	अलका जैन	0059A0000543	005910003238	02.02.2016	9161	16.01.2020
66	ई–देना	चांदनी चोक	ज्ञान प्रकाश	0059A0000554	005910003155	31.12.2010	9011	16.01.2020
67	ई–देना	चांदनी चोक	राधे श्याम बंसल –	0059A0000555	कोई खाता नहीं	18.08.2008	6259	16.01.2020
68	ई–देना	चांदनी चोक	कमल कुमार जैन	0059A0000560	005910003952	03.10.2008	8441	16.01.2020
69	बीओबी	सेक्टर 9 रोहि.णी	कुसुम सिंघल	498	27200100009266	13.03.2019	1770	13.12.2019
70	बीओबी	सेक्टर 9 रोहि.णी	कंचन जैन	218	27200100001415	28.03.19	1770	13.12.19
71	बीओबी	आजादपुर	अयोध्या प्रसाद	86				01.12.2018
72	बीओबी	आजादपुर	पवन कुमार	10	21420100000933	21.07.2019	1770	10.10.2019
73	ई–देना	पीतमपुरा	राधश्याम शर्मा	286	109310001758	21.11.2018	2227	11.09.2019
74	ई–देना	पीतमपुरा	प्रीति बत्रा और मनोज बत्रा	140	109310004252	08.05.2018	3889	11.09.2019
75	ई–देना	पीतमपुरा	कुलदीप कृष्ण भट और डॉली भट और रजनी बजाज	193	109310002964	06.11.2017	3366	11.09.2019
76	ई–देना	पीतमपुरा	ट्विंकल डावर	609		28.09.2017	3550	11.09.2019
77	ई–देना	पीतमपुरा	कृष्णा देवी और नवीन नारंग	240	109310001353	07.10.2016	4701	11.09.2019
78	ई–देना	पीतमपुरा	मनप्रीत सिंह और हरमिंदर कौर	543	109310005496	15.05.2013	13423	11.09.2019
79	ई–देना	पीतमपुरा	रूपा वोरा और प्रदीप कुमार वोरा	296		12.09.2015	10500	11.09.2019
80	ई–देना	पीतमपुरा	पुष्पिंदर सिंह और सतनाम कौर	759		09.08.2015	9425	11.09.2019
81	ई–देना	पीतमपुरा	सुशील गुप्ता और पुष्पा गुप्ता	119	109310001315 109310025992 (सचिन गुप्ता)	20.04.2014	12095	11.09.2019
82	ई–देना	पीतमपुरा	रूप लाल शर्मा और विजय कुमार शर्मा	374	109310001867	25.02.2015	10957	11.09.2019
83	ई–देना	पीतमपुरा	सुमन पटेल और रमेश पटेल	392		26.04.2014	13647	11.09.2019
84	ई–देना	पीतमपुरा	मन मोहन सिंह और गुरदीप कौर	175	109310002673	25.05.2013	14954	11.09.2019
85	ई–देना	पीतमपुरा	उषा गुप्ता और निशि गुप्ता	270	109310001064	30.08.2012	12381	11.09.2019
86	ई–देना	पीतमपुरा	सरिता अग्रवाल	216	109310001483	16.07.2012	15295	11.09.2019
87	ई–देना	पीतमपुरा	सुनील अहलूवालिया और कल्पना अहलूवालिया	95		29.04.2012	15875	11.09.2019
88	ई–देना	पीतमपुरा	विवेक ढींगरा और सोनिया ढींगरा	599	109310002670	16.03.2012	15678	11.09.2019
89	ई–देना	पीतमपुरा	बलजीत कौर	550	109310002300	29.01.2012	15875	11.09.2019
90	ई–देना	पीतमपुरा	दुलारी मावा और संजय कुमार मावा	371	109310003025	30.11.2011	16214	11.09.2019
91	ई–देना	पीतमपुरा	फतेह चंद गुप्ता और प्रभात कुमार गुप्ता	444	109310001992	29.05.2011	18700	11.09.2019
92	ई–देना	पीतमपुरा	अनीता जैन और एन.के.जैन	375	अंकुर सैनिटेशन	11.03.2011	18950	11.09.2019
93	ई–देना	पीतमपुरा	आनंद सचदेवा और अमृत सचदेवा	433	109310001971	15.05.2010	20000	11.09.2019
94	ई–देना	पीतमपुरा	सुरेंद्र पाल सिंह	497	109310002752	18.03.2010	20950	11.09.2019
95	ई–देना	पीतमपुरा	विमला देवी	559	109310001324	02.01.2010	21000	11.09.2019
96	ई–देना	पीतमपुरा	डॉ. जितेन्द्र सिंह और बीना सिंह	701	109310003278	05.12.2009	21904	11.09.2019
97	ई–देना	पीतमपुरा	प्रीति शाह और दर्शन कुमार शाह	809	109310003886	02.11.2009	22500	11.09.2019
98	ई–देना	पीतमपुरा	आर.पी.एल. भाटिया	597		26.07.2009	24000	11.09.2019
99	ई–देना	पीतमपुरा	नरिंदर कौर और अजब सिंह	449	109310001995	25.06.2009	24500	11.09.2019
100	ई–देना	पीतमपुरा	आर एस गोयल और ममता गोयल	122	109310001365	12.05.2009	25250	11.09.2019
101	ई–देना	पीतमपुरा	अंजू काकेर	438		04.05.2009	25500	11.09.2019
102	ई–देना	पीतमपुरा	सुनील कुमार	34	109310001081	10.04.2009	25500	11.09.2019
103	ई–देना	पीतमपुरा	दीपक माथुर और नीलम माथुर	615	109310001666	15.03.2009	26100	11.09.2019
104	ई–देना	पीतमपुरा	विनोद कुमार और आशा रानी	606		06.03.2009	26100	11.09.2019
105	ई–देना	पीतमपुरा	एस एन आर्य और पूजा	366	109310001798	08.02.2009	26250	11.09.2019
106	ई–देना	पीतमपुरा	मनजीत कौर बेदी	801		07.02.2009	26250	11.09.2019
107	ई–देना	पीतमपुरा	प्रभात सिंघल और अंजू सिंघल	97		14.05.2008	26300	11.09.2019
108	ई–देना	पीतमपुरा	सुशील कुमार वैश्य और राजेश वैश्य	146	109310002108	11.05.2008	26300	11.09.2019
109	ई–देना	पीतमपुरा	भूपेंद्र सिंह	101		06.05.2008	26300	11.09.2019
110	ई–देना	पीतमपुरा	मनीष जैन और वंदना जैन	688	109310004741	14.04.2008	26350	11.09.2019
111	ई–देना	पीतमपुरा	राकेश कुमार सिन्हा और अनीता	631		17.03.2008	26450	11.09.2019
112	ई–देना	पीतमपुरा	सुरेंद्र खुराना और वर्षा खुराना	595	109310002007	07.02.2008	26500	11.09.2019
113	ई–देना	पीतमपुरा	कांता कांसल एवं आर.एस. बेरीवाल (वकील)	300		28.08.2007	26950	11.09.2019
114	ई–देना	पीतमपुरा	कमलेश सोलंकी और राजेश सिंह सोलंकी	490		14.12.2006	27545	11.09.2019
115	ई–देना	पीतमपुरा	बृजलाल	683		11.07.2006	27650	11.09.2019
116	ई–देना	पीतमपुरा	सुदेश भाटिया और इंदु बजाज	190	109310003391	07.07.2006	27650	11.09.2019
117	ई–देना	पीतमपुरा	अमृत पाल सिंह कपूर और अनुप्रिया कपूर	524	109310002792	24.04.2006	27720	11.09.2019
118	ई–देना	पीतमपुरा	सतीश कुमार रमानी और अंजलि रमानी	626	109310001115	17.03.2006	27750	11.09.2019
119	ई–देना	पीतमपुरा	संजय कोहली और सुषमा कोहली	218	109310004638	02.09.2005	29250	11.09.2019
120	ई–देना	पीतमपुरा	रुचिका ढींगरा और मनीष ढींगरा	839	109310003761	09.05.2005	29650	11.09.2019
121	ई–देना	पीतमपुरा	अनिल गुप्ता और संगीता गुप्ता	131		07.05.2005	29650	11.09.2019
122	ई–देना	पीतमपुरा	अजय शर्मा	2		01.05.2005	29650	11.09.2019
123	ई–देना	पीतमपुरा	पंकज शर्मा और मीनू शर्मा	780	SB6120	23.03.2005	29750	11.09.2019
124	ई–देना	पीतमपुरा	सुभाष वाधवा और वीणा रानी	389	SB	10.03.2005	29750	11.09.2019
125	ई–देना	पीतमपुरा	महेश शर्मा	612		27.02.2005	29800	11.09.2019
126	ई–देना	पीतमपुरा	यशपाल भाटिया और नीरू भाटिया	353		25.02.2005	29800	11.09.2019
127	ई–देना	पीतमपुरा	बृजमोहन गर्ग और कमलेश गर्ग	251		23.01.2005	29850	11.09.2019
128	ई–देना	पीतमपुरा	राकेश शर्मा	9	SB1765	13.12.2004	29950	11.09.2019
129	ई–देना	पीतमपुरा	रिंकू शर्मा और संजीव शर्मा	539		07.12.2004	29950	11.09.2019
130	ई–देना	पीतमपुरा	एस पी कपूर और कुसुम कपूर	243	109310001501	11.08.2004	30150	11.09.2019
131	ई–देना	पीतमपुरा	जसबीर कौर	236	109310001281	09.08.2004	30150	11.09.2019
132	ई–देना	पीतमपुरा	एस के जॉली और रेखा जॉली	323		15.01.2004	30450	11.09.2019
133	ई–देना	पीतमपुरा	नीतू जैन और कमल जैन	228		08.08.2003	30700	11.09.2019
134	ई–देना	पीतमपुरा	वीरेंद्र कुमार	174		03.07.2003	30750	11.09.2019
135	ई–देना	पीतमपुरा	आर के शर्मा और रेखा शर्मा	718		2.01.2002	32750	11.09.2019
136	ई–देना	पीतमपुरा	वीणा अनाद	534		20.11.2001	32900	11.09.2019
137	ई–देना	पीतमपुरा	पूनम चंद गुप्ता और सुधा गुप्ता	764		10.11.2001	32900	11.09.2019
138	ई–देना	पीतमपुरा	राजेश चौहान	698		17.10.2000	32950	11.09.2019
139	ई–देना	पीतमपुरा	सुनील शाह और वंदिता शाह	45	SBGEN273	06.04.2000	34720	11.09.2019
140	ई–देना	पीतमपुरा	प्रेम कुमार सोनी और पिंकी सोनी	167		18.06.1999	36490	11.09.2019
141	ई–देना	पीतमपुरा	अनीश कुमार बेरी और योगेश कुमार मलिक	128		01.04.1999	16073	11.09.2019
142	ई–देना	पीतमपुरा	नरेश कुमार गुप्ता	133		01.04.1999	16839	11.09.2019
143	ई–देना	पीतमपुरा	एस एल पासी एवं लीला पासी एवं डॉ नीरू भाटिया	412		01.04.1999	16073	11.09.2019
144	ई–देना	पीतमपुरा	राजेश शर्मा और पुष्पा शर्मा	418		01.04.1999	16073	11.09.2019
145	ई–देना	पीतमपुरा	शिव कुमार और वंदना बंसल	213 C Type	109310001049	08.07.2010	25975	11.09.2019
146	ई–देना	पीतमपुरा	सरिता अग्रवाल	237 C Type	109310001483	12.08.2009	28235	11.09.2019
147	ई–देना	पीतमपुरा	वनिता गुप्ता और ललित किशोर	553 C Type	109310001792	01.02.2006	33003	11.09.2019
148	ई–देना	पीतमपुरा	राज कुमार अग्रवाल और मंजू अग्रवाल	212 C Type		15.05.2005	54752	11.09.2019
149	ई–देना	पीतमपुरा	शशि अग्रवाल और रमेश चंद अग्रवाल और भावना सूरी	777 C Type	SB6010	13.12.2004	33351	11.09.2019
150	ई–देना	पीतमपुरा	चतुर पाल वालिया	678 C Type		15.11.2002	35033	11.09.2019
151	ई–देना	पीतमपुरा	गजेंद्र शर्मा और जितेन्द्र कौशिक	703 C Type		29.03.2001	33795	11.09.2019
152	ई–देना	पीतमपुरा	रंजना चौधरी और अरुण कुमार चौधरी	629 F Type	109310003057	19.05.2015	23147	11.09.2019
153	ई–देना	पीतमपुरा	इला दुधानी और राकेश दुधानी	39 F Type	109310001152	02.04.2014	27217	11.09.2019
154	ई–देना	पीतमपुरा	राज सिंह और अनीता	164 F Type	9810012551 (विमद)	01.07.2013	26200	11.09.2019
155	ई–देना	पीतमपुरा	दिलबाग कौर और हरप्रीत चंडोक	189 F Type	109310001077	15.07.2007	44919	11.09.2019
156	ई–देना	पीतमपुरा	कवल खोसला, विक्रम खोसला और रुचिका खोसला	654 F Type	SB4195	20.07.2003	49614	11.09.2019
157	ई–देना	पीतमपुरा	संजीव गुप्ता और आभा गुप्ता	454 F Type	CAGEN1234	11.10.1998	50517	11.09.2019
158	ई–देना	सब्जी मंडी	श्रीमती अंजू शर्मा	814	उपलब्ध नहीं	23.08.13	11682	16.10.19
159	ई–देना	सब्जी मंडी	गुरबचन सिंह	283	12910001765	30.07.15	9322	17.09.19
160	ई–देना	सब्जी मंडी	अंतु अग्रवाल	788	12910003557	07.09.17	6018	18.11.19
161	ई–देना	सब्जी मंडी	प्रेम खन्ना	3700	उपलब्ध नहीं	23.01.17	6372	16.10.19
162	ई–देना	सब्जी मंडी	अतुल गुप्ता	31	12910002066	18.03.15	9322	16.10.19
163	ई–देना	सब्जी मंडी	अशोक कुमार विज	512	उपलब्ध नहीं	11.01.15	21830	16.10.19
164	ई–देना	सब्जी मंडी	नीना उमेश	82	12910004627	03.12.16	8142	16.10.19
165	ई–देना	सब्जी मंडी	परवीन गुप्ता	509	12910004813	26.02.17	6372	16.10.19
166	ई–देना	सब्जी मंडी	अश्वनी कुमार	277	12910002208	28.07.17	6018	16.10.19
167	ई–देना	सब्जी मंडी	ओ.पी.गुप्ता	633	12910002538	28.05.09	16402	16.10.19
168	ई–देना	सब्जी मंडी	राजिंदर कुमार	592	12910002700	20.02.13	11682	16.10.19
169	ई–देना	सब्जी मंडी	के.बी.अग्रवाल	637	12910001832	10.06.15	9322	16.10.19
170	ई–देना	सब्जी मंडी	शालू गुप्ता	679	12910002945	05.01.14	12626	16.10.19
171	ई–देना	सब्जी मंडी	मंजू गोयल	1340	12910002391	14.11.16	8142	16.10.19
172	ई–देना	सब्जी मंडी	दविंदर कौर	813	उपलब्ध नहीं	26.01.14	11682	16.10.19
173	ई–देना	सब्जी मंडी	लीला गोयल	14	उपलब्ध नहीं	30.08.18	3894	16.10.19
174	ई–देना	सब्जी मंडी	यशपाल	1344	उपलब्ध नहीं	29.04.11	14042	16.10.19
175	ई–देना	सब्जी मंडी	पुष्पा माथुर	395	12910003990	13.09.13	11682	16.10.19
176	ई–देना	सब्जी मंडी	मीता खंडेलवाल	612	12910003725	20.04.16	8142	10.10.19
177	ई–देना	सब्जी मंडी	जे.के.अग्रवाल	379	12910002015	13.06.12	12862	16.10.19
178	ई–देना	सब्जी मंडी	प्रितपाल सिंह	357	उपलब्ध नहीं	02.05.09	16402	16.10.19
179	ई–देना	सब्जी मंडी	सत्या गुप्ता	515	12910002137	10.02.07	19116	16.10.19
180	ई–देना	सब्जी मंडी	चन्द्र कांता	15	उपलब्ध नहीं	25.12.10	14632	16.10.19
181	ई–देना	सब्जी मंडी	किरण सूरी	3673	12910003666	18.06.13	11682	16.10.19
182	ई–देना	सब्जी मंडी	श्रीनिवास अग्रवाल	261	उपलब्ध नहीं	19.07.13	11682	16.10.19
183	ई–देना	सब्जी मंडी	अनीता गुप्ता	23	12910002110	02.07.11	15222	16.10.19
184	ई–देना	सब्जी मंडी	कमलेश गोयल	327	उपलब्ध नहीं	19.01.19	3894	16.10.19
185	ई–देना	सब्जी मंडी	अनीता अग्रवाल	35	उपलब्ध नहीं	25.08.16	8142	16.10.19
186	ई–देना	सब्जी मंडी	राज कुमारी जैन	629	12910002551	08.06.12	12862	16.10.19
187	ई–देना	सब्जी मंडी	संतोष पालीवाल	29	उपलब्ध नहीं	13.10.17	6018	16.10.2019
188	ई–देना	सब्जी मंडी	संगीता गोयल	3670	उपलब्ध नहीं	03.02.09	16756	16.10.19
189	ई–देना	सब्जी मंडी	जोगिंदर नागपाल	774	12910003188	10.01.10	15576	16.10.19
190	ई–देना	सब्जी मंडी	मंजू गोयल	1339	12910002391	15.11.16	10266	16.10.19
191	ई–देना	दरियागंज	श्री गुरुदेव सिंह एवं श्रीमती सुरिंदर कौर	4	16010001167 निष्क्रिय	06.03.20	1013397	19.11.2019
192	ई–देना	दरियागंज	श्रीमती बीना रानी गुप्ता	12	SB5311 बंद है	27.03.19	8923500	27.11.2019
193	ई–देना	दरियागंज	विक्रम सूद	37	16010004161 निष्क्रिय	30.10.20	129951	19.11.2019
194	ई–देना	दरियागंज	नंद किशोर वर्मा	63	16010002966 निष्क्रिय	04.03.2009	18500	19.11.2019
195	ई–देना	दरियागंज	अशोक कुमार महेश्वरी एवं सुशीला	137	नकदी द्वारा	22.05.2000	39500	19.11.2019
196	ई–देना	दरियागंज	शीला रानी	210	16010001438 बंद है	08.06.2014	7266	06.09.2019
197	ई–देना	दरियागंज	हरि मखेरिया और वीना माखेरिया	213	नकदी द्वारा	01.05.1988	23456	06.09.2019
198	ई–देना	दरियागंज	नसीम बानो	214	16010002400 निष्क्रिय	21.04.2001	18400	26.10.2019
199	ई–देना	दरियागंज	नरेश कुमार और नीटू कुमार	219	नकदी द्वारा	30.02.2011	12294	26.10.2019
200	ई–देना	दरियागंज	बलबीर सिंह और सतपाल सिंह	223	16010002705 बंद है	27.11.2013	9500	09.09.2019
201	ई–देना	दरियागंज	असलम परवेज़	226	16011001495	13.09.2018	3894	09.09.2019
202	ई–देना	दरियागंज	राज कुमारी मुढडा	229	नकदी द्वारा	04.10.2000	18976	06.09.2019
203	ई–देना	दरियागंज	राजीव श्रीवास्तव	231	नकदी द्वारा	30.04.2000	19053	06.09.2019
204	ई–देना	दरियागंज	शुभपाल सिंह जैन	233	नकदी द्वारा	29.06.2011	12294	06.09.2019
205	ई–देना	दरियागंज	मोरिंदर सूद	240	16010001471 बंद है	04.05.2016	7729	06.09.2019
206	ई–देना	दरियागंज	कश्मीरा देवी	252	नकदी द्वारा	05.07.2000	19200	26.10.2019
207	ई–देना	दरियागंज	इंद्रजीत, उमा एवं सुमन अरोड़ा	255	नकदी द्वारा	27.09.2018	3894	06.09.2019
208	ई–देना	दरियागंज	आर के वर्मा	264	16010001241 बंद है	02.01.2005	19500	09.09.2019
209	ई–देना	दरियागंज	यतीश पारिख एवं इंदु पारिख	281	16010002434 बंद है	20.05.2016	6700	09.09.2019
210	ई–देना	दरियागंज	प्रमोद कुमार एवं सुरेखा रानी	282	नकदी द्वारा	21.01.2009	16011	26.10.2019
211	ई–देना	दरियागंज	विजेन्द्र पाल एवं बीना जैन	287	नकदी द्वारा	23.07.2006	39288	26.10.2019
212	ई–देना	दरियागंज	बलराज शाहरी	298	नकदी द्वारा	01.01.1991	19800	26.10.2019
213	ई–देना	दरियागंज	सुधा गुप्ता एवं सुनील गुप्ता	299	नकदी द्वारा	15.02.2007	14975	06.09.2019
214	ई–देना	दरियागंज	सुधा सचदेवा	302	नकदी द्वारा	18.06.2002	18600	26.10.2019
215	ई–देना	दरियागंज	श्री गुरबक्स सिंह कालरा	314	नकदी द्वारा	18.11.1999	55000	26.10.2019
216	ई–देना	दरियागंज	कमल भटनागर	319	16010001959 निष्क्रिय	20.11.2010	13927	06.09.2019
217	ई–देना	दरियागंज	सुभाष चंदर	335	नकदी द्वारा	26.05.2005	18836	26.10.2019
218	ई–देना	दरियागंज	विद्यावती एवं कृष्ण कुमार शर्मा	344	16010001457 निष्क्रिय	04.03.2010	14908	26.01.2019
219	ई–देना	दरियागंज	सिद्धार्थ दत्ता एवं प्रिया दत्ता	350	नकदी द्वारा	13.02.2002	18600	26.01.2019
220	ई–देना	दरियागंज	हलीम जंग	359	16011001542 निष्क्रिय	18.06.2008	17114	26.01.2019
221	ई–देना	दरियागंज	श्रीमती उर्मिल खन्ना	360	SBGEN2007	07.01.2013	11556	26.01.2019
222	ई–देना	दरियागंज	विनय सागर जैन	366	16010001498 निष्क्रिय	11.01.2005	18836	26.01.2019
223	ई–देना	दरियागंज	हरचरण सिंह अरोड़ा	378	16010004280 निष्क्रिय	05.12.2012	10500	09.09.2019
224	ई–देना	दरियागंज	नरेश गर्ग एवं कृष्णा गर्ग	380	16010004136 निष्क्रिय	04.11.2009	13927	06.09.2019
225	ई–देना	दरियागंज	सुभाष चंद गुप्ता एवं मधु गुप्ता	385	16010002571 निष्क्रिय	05.06.2007	17732	26.10.2019
226	ई–देना	दरियागंज	सुरिंदर मोहन	393	016010001361 निष्क्रिय	06.05.2009	16011	18.09.2019
227	ई–देना	दरियागंज	सैयद मोहम्मद मुस्तफा हैदर एवं इरम	394	16010004919 बंद है	20.11.2010	13397	06.09.2019
228	ई–देना	दरियागंज	अनिल कुमार जैन एवं शकुंतला जैन	402	नकदी द्वारा	13.04.2014	9951	26.10.2019
229	ई–देना	दरियागंज	स्वराज और संजय वर्मा	406	16010004085 बंद है	20.09.2013	10564	06.09.2019
230	ई–देना	दरियागंज	सावित्री देवी एवं सूरज बर्मन	436	16010001886 बंद है	31.10.2012	14450	26.10.2019
231	ई–देना	दरियागंज	अजय कुमार एवं राकेश कुमार	439	नकदी द्वारा	22.08.2001	50000	26.10.2019
232	ई–देना	दरियागंज	सुधाकर भार्गव एवं मणि भार्गव	483	SBGEN8861	18.11.2007	17732	26.10.2019
233	ई–देना	दरियागंज	कंवल जीत कौर सेतिया	487	SBGEN21369 निष्क्रिय	12.02.2008	17114	26.10.2019
234	ई–देना	दरियागंज	राजेश नारायण सिंह	503	SBGEN14789 बंद है	06.11.2010	14908	26.10.2019
235	ई–देना	दरियागंज	किरण मेहरा एवं शिल्पी मेहरा	504	16010001079 बंद है	01.09.2012	12680	26.10.2019
236	ई–देना	दरियागंज	गौरव सेठी	513	नकदी द्वारा	12.03.2008	17114	26.10.2019
237	ई–देना	दरियागंज	हरीश खन्ना एवं शरद खन्ना	519	नकदी द्वारा	30.07.2018	3894	06.09.2019
238	ई–देना	दरियागंज	जोगिंदर पाल सिंह	520	नकदी द्वारा	08.08.2000	19200	26.10.2019
239	ई–देना	दरियागंज	मंजू मेहता	522	नकदी द्वारा	14.10.2000	20700	27.11.2019
240	ई–देना	दरियागंज	रवि कुमार गुप्ता एवं संध्या गुप्ता	524	16010002015 निष्क्रिय	29.07.2008	17114	26.10.2019
241	ई–देना	दरियागंज	देवजीत गुप्ता एवं प्रीति खुल्लर गुप्ता	531	नकदी द्वारा	16.10.1999	21000	26.10.2019
242	ई–देना	दरियागंज	मोहम्मद नईम	535	16010001619 निष्क्रिय	28.09.2009	17908	26.10.2019
243	ई–देना	दरियागंज	सुरेंद्र पाल सिंह एवं हरजीत कुअर	548	16010001205 निष्क्रिय	11.10.2008	17732	26.10.2019
244	ई–देना	दरियागंज	प्रीति जैन एवं रंजन जैन	540	नकदी द्वारा	21.10.2000	2100	26.10.2019
245	ई–देना	दरियागंज	गुंजन एम शर्मा	549	16010003465 बंद है	14.04.2013	10564	06.09.2019
246	ई–देना	दरियागंज	वीना जैन एवं सुनील कुमार जैन	556	नकदी द्वारा	18.12.2014	9794	06.09.2019
247	ई–देना	दरियागंज	शांति देवी एवं रजत कुमार छाबड़ा	566	SBGEN11578	14.01.2005	18836	26.10.2019
248	ई–देना	दरियागंज	बाबू राम	567	नकदी द्वारा	31.01.2003	17600	26.10.2019
249	ई–देना	दरियागंज	समरजीत	573	16010002025 बंद है	27.01.2013	10564	06.09.2019
250	ई–देना	दरियागंज	एस एम बाफना एवं दीपाली देवी	577	नकदी द्वारा	23.01.2010	13397	06.09.2019
251	ई–देना	दरियागंज	जगदीश लाल एवं राज कुमार	581	नकदी द्वारा	04.02.2014	7766	06.09.2019
252	ई–देना	दरियागंज	महेश कुमार अग्रवाल	585	16010002062 बंद है	31.01.2005	18836	26.10.2019
253	ई–देना	दरियागंज	के राजा गोपाल रेड्डी एवं के सुदेश कुमार	593	नकदी द्वारा	18.02.2000	19200	26.10.2019
254	ई–देना	दरियागंज	अनीता गुप्ता एवं श्रीमती संतोष	632	नकदी द्वारा	02.11.2005	16553	06.09.2019
255	ई–देना	दरियागंज	मधु एवं सतीश सहगल	635	16010002308 बंद है	01.11.2011	12294	06.09.2019
256	ई–देना	दरियागंज	कृष्णा शर्मा एवं रेणु शर्मा	648	नकदी द्वारा	23.02.2008	17732	26.10.2019
257	ई–देना	दरियागंज	माला एवं मधु	649	16010003899 निष्क्रिय	14.03.2009	13000	26.10.2019
258	ई–देना	दरियागंज	जितेन्द्र कुमार जैन	655	16010002359 निष्क्रिय	03.04.2008	15000	26.10.2019
259	ई–देना	दरियागंज	आर पी आहूजा एवं डॉली आहूजा	682	नकदी द्वारा	27.05.2004	17202	26.10.2019
260	ई–देना	दरियागंज	डॉली आहूजा एवं आर पी आहूजा	683	नकदी द्वारा	27.05.2004	17202	26.10.2019
261	ई–देना	दरियागंज	पम्मी समरवाल	685	16010002219 निष्क्रिय	09.06.2000	19500	26.10.2019
262	ई–देना	दरियागंज	सुरिंदर सिंह एवं महिंदर सिंह	708	16010002477 निष्क्रिय	01.02.2013	10564	06.09.2019
263	ई–देना	दरियागंज	रघुवंश कुमार एवं ईशा कपूर	709	नकदी द्वारा	01.02.2017	6372	06.09.2019
264	ई–देना	दरियागंज	अब्दुल रशीद एवं मोहम्मद यूनुस	730	16010003186 निष्क्रिय	26.02.2018	4228	06.09.2019
265	ई–देना	दरियागंज	विजय कुमार मालपानी एवं कुसुम मालपानी	176	नकदी द्वारा	06.05.2019	1770	06.09.2019
266	ई–देना	दरियागंज	सुनील भंडारी एवं अनिल भंडारी	517	1.601E+11	20.02.2019	2124	26.10.2019
267	ई–देना	दरियागंज	रीता चौधरी एवं एन एन सिंह	311	16010001298	06.05.2019	1770	05.10.2019
268	ई–विजया	बाराखंभा रोड	श्री रपिंदर सिंह ढिल्लों	626	600401010019965	01.04.2017	5600	05.10.2019
269	ई–विजया	बाराखंभा रोड	श्री मेजर सोमनाथ	154	600401010000279	01.04.2017	6083	05.10.2019
270	ई–विजया	बाराखंभा रोड	श्री ए जे मुरलीधरन	126	600401010013469	01.04.2016	1788	05.10.2019
271	ई–विजया	बाराखंभा रोड	श्री देवेश ठाकुर और रितु ठाकुर	223	600401010021947	01.04.2016	7738	05.10.2019
272	ई–विजया	बाराखंभा रोड	श्री शिव धवन	457	600401010018250	01.04.2017	5489	05.10.2019
273	ई–विजया	बाराखंभा रोड	श्री विनीता के एम	476	खाता संख्या नहीं	01.04.2017	6083	05.10.2019

Dy. General Manager, DMR-1

www.readwhere.com

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

पूर्व घोषित अनर्थ

आमतौर पर किसी आने वाले संकट की भविष्यवाणी करने के लिए सामान्य समझ ही पर्याप्त होती है, उसके लिए किसी छठी इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती। 24 फरवरी और उसके बाद के दिनों में उत्तर पूर्व दिल्ली में भड़की हिंसा से जिस कदर शांति भंग हुई और अड़तीस लोग मारे गए, उसके बारे में पूरी तरह से पहले से ही पता था। इसके लिए अगर कोई तैयार नहीं था तो वह सिर्फ दिल्ली पुलिस थी। 25 फरवरी 2020 के 'द हिंदू' अखबार के मुताबिक 'हिंसा करीब सौ पुलिसवालों की मौजूदगी में भड़की, जिन्होंने हालात के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की'।

महत्त्वपूर्ण यह नहीं है कि पहले किसने उकसाया, या किसने पत्थर फेंका या किसने पिस्तौल लहराई। महत्त्वपूर्ण यह है कि सरकार और सीएए विरोधियों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी, वह सड़कों पर आ गई और सीएए विरोधियों व सीएए समर्थकों के बीच युद्ध में तब्दील हो गई।

पिछले साल 11 दिसंबर के बाद से देश के अलग-अलग हिस्सों में काफी कुछ घटित हुआ था। शाहीन बाग, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में धरने-प्रदर्शन, मार्च, रैलियां, चुनावी वक्त में अपने-अपने हथकंडे और अदालतों में याचिकाएं। 23 फरवरी को एक भाजपा नेता ने दिल्ली पुलिस को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि 'दिल्ली पुलिस जाफराबाद और चांद बाग की सड़कों को खाली करा ले। इसके बाद हमें वह कोई सफाई न दे। फिर हम आपकी नहीं सुनेंगे। सिर्फ तीन दिन।'

क्या कोई योजना है?

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया (इसके चालीस फीसद छात्र गैर-मुसलिम हैं) और अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों को पीटने और घायल करने वाली हिंसा से संबंधित नया सबूत सामने आया। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता को ओर अंगुलियां उठाई गई थीं। अकेले उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोली से तेईस लोग मारे गए थे। सैकड़ों लोगों जिनमें अधिकतर छात्र थे, को गिरफ्तार किया गया था। जैसे-जैसे दिन गुजरते गए, अदालतों ने एफआइआर और पुलिस की रिपोर्टों की सत्यता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने सार्वजनिक रूप से असहमति के बचाव के पक्ष में बोला और असहमति व्यक्त करने वालों पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगाने को लेकर चेताया।

फिर भी सरकार ऐसे दावे और काम करती रही जैसे वह कहीं गलत नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ ऐसे कटु बयान आए, जो संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के बचाव में थे। इनमें बचाव की बजाय धमकियों की ध्वनि ज्यादा थी। एक ऐसा संदेह पैदा हो रहा है कि भाजपा किसी योजना पर काम कर रही है। कइयों को इस बात का शक है कि भाजपा अलग-अलग विचारों वाले लोगों को और कट्टर बना कर उन्हें सड़कों पर उतारना चाहती है और इस तरह वह ध्रुवीकरण को पूरा करना चाहती है। संभव है यह कठोर और सही नहीं लगे, लेकिन सरकार की जिद और प्रदर्शनकारियों (अकेले मुसलमानों से नहीं) से बात नहीं करने के कठोर फैसले से यह संदेह और गहरा जाता है।

सीएए-एनपीआर से फैलता खौफ

सरकार का कहना है कि एनपीआर एक सामान्य कवायद है और सीएए राष्ट्र हित में है और इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। यह समझ से परे है कि इस तरह का बचकाना तर्क कैसे कुछ लोगों के गले उतर सकता है। एनपीआर कहीं से भी सामान्य कवायद नहीं है, इसके फार्म में कई तरह के शरारतपूर्ण सवाल जोड़ दिए गए हैं। जहां तक सीएए का सवाल है, यह स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके अलावा, सीएए और एनपीआर एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले एनपीआर का काम शुरू किया जाएगा, ताकि 'सामान्य नागरिकों' की पहचान की जा सके और जो सामान्य नागरिक नहीं पाए जाएंगे, उन्हें 'संदिग्ध' के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा। इस स्तर पर सीएए प्रभाव में आ जाएगा। सारे 'संदिग्ध' लोग जो हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध या पारसी होंगे, उन्हें नागरिकता के लिए साधारण-सा आवेदन करने की अनुमति दे दी जाएगी और फिर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। बाकी बचे हुए लोग 'संदिग्ध' मुसलमान होंगे, जिन्हें सीएए के तहत कोई शरण नहीं मिलेगी।

डर इस बात का है कि एनपीआर की इस कवायद से लाखों मुसलमान बेसहारा हो जाएंगे। क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि लाखों मुसलमान इतने सतर्क हो गए हैं कि आमतौर पर घरों में रहने वाली हजारों मुसलिम महिलाएं और बच्चे सड़कों और बगीचों में कड़ाके की ठंड, बारिश और पुलिस की लाठियों को झेलते हुए धरना दे रहे हैं? उन्हें जो उम्मीद और हिम्मत मिल रही है, उसके पीछे हजारों गैर मुसलमानों और राजनीतिक दलों से मिलने वाला जोरदार समर्थन है।

लापरवाह और अलोकतांत्रिक

भाजपा लोकसभा में अपने संख्या बल का फायदा उठाते हुए अपने पक्षपातपूर्ण एजंडे को आगे ले जाने के लिए निर्लज्जता पर उतर चुकी है। लोकसभा चुनाव में अभी चार साल बाकी हैं। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अनिच्छा से छह मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था (तीन पश्चिम बंगाल में, दो जम्मू और कश्मीर में और एक लक्षद्वीप में और किसी अन्य राज्य में नहीं) और वह इस तथ्य को नहीं छिपाती कि अब वह मुसलमान मतदाताओं से सक्रियता से वोट मांगेगी। दूसरी बार सरकार बनने के बाद से ही प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनसे मुसलमानों के भीतर खौफ गहराया है। मुसलमानों में लगभग यह धारणा बन चुकी है कि केंद्र सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं करेगी। यह एक महत्त्वपूर्ण धारणा है। धारणाएं ही क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं।

एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार सरकार लोगों के पास जाती और उनसे बात करती। पिछले दो महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

इन सबका असर कुल मिला कर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसे टाला नहीं जा सकता। पिछले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में देश की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। यूरोपीय संघ, अमेरिकी कांग्रेस की कमेटियों और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से आए बयान इसके गवाह हैं। कई देशों ने निजी तौर पर भारत को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। विकसित देशों में सांसद, निवेशक और राय बनाने वाले टाइम, द इकॉनोमिस्ट, न्यूयार्क टाइम्स और वाल स्ट्रीट जरनल पढ़ते हैं और इनके आधार पर वे कड़ी आलोचनाएं करते रहे हैं।

भारत एक अघोषित धर्मतंत्र सरीखा व्यवहार कर सकता है। या फिर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जैसा बर्ताव कर सकता है। यह चाहे जो करे, भारतीय लोगों के लिए इसके दूरगामी और बहुत ही भयानक नतीजे होंगे और खासतौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए।

जय और पराजय

जीवन हर पल एक रण है। कोई भी स्थिति हो या कोई भी काल, अंधेरा हो या रोशनी, खुशी हो या गम, जीवन संघर्ष हमेशा जारी रहता है। दुख के समय से तो हम जूझते ही हैं, पर खुशी के पलों को आगे तक सहेज कर रखना भी एक चुनौती है। तो, इस जीवनव्यापी जद्दोजहद के दौरान हम क्या कर सकते हैं? चीन के महान विचारक सुन जू का कहना है कि हम उसे एक कला बना सकते हैं।

रण की कला- द आर्ट ऑफ वार- चीनी विचारक सुन जू की पतली-सी, पर बेहद प्रभावशाली किताब है, जो इस युद्ध कौशल को छोटी-छोटी हिदायतों के जरिए बड़े विस्तार से समझती है। जू का जीवन काल 544 से 496 ईसा पूर्व था, यानी आज से लगभग छब्बीस सौ साल पहले। प्राचीन इतिहास काल के इस चिंतक ने युद्ध कला की व्याख्या जिस पांडित्य से की है, उसकी आज तक कोई मिसाल नहीं है।

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

> भ्रम फैलाना युद्ध का सबसे घातक हथियार है। सफल नायक प्रतिद्वंद्वी को हमेशा भ्रम की स्थिति में रखता है। इससे विपक्षी नायक उलझन में फंस जाता है और अपनी फौज को सपष्ट निर्देश नहीं दे पता है। ऐसा होते ही फौज विघटित हो जाती है।

मास्टर सुन ने अपनी रचना में वास्तविक युद्ध के लिए उपयोगी सूत्रों को लिखा है और इसलिए विश्व भर के सेनानायक, जैसे फ्रांस के नेपोलियन, चीन के माओ, क्यूबा के फिदेल कास्त्रो, रूस के स्टालिन और अमेरिका के जनरल डगलस मैकआर्थर ने उसका उपयोग अपनी रणनीति बनाने के लिए करते रहे हैं। पर आर्ट ऑफ वॉर का उपयोग केवल इतना नहीं है। वह हर आम जीवन में हो रहे निरंतर संघर्ष पर विजय पाने के लिए बेहद सार्थक अध्ययन है। कॉर्पोरेट दुनिया में दशकों से इसका उपयोग तीखी प्रतिस्पर्धा में रणनीति बनाने के लिए किया जाता रहा है। साथ ही, राजनीति में जू के सूत्रों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि वास्तविक युद्ध और राजनीतिक पैंतरे एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें सिक्का सत्ता है।

मास्टर सुन जू का कहना है कि छल, कपट और धोखा युद्ध कौशल में स्वाभाविक रूप से निहित होते हैं और जो सेनानायक धोखा देने में निपुण नहीं है, वह कभी युद्ध नहीं जीत सकता। उनका कहना है कि सेनानायक को ऐसा कपट करना चाहिए कि जब वह आक्रमण करने को पूरी तरह तैयार हो तो प्रतिद्वंद्वी को लगे कि वह उस वक्त आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है। जब वह सेना को सक्रिय कर रहा हो, तो लगे कि शिथिल है और जब मजबूत हो, तो प्रतिद्वंद्वी उसे कमजोर समझे। इसके साथ सेनानायक को डर और प्रलोभन का चारा भी दुश्मन की फौज के सामने समय-समय पर डालते रहना चाहिए। विचारक का कहना है कि दुश्मन का डर अक्सर कारगर तो होता है, पर प्रलोभन उससे भी ज्यादा प्रभावपूर्ण होता है। युद्ध शुरू होने से पहले प्रभावी सेनानायक को इन दो प्रकार के छलों को उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि लड़ कर लड़ाई जीतने से बेहतर बिना युद्ध किए जीत जाना होता है।

जू कहते हैं कि अगर सेनानायक अपने को और अपने प्रतिद्वंद्वी को समझता है, तो उसको सौ युद्धों के परिणाम की चिंता नहीं होती है। वह हमेशा जीतेगा। अगर वह अपने को समझता है, पर दुश्मन को नहीं, तो हर एक जीत के बाद एक हार उसके हिस्से में आएगी। और अगर वह न अपने को समझता है और न ही दूसरे को, तो हर युद्ध में वह मुंह की खाएगा।

जू कहते हैं कि जय पाने के लिए नायक को पराजय की संभावना को खत्म कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, युद्ध में जाने से पहले अपने को ऐसी स्थिति में ले आना चाहिए कि जहां से हार संभव ही न हो। वे कहते हैं कि हार से अपने को सुरक्षित करना हमारे अपने हाथ में है, जबकि प्रतिद्वंद्वी अपनी हार का मौका खुद प्रदान करता है। नायक को अपने को पूर्णतः सुरक्षित करने के बाद, उस मौके का इंतजार करना चाहिए, जब प्रतिद्वंद्वी खुद-ब-खुद अपनी हार उसको थमा दे। इस तरह की जीत को पूरी जीत कहा जाता है। जू कहते हैं कि साहस और बुद्धिमता नायक के लिए उतनी जरूरी नहीं है जितनी कि उसकी गलती न करने की क्षमता है। इसलिए नायक को साहसी से ज्यादा चतुर होना चाहिए।

युद्ध आमने-सामने होकर लड़ा जा सकता है, पर जीता जाता है परोक्ष वार से। प्रत्यक्ष और परोक्ष वारों को साथ-साथ चलना चाहिए, एक घेरा बना कर, जिससे दुश्मन को यह पता न चले कि कौन-सा वार कब खत्म हुआ और दूसरा कब शुरू हुआ। इनके चलते प्रतिद्वंद्वी भ्रम के घेरे में फंस जाता है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। मास्टर सुन जू कहते हैं कि निपुण सेनानायक आक्रमण उस जगह करता है, जहां उसका प्रतिद्वंद्वी यह न समझ पाए कि क्या बचाव करे और अपना बचाव इस तरह करता है कि दूसरा यह न समझ पाए कि वह कहां आक्रमण करे।

भ्रम फैलाना युद्ध का सबसे घातक हथियार है। सफल नायक प्रतिद्वंद्वी को हमेशा भ्रम की स्थिति में रखता है। इससे विपक्षी नायक उलझन में फंस जाता है और अपनी फौज को सपष्ट निर्देश नहीं दे पता है। ऐसा होते ही फौज विघटित हो जाती है। सिपाहियों में संगठित उद्देश्य नष्ट हो जाता है और वह अपने नायक को नाकाबिल मानाने लगते हैं। उनका मनोबल गिर जाता है। वे अक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य अस्पष्ट हो जाता है। जोश को हताशा डस लेती है।

जू के अनुसार, फौज को जुटाने के लिए और रण में पूरी तरह से दिशा निर्देश देने के लिए चिह्नों और पताकाओं का विशेष महत्त्व है। सेनानायक युद्ध से दूर बैठ कर भी इनके माध्यम से सैनिकों को रणनीति के तहत चला सकता है। इसीलिए युद्ध संचालन के लिए, जू कहते हैं, पताकाओं और विशिष्ट चिह्नों का होना आवश्यक है। जो भी सेनानायक पताका के बिना युद्ध में जाएगा, वह हार कर ही लौटेगा। वास्तविक युद्ध हो, कॉर्पोरेट रणनीति या वोट की राजनीति दृश्य प्रतीकों के बिना जय अदृश्य रहती है।

हिंसा का हासिल

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

दिल्ली के दंगों में एक संदेश है। आशा करती हूं कि यह संदेश प्रधानमंत्री निवास तक पहुंच जाए। संदेश है कि नफरत की राजनीति से हमेशा पैदा होती है हिंसा। इस हिंसा को रोका जा सकता है, लेकिन जिस नफरत से वह पनपती है, उसके दाग कभी नहीं मिटते हैं। अदृश्य दर्द के घावों की तरह रह जाते हैं दशकों तक टूटे मकानों में, बर्बाद हुई बस्तियों में और उन परिवारों के अकल्पनीय दुख में, जिनका कोई बेटा, बाप या भाई बेमौत मारा गया हो सिर्फ नफरत के कारण।

प्रधानमंत्री निवास तक यह संदेश पहुंचना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि नफरत की आग लगाई थी उनके अपने साथियों ने, उनके मंत्रियों ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने। शुरुआत हुई थी नागरिकता कानून में संशोधन लाए जाने से बहुत पहले, जब गृहमंत्री ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों को जीतने के लिए नागरिकता को हथियार बना कर बार-बार आश्वासन दिया था अपने भाषणों में कि किसी भी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या पारसी को अपनी नागरिकता गंवाने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। नाम अगर नहीं लिया देश के इस शक्तिशाली राजनेता ने तो सिर्फ मुसलमानों का। मगर जो कहना चाह रहे थे मुसलमानों को, उस बात को पूरा मुसलिम समाज समझ गया। इसके बाद जब नागरिकता कानून में संशोधन लाया गया धर्म के आधार पर, पहली दफा भारत के इतिहास में, तो संदेश भारत के आम मुसलमानों तक पूरी तरह पहुंच गया और विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे दिसंबर 15 को दिल्ली के जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय से।

पुलिस की ज्यादतियां इस विश्वविद्यालय में देख कर शुरू हुआ शाहीन बाग का किस्सा। दिल्ली की ठंडी रातों में महिलाएं बैठी रहीं अपना विरोध जताने। मोदी सरकार के किसी भी मंत्री ने इन औरतों से मिल कर बात करने की तकलीफ की होती, तो फौरन जान जाते कि उनकी

> नफरत का परिणाम यह है कि दिल्ली की कई बस्तियां पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं या उनमें नफरत का जहर इतना फैल गया है कि हिंदुओं और मुसलमानों में दुबारा भाईचारा कायम करने में बहुत वक्त लग सकता है। दंगे रुक जाते हैं हमेशा, लेकिन नफरत जब किसी शहर के हवा-पानी में घुल जाती है, जहर बन कर रह जाती है उस शहर की रगों में।

चिंता असली थी। मैंने जब इन महिलाओं से मिल कर समझाने की कोशिश की थी कि सीएए से उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने मुझे उलटा समझाया कि इस बात को वे अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन गृहमंत्री ने बार-बार कहा है कि सीएए के बाद देश भर में आएगा एनआरसी और उनको डर इससे है, क्योंकि उनको मालूम है कि अपनी भारतीयता साबित करनी होगी सिर्फ मसलमानों को। गरीब मुसलमानों के पास कहां रखे होते हैं दस्तावेज? जब शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शन होने लगे देश भर में, तो प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से आश्वासन दिया कि फिलहाल एनआरसी लाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है उनकी सरकार।

तब तक शरजील इमाम जैसे जिहादी शामिल हो गए थे विरोध प्रदर्शनों में। सो, जब दिल्ली का चुनाव अभियान शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहीन बाग को 'गद्दारों' का अड्डा साबित करने में लग गए। ऐसे भाषण दिए गए, जिनसे सीएए का विरोध करने वालों को पाकिस्तानी और जिहादी कहा गया। चुनाव आयोग के हस्तक्षेप से कुछ लोगों को चुनाव प्रचार करने पर कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। नफरत फैलती रही इतनी कि दंगे तो होने ही थे। बेशक भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि दंगे उस समय शुरू हों जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में खास मेहमान थे, लेकिन क्यों नहीं कपिल मिश्रा जैसे लोगों को नियंत्रण में रखा गया?

नफरत का परिणाम यह है कि दिल्ली की कई बस्तियां पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं या उनमें नफरत का जहर इतना फैल गया है कि हिंदुओं और मुसलमानों में दुबारा भाईचारा कायम करने में बहुत वक्त लग सकता है। दंगे रुक जाते हैं हमेशा, लेकिन नफरत जब किसी शहर के हवा-पानी में घुल जाती है, जहर बन कर रह जाती है उस शहर की रगों में। यह संदेश क्या पहुंचेगा प्रधानमंत्री निवास तक?

तीन दिन जला इतिहास

तीन दिन महामहिम! तीन दिन दंगे! कैसा विरोधाभास!

तीन दिन महायात्रा! तीन दिन महास्वागत! तीन दिन महाजश्न! तीन दिन महा समझौते! और उसके बाद चिड़िया फुर्र!

तीन दिन जली दिल्ली! तीन दिन जला देश! तीन दिन तीन दिन! कहीं आग लगती रही, कहीं गोली चलती रही! तीन दिन!

तीन दिन जगे भाग्य कि बाईस किलोमीटर के 'रोड शो' को इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष देखा। सड़क के दोनों ओर की गरीबी छिपाने की खातिर दीवार उठा दी गई, ताकि महाहिम का जायका न हो खराब! यह थी गुजरात कृत 'चीफ की दावत'!

एक शाम मोटेरा! एक लाख लोगों की जय जयकार! उनकी 'नमस्ते' और हमारी तालियां! अपना देश धन्य धन्य! फिर एक सुबह दिल्ली में 'गार्ड ऑफ आनर'! ये 'गार्ड ऑफ आनर' क्या होता है? इसके एक-एक ब्योरे को बताते और कयास लगाते हमारे पूर्व कूटनीतिज्ञ कि विश्व में भारत की चुटिया डूबी कि उछली!

वह 'फर्स्ट वर्ल्ड' तो हम 'थर्ड वर्ल्ड'! 'फर्स्ट वर्ल्ड' की खुशबू भी काफी!

फिर मुहब्बत के प्रतीक ताजमहल देखने जाना और इस उबाऊ दौरे पर भी चैनलों का बर्बाद होते रहना! फिर कुछ महा समझौते और फिर फुर्र!

और इन्हीं तीन दिन पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, खजूरी खास, चांदबाग, मुस्तफाबाद का वह वहशत भरा 'सबाल्टर्न' चेहरा प्रकट हुआ, जो अपनी घृणा में लहूलुहान रहा!

इन्हीं तीन दिन कीर्तनिए चैनल करते रहे महामहिम जी की महायात्रा का कीर्तन और इन्हीं तीन दिन जलती रही दिल्ली और जलता रहा देश! ज्यादातर समय भूलते रहे घृणा से बजबजाती पूर्वी दिल्ली को और गाते रहे महामहिम की महिमा के गान!

हर समय सत्य के लिए मरने की दुहाई देने वाले खबर चैनल दिल्ली के लिए कतई न मरे!

महामहिम की दिव्य यात्रा के समांतर भाजपा के मिश्रा जी ने सीएए विरोधी धरने वालों को जाफराबाद जाकर कुछ इस आशय की चेतावनी दे डाली कि या तो रास्ता खाली कर दो नहीं तो हम खाली करवा देंगे। हम इसे शाहीनबाग नहीं बनने देंगे!

ऐसे पुण्य प्रलाप ने बहुत जल्द अपना रंग दिखाया! कुछ देर बाद ही इन इलाकों में पागल उन्मादी भीड़ें नजर आने लगीं। चलती लाठियां, चलते डंडे और पत्थर! कपड़ों से ढके चेहरे कि कहीं कोई पहचान न ले! कहीं आग लगी दिखती, कहीं से धुआं उठता दिखता।

बदहवास रिपोर्टर अपने को बचाते हुए हमें कांपती आवाजों से बताते कि हिंसा का तांडव हो रहा है...

और दिल्ली की पुलिस इस कदर लाचार कि कथित मोहम्मद शाहरुख नाम का एक गुंडा कुछ दूर से पिस्तौल से

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

> एक दंगा पूर्वी दिल्ली में, तो दस दंगे चैनलों में! एक चैनल कहता है कि हमारे एक रिपोर्टर के तीन दांत टूटे हैं, दो और घायल हुए हैं। दूसरा बताता है कि हमारे वाले ने तो भीड़ से जैसे तैसे जान बचाई है... पत्रकार निशाना बनाए जा रहे हैं...

गोली दागता आता है और सामने खड़े सिपाही की कनपटी पर पिस्तौल सटा कर निकल जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार तक नहीं करती!

देर तक चैनलों पर एक ही सवाल गूंजता रहता है कि पुलिस क्या कर रही है? और जवाब वही घिसा-पिटा कि हम स्थिति पर नजर रखे हैं..!

घृणा का बाजार गरम कि पुलिस की एक टुकड़ी को बंधक बना लिया गया है और पुलिस उसे निकालने जा रही है, कि दंगाई ट्रंप के दौरे को अपने लिए एक अवसर बना रहे हैं कि भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है..!

शनिवार की शाम तक एंकर और चर्चक अपने-अपने मचानों पर अपनी-अपनी बंदूकें तान कर एक-दूसरे पर गोली दागे जा रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारी हैं कि हत्यारे हैं, बहत्तर दिन तक सहा! अब हटाओ शहीन बाग को! फिर दहाड़ता है कि कहां है उदार धड़ा? कहां हैं वे 'सेलीब्रिटीज'? कहां हैं इस दल के नेता, उस दल के नेता?

ब्रेकिंग : रात के नौ बजे हैं और अब तक तेरह मर चुके हैं।

एक दंगा पूर्वी दिल्ली में, तो दस दंगे चैनलों में! एक चैनल कहता है कि हमारे एक रिपोर्टर के तीन दांत टूटे हैं, दो और घायल हुए हैं। दूसरा बताता है कि हमारे वाले ने तो भीड़ से जैसे तैसे जान बचाई है... पत्रकार निशाना बनाए जा रहे हैं... सोनिया की गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग! एक पूछता है कि जब दिल्ली जल रही थी, गृहमंत्री कहां थे?

दंगों के पहले दिन एक चैनल खबर 'ब्रेक' करता है कि पुलिस अफसर अमित घायल हुए और उनको बचाने आए कांस्टेबल रतनलाल को गोली मारी गई। हाय-हाय! फिर एक खबर आती है कि आइबी अफसर अंकित शर्मा का शव नाले में मिला है। मरने वालों की संख्या तैंतालीस हुई!

अगले रोज जब देखते ही गोली मारने का आदेश होता है, तब स्थिति काबू में आती है! नए पुलिस अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल खजूरी खास, जाफराबाद और चांदबाग के दंगाग्रस्त मुहल्लों में गली-गली दौरा करते हैं, वहां के डरे हुए लोगों से बातचीत कर उनको आश्वासन देते हैं कि आपकी हिफाजत का पूरी मुस्तैदी से खयाल रखा जाएगा... वे नब्बे मिनट तक दो किलोमीटर पैदल चल कर आश्वस्ति का वातावरण बनाते हैं... कांग्रेस राजघाट तक शांति मार्च करती है...!

कि फिर कपिल मिश्रा के ट्विटर से उपलब्ध हुआ एक 'अप्रमाणित' वीडियो सब चैनलों पर छा जाता है। यह 'आप' के पार्षद ताहिर हुसैन और उनके घर का है। यह हर चैनल पर बार-बार बजाया जाता है, फिर हर चैनल का रिपोर्टर, कैमरामैन ताहिर के मकान के अंदर जा-जाकर सीधा प्रसारण करने लगता है और सारी कहानी ताहिर की इस 'दंगा फैक्ट्री' पर आकर रुक जाती है : पांच मंजिला मकान! हर मंजिल पर पत्थरों से भरे थैले, छत पर तेजाब की थैलियां! पेट्रोल से भरी बोतलों की क्रेटें और दूर तक मार करने वाली गुलेल! वहीं अंकित शर्मा के घर वाले कह चुके हैं कि वही शर्मा का हत्यारा है! फरार ताहिर पर एफआइआर की जाती है..!

तीन दिन तीन रात च0मकी दिल्ली! तीन दिन जली दिल्ली! तीन दिन जला इतिहास!

www.readwhere.com

किताबें मिलीं

अधूरा राष्ट्रगान

सुना है आदमी बड़ा हो गया है/ चांद पर खड़ा हो गया है/ पर आदमी के अंदर का आदमी/ धरती की खाई में खो गया है' – इस काव्य संग्रह की यह पहली कविता ही कवि की आंच का तापमान बता देती है। रोजाना की जिंदगी में दो जून की रोटी के लिए तड़पते, मांगते बच्चों को देखते हैं तो शायद ऐसा ही करंट पैदा होता है कि यह तमाशा चांद और मंगल और जाने किस ग्रह के लिए हो रहा है! काश यह जमीन पर रह रहे लोगों को भी देख पाते। ऐसा मिजाज 'मूंगफली' कविता में भी दिखता है। आम आदमी के जुड़ाव का आत्मविश्वास। याद आती है निराला की कविता 'गुलाब और कुकुरमुत्ता' जिसमें कुकुरमुत्ता अकड़ से गुलाब की ऐसी–तैसी करता है। किसी वक्त में कुछ आलोचकों ने गुलाब में उन दिनों के एक राजनेता की ओर इशारा किया था। यहां तो हर राजनेता ऐसा ही नकली गुलाब है। यह इसी संवेदना की कविता है। 'कामवाली बाई' इधर से उधर भागती–दौड़ती उन महिलाओं की कविता है जो लगातार जूझती रहती है और सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जिन्हें कुछ भी हासिल नहीं है।

लेकिन ऐसा नहीं कि कवि समानता के इसी दर्द से लबरेज हैं। कहते हैं न कि पत्थर के अंदर भी कुछ नमी होती है और यहां तो ऐसी नमी के कई द्वीप हैं। एक कविता है, 'जब तेरी नजर में'– 'मैं अभी अर्द्ध खिला फूल हूं/ एक बार टूट गया तो फिर नहीं खिल पाऊंगा/तब मुझे नहीं यह तेरा शहर छोड़ जाऊंगा।' संग्रह की एक और कविता है– 'मुझे अब भी' जिसकी अंतिम लाइन है– आंहों से धुआं उठता है। वाकई आह ऐसे ही जज्बात पैदा करती है। शहर छोड़ने के भी और कभी–कभी दुनिया छोड़ने के लिए भी।

अधूरा राष्ट्रगानः ओमप्रकाश सिंह 'शांत'; अंतिका प्रकाशन प्रा. लि., सी–56/ यूजीएफ–4, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन–2, गाजियाबाद (उप्र); 250 रुपए।

लच्छी

लच्छी' एक किरदार की कहानी है और एक समय की भी। एक शहर की कहानी है और एक समाज की भी। अल्मोड़ा के माल रोड से सटे हुए 150 साल पुराने विश्वनाथ निकेतन में लेखिका की बतौर नातिनी कूच की कहानी भी। यह गृहस्थ जीवन और आराध्य आस्था के प्रति समकालीन भावनाओं के चूर होने की कहानी तो है ही। और समय के आंगन में उसी चूरे की रंगोली की कहानी भी है यह।

भारतीय समाज जैसा जो कुछ भी है और उसमें संयुक्त परिवार की जैसी भी कल्पनाएं हैं, लच्छी वहीं से शुरू होती है और वहीं पर खत्म भी। यहां पूर्वजों की फोटो दीवार पर लटके हुए बोलती तो नहीं हैं, पर देखती जरूर हैं। इन दीवारों के बीच उनके दरवाजों की छह किलो की चाबी के आदान–प्रदान की क्रियाओं ने आने–जाने का एक नया मानचित्र बना डाला है, घर के मानचित्र से अलग। और जिस शहर में यह घर है, उसकी सर्दियों में भटकते हुए गपोड़ियों के मुंह से निकलने वाली गप्पों की कहानी है लच्छी।

इसकी कहानी कुमाऊंनी समाज के अतीत के प्रति उदासीनता पर प्रहार भी करती है और उसका आहार भी बन पड़ती है। कहानी लच्छी के अल्हड़पन और दायित्वपूर्ण सयानेपन के बीच के रास्ते के सफर में पाठकों का परिचय जटिलतावाद से कराती है। एक ऐसा विमर्श जो लच्छी की लच्छीमयता, अल्मोड़ा की अल्मोड़ियत और मध्यमवर्गीय जीवन की माध्यमिकता के पनपने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। अगर सत्य का सबसे नजदीकी अहसास व्यंग्य और मर्म के आभास से हो सकता है तो लच्छी बदलते समाज पर एक मार्मिक व्यंग्य की रचना है।

लच्छी; भूमिका जोशी; वाणी प्रकाशन, 4695, 21–ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 199 रुपए।

कोहरे में यात्रा

गद्य साहित्य के कथेतर विधाओं की ओर पाठकों की दिलचस्पी इधर बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण अपने परिवेश और खास कर साहित्यिक परिवेश के अंतरंग के प्रति जिज्ञासा। कथेतर विधाओं में कल्पना की अपेक्षा सच का आग्रह अधिक होता है। संस्मरण विधा उन्हीं में एक हैं जिसमें तिथियों और घटनाओं की वास्तविकता का ऐसा आत्मीय आकर्षण होता है जो कुछ ज्ञात के साथ बहुत कुछ अज्ञात से भी परिचित कराता है।

संस्मरण वही स्थायी महत्त्व प्राप्त करते हैं जो किसी को उठाने–गिराने या किसी की प्रशंसा–निंदा के लिए नहीं, बल्कि किसी के अंतःमन में प्रवेश करके व्यक्त में अव्यक्त को देखने और दिखाने की क्षमता रखते हैं। इस अर्थ में संस्मरण कृपाण की धार पर संतुलन की साधना तो है ही, एक निर्मल चित्त की पावन अभिव्यक्ति भी है। संस्मरणों में संस्मरणकार का अपना जीवन भी आ जाता है पर वह उसका लक्ष्य नहीं होता। संस्मरणों और रेखाचित्रों की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा के शब्ध उधार लेकर कहें तो संस्मरणकार का निकटता जनित आत्म–विज्ञापन उस राख से अधिक महत्त्व नहीं रखता जो अंगारों को सजीव रखने के लिए ही उन्हें घेरे होती है।

राधेश्याम तिवारी के इन संस्मरणों की विशेषता यह है कि इनमें विश्वसनीयता के साथ पठनीयता भी है। लेखक ने न किसी की अतिरिक्त प्रशंसा की है न सोद्देश्य निंदा, बल्कि उसने लेखकों के अंतः में झांक कर उनकी वास्तविकता का बयान किया है। कहीं–कहीं कुछ सख्त टिप्पणियां हैं तो वे भी सच के आग्रह के ही कारण। इन संस्मरणों में पाठक को अपने समय का सांकेतिक और मनोरम साहित्यिक परिदृश्य मिलेगा।

कोहरे में यात्राः राधेश्याम तिवारी; संजना प्रकाशन, डी–70/4, अंकुर एनक्लेव, करावल नगर, दिल्ली; 195 रुपए।

वाह उस्ताद!

ताल गया तो बाल गया, सुर गया तो सर गया' ऐसी होती है भारतीय शास्त्रीय संगीत के घरानों की परंपरा– जहां संगीत के हर एक पहलू पर इतना बारीकी से ध्यान दिया जाता है। वर्षों की कड़ी मेहनत और रियाज से ही बन पाता है कोई ऐसा गायक कि जिसे सुनकर श्रोता कह उठते हैं– वाह उस्ताद!

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घरानों की परंपरा रही है। देश के अलग–अलग प्रांतों और शहरों से इन घरानों की शुरुआत हुई और उन्हीं के नाम पर रखे गए घरानों के नाम। हर घराने की अपनी खासियत, अपना इतिहास और अपना वंश है। यों तो संगीत का आनंद लेने के लिए जरूरी नहीं कि संगीत का ज्ञान हो लेकिन अगर थोड़ी–बहुत संगीत की जानकारी हो, यह मालूम हो कि गायक और वादक के संगीत का क्या संदर्भ है, तो उसे सुनने में और ही आनंद आता है। इस पुस्तक में अलग–अलग घरानों से संबंधित जानकारी और उससे जुड़े किस्से–कहानियां हैं। इनमें से कई किस्से–काहनियां लेखक की सुनी–सुनाई हैं तो कई जगह अधिक रोचक बनाने के लिए मौजूदा तथ्यों का नाटकीयकरण किया गया है।

वाह उस्ताद : प्रवीण कुमार झा; राजपाल एंड संज, 1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेड, दिल्ली; 250 रुपए।

शिक्षा और रोजगार

शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। इस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए हैं, पर उल्लेखनीय नतीजे नजर नहीं आते। इसलिए पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। इससे पार पाने के मकसद से विज्ञान और तकनीकी पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया, मगर वहां भी अनुसंधान, शोध और उनसे रोजगार सृजन के क्षेत्र में उत्साहजनक परिणाम नहीं दिखते। शिक्षा और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान आदि को लेकर क्या स्थिति है, इस बार की चर्चा इसी पर। – संपादक

शिक्षा से रोटी का सवाल

रमेश दवे

शिक्षा का अर्थ तो है आगे बढ़ना, लेकिन पीछे मुड़–मुड़ कर देखने की ऐसी आदत हो गई है कि हमें वेदों में शिक्षा–शास्त्र और गणित के दर्शन होते हैं, उपनिषद हमारी चेतना पर तने हुए हैं और पुराणों की कथाओं से हम समाज को छलने लगे हैं। हमारा यह अतीत प्रेम हमें अपने समय का कोई कथा–पुराण रचने ही नहीं देता। नीतियों में भूख, रोटी और कर्म के बजाय आदर्शों का एक जादुई पिटारा रच दिया जाता है, जिसमें से सब कुछ तो निकलता है, लेकिन रोटी नहीं निकलती। समाज इतना संवेदन–शून्य है कि उसे सड़क के गड्ढों की जितनी चिंता है उतनी शिक्षा, शिक्षक, पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि द्वारा किए गए गड्ढों की चिंता नहीं होती।

अब कोई भी दल, नेता, राजनीति या सरकार देश की राजनीति नहीं करती। वे देश की राजनीति के बजाय द्वेष की राजनीति में लगे हैं, इच्छाशक्ति के बजाय ईर्ष्या–शक्ति आजमा रहे हैं। आजादी के बाद का समाज भी अपने पुराने राजाओं, नवाबों और सामंतों के सजदे, सलाम और गुणगान से मुक्त नहीं हो पाया। शिक्षा ने प्रसार–प्रचार कर अपना विस्तार तो खूब किया, लेकिन ऐसी शिक्षा क्यों नहीं बनी कि समाज युद्ध मुक्त होता, आतंक मुक्त होता, अपराध मुक्त होता, घृणा–मुक्त होता? हम तो अच्छे काम की प्रशंसा भी इसलिए नहीं कर पाते कि अच्छा काम करने वाली सरकार हमारे दल की नहीं है। जब कोई सरकार जनता द्वारा बना दी जाती है तो वह दल की सरकार न होकर, देश, प्रदेश और जनता की सरकार होती है। मगर हम इसे भूल ही गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई बार बनी। वर्ष 1968 में, 1986–92 में और अब शायद 2020 में भी लागू हो जाए। पहले की दो नीतियों ने शब्द तो अच्छे दिए, विचार भी ठीक–ठाक दिए, लेकिन शब्द–बल, आत्मबल बन कर कलम से कर्म पैदा न कर सका, विचार हमें उदार नहीं बना सका। इसलिए नीतियों के पन्नों से अलग–अलग दलों के चेहरे तो झांकते नजर आते हैं, लेकिन इस देश की बालक, किशोर, युवा पीढ़ी और उनके वर्तमान या भविष्य के चेहरे दिखाई नहीं देते।

हम शिक्षा में आगे बढ़े तो क्या शिक्षा से एक चरित्रवान देश के रूप में आगे बढ़े? क्या हम अधिक ईमानदारी में बढ़े या सरकारी कामकाज में कथित रिश्वत और विलंब में आगे बढ़े? आगे बढ़ने का अर्थ है एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण। यह खुशहाल राष्ट्र क्या हमारी शिक्षा से बना? क्या हमने अपने बच्चों को राष्ट्र माना? क्या लोकतंत्र में संविधान, सरकार, न्याय–व्यवस्था, जन–प्रतिनिधि, सरकारी संस्था और संपत्ति और सर्वधर्म–समभाव आदि का सम्मान और उनकी रक्षा का ऐसा पाठ्यक्रम बनाया, जिससे लगता कि हमारा लोकतंत्र, लोक–आस्था का लोकतंत्र है?

जो भी शिक्षा व्यवस्था आज है, उसे अच्छी या खराब कह देने से शिक्षा का सही मूल्यांकन नहीं होता। जब तक हर सरकारी स्कूल, वहां की व्यवस्था, वहां का शिक्षक, बच्चों को राष्ट्र समझ कर काम नहीं करता और निजी स्कूलों से बेहतर नहीं हो जाता, तब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि हमारा स्कूल आगे बढ़ा, शिक्षक आगे बढ़े, छात्र आगे बढ़े और इन सबसे मिल कर शिक्षा आगे बढ़ी। अगर हमारी सरकारी व्यवस्था अपने उपलब्ध बजट का ही सही इस्तेमाल करे, शिक्षक और शैक्षिक प्रशासन ईमानदार और संकल्पवान हो उठें तो इससे हमारी तेजस्वी पीढ़ी आगे बढ़ कर दिखा देगी। अगर हमारे उच्च–अध्ययन संस्थानों से निकलने वाले छात्र विश्व भर में जाकर भारतीय शिक्षा का गौरव बढ़ा रहे हैं, तो हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान क्या उत्कृष्टता का शिखर नहीं छू सकते?

सच पूछा जाए तो हमारा मानवीय चरित्र बिगड़ा है और राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र शिक्षा और जन के प्रति ईमानदार नहीं रहा है। शिक्षा

चर्चा

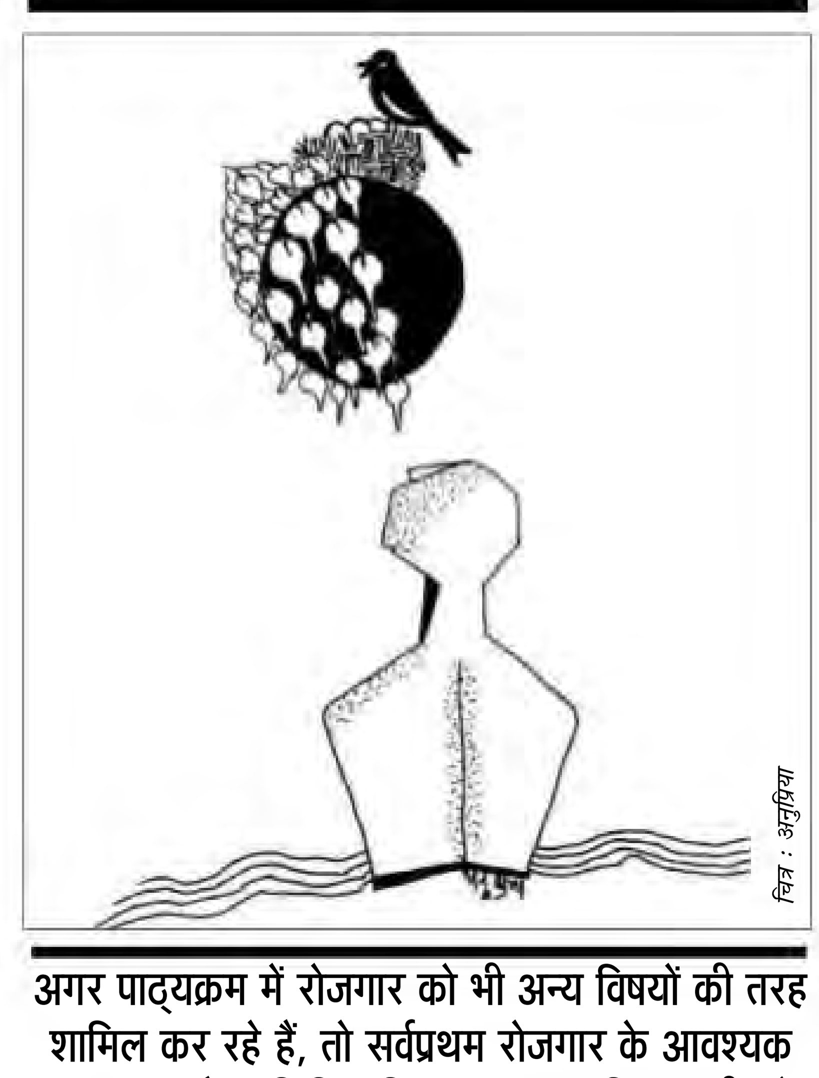

चित्र : अनुप्रिया

अगर पाठ्यक्रम में रोजगार को भी अन्य विषयों की तरह शामिल कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम रोजगार के आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक या पारंपरिक कारीगरों की व्यवस्था करनी होगी, शिक्षा और रोजगार के संयुक्त काम के निष्पादन का लगातार मूल्यांकन करना होगा और उसे परिणाम–मूलक बनाना होगा।

आज स्वैच्छिक और आत्मज्ञान का साधन बनने के बजाय संस्थागत ज्ञान में बदल गई है। संस्था का होना व्यवस्था का होना है। व्यवस्था का होना संसाधन, संरचना और समान अवसरों के नियमानुसार संयोजन का नाम है। देश का नागरिक अब प्रश्न करना भूल गया है या प्रश्न करना उसने छोड़ दिया है। आम नागरिक की शिक्षा–नीति और उसके क्रियान्वयन में कोई खास भूमिका भी नहीं होती। कुछ संभ्रांत वर्ग के उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, समाजकर्मी, राजनीतिक और प्रशासक नीति तय करते हैं, जिनमें दो–चार शिक्षक अपनी मौन उपस्थिति से बड़े अधिकारियों से सहमे–सहमे मूर्तिवत दिखाई देते हैं। संवाद अंग्रेजी में होने से जो जन–प्रतिनिधि, शिक्षक, समाजसेवी अंग्रेजी कम जानते हैं, वे हीन भावना से ग्रस्त होकर अपना मुंह नहीं खोल पाते। तात्पर्य यह कि शिक्षा नीति संभ्रांत समाज और भ्रांत प्रशासकों की मिलीजुली आत्म–सुविधायुक्त नीति होती है। बावजूद इसके नीति सिद्धांत रूप में आकर्षक और स्वीकृति योग्य मान कर लागू कर दी जाती है।

कुछ दार्शनिक किस्म के शिक्षाविदों, कुलपतियों, विचारकों का यह मत है कि शिक्षा क्षमता पैदा करने का माध्यम है, रोजगार देने का नहीं। यह धारणा अब बदलनी होगी, क्योंकि अधिकांश अच्छे रोजगार तो शिक्षा ही पैदा कर रही है। गरीब तो अपना रोजगार या तो खुद पैदा कर लेता है या भीख मांग लेता है। इस देश में आजादी के पहले भी गरीब भूखा था और आज भी पूरा भूखा न सही, आधा भूखा तो है ही, पूरा घर उसके पास नहीं तो रैन बसैरे का चबूतरा तो उसके पास है ही। शिक्षा न तो भूख से लड़ने का हथियार है, न रोजी कमाने का हाथ। अक्षरों और अंकों की दुनिया में आकर सीखने वाला बाल, किशोर, युवा अपने आसपास की दुनिया से सीखना ही भूल जाता है।

अगर पाठ्यक्रम में रोजगार को भी अन्य विषयों की तरह शामिल कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम रोजगार के आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक या पारंपरिक कारीगरों की व्यवस्था करनी होगी, शिक्षा और रोजगार के संयुक्त काम के निष्पादन का लगातार मूल्यांकन करना होगा और उसे परिणाम–मूलक बनाना होगा।

माना कि शिक्षा से समाज का सशक्तिकरण होता है, लेकिन समाज को शक्ति के वे उपकरण भी देने होंगे, जो पढ़ने, खेलने और कुछ काम करने को प्रेरित करें। नीतियां तब तक बुरी नहीं होतीं, जब तक उन्हें इरादतन बुरा न बनाया जाए। शिक्षा में जबसे सवर्ण, अवर्ण, अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति आदि के भेद किए गए, तबसे शिक्षा में भी जातिवाद उभरा और सामाजिक तनाव पैदा होने लगे। इसी प्रकार भाषाओं को सीमित क्षेत्र में कैद कर दिया गया। गांधी, तिलक, रवींद्रनाथ, सुनीति कुमार चटर्जी, सुभाष बोस आदि सभी महान विचारकों ने आजादी के पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन आज तो राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक सबके सब विवाद का विषय बन गए हैं। हम चाहे जिस धर्म का पालन करें, धर्म हमें उदार बनाने के बजाय संकीर्ण बना रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ है शिक्षा मनुष्य में मनुष्यगत गुणों के निर्माण और विस्तार में विफल हो गई है।

अब फिर तीसरी बार एक संपूर्ण शिक्षा नीति आ रही है। सामयिक परिवर्तनों, विकास और चुनौतियों के आधार पर नीति में भी परिवर्तन आवश्यक तो है, लेकिन नीतियों की आंखों पर दलों, विचारधाराओं, जातियों आदि का चश्मा न लगाया जाए। शिक्षा से अच्छे इंसान का निर्माण हो, वे इंसानियत का पाठ्यक्रम पढ़ें और इंसानियत आजमाने के इम्तहान में पास हों, तभी देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा–नीति आज तक ऐसा रूप क्यों न ले सकी कि हर हाथ में रोटी कमाने की ताकत और क्षमता हो। हमारी शिक्षा को ऐसा होना चाहिए, जिसमें एक पाठ्यपुस्तक रोटी कमाने के हुनर भी दे। रोटी जीवन की मांग है और देश की हर छात्रा–छात्र अगर रोटी के पाठ्यक्रम में सफल हो जाए तो शिक्षाशास्त्र वास्तव में रोटी–शास्त्र बन कर देश को बेरोजगारी और बेरोजगारों की निराश भीड़ से मुक्त कर सकता है।

विज्ञान के प्रति रुचि जगाने की जरूरत

संजय दुबे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां बड़ी हैं। पर भारतीय जनता के वैज्ञानिक रुझान को लेकर सवाल उठते रहते हैं? हमारे यहां विज्ञान से ज्यादा उज्ज्वल भविष्य युवाओं को मार्केटिंग में दिख रहा है। उन्हें पता है कि बायोटेक में स्नातक होकर वे जितना कमाऐंगे उससे ज्यादा कहीं उसके विकसित उत्पाद बेच कर कमा लेंगे। ऐसे में विज्ञान के प्रति छात्रों और नौजवानों में रुचि कम होना स्वाभाविक है। भारत ने पिछले चार सौ साल से शुरू हुई वैज्ञानिक खोजों में वह मुकाम नहीं हासिल किया, जितना पश्चिमी जगत ने बनाया। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं अपने यहां की शिक्षण पद्धतियां। हर भारतीय भाषा में गिनती की विज्ञान अभिरुचि जागृति करने वाली किताबें हैं। फिर भी नौवीं, दसवीं तक जाते–जाते ही कई छात्रों के मन में विज्ञान के प्रति रुचि जागती है। मगर जैसे–जैसे वे ऊंची कक्षा में जाते हैं उनकी अंग्रेजी भाषा पर निर्भरता बढ़ती जाती है।

इतनी सारी कमियों के बावजूद भारत ने इस क्षेत्र में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत तीन तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। बुनियादी शोध, अनुप्रयुक्त शोध और प्रयोगात्मक विकास। इंडियन साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 बताती है कि भारत बुनियादी शोध के क्षेत्र में शीर्षस्थ देशों में शामिल है। भारत के पास तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनशक्ति है। भारत, विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान में दुनिया में सातवें स्थान पर है। नैनो तकनीक पर शोध के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। प्रत्यूष नामक सुपर कंप्यूटर के निर्माण के बाद हम जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में चौथे स्थान का देश बन चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा स्थान सत्तावनवां है। वैश्विक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी हमारी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। 2010 में जहां देश में 710 मल्टीनेशनल कारपोरेशन रिसर्च सेंटर थे अब इनकी संख्या 1150 के पार हो चुकी है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव–ऊर्जा, जल तकनीक सहित परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी पर्याप्त निवेश और अनुसंधान हो रहे हैं।

ऐसा नहीं कि देश ने सिर्फ परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ही प्रगति की है। हमने कई छोटे, मगर महत्त्वपूर्ण आविष्कार किए, जिससे देश की विदेशी निर्भरता इन पर से समाप्त हो गई। इसने न केवल विदेशी कंपनियों का यहां एकाधिकार खत्म किया, बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी तेज कर दिया।

इसका एक उदाहरण खून रखने वाली थैली यानी ब्लड बैग की खोज का है। पहले रक्त को शीशे की बोतलों में रखा जाता था। जिसमें रक्त का सुरक्षित रहना काफी कठिन होता था। इसमें संक्रमण के खतरे ज्यादा होते थे। कभी–कभी तो किसी रक्त समूह के रक्त की इतनी त्वरित जरूरत होती थी कि चिकित्साकर्मी के इसे जल्दी उपलब्ध कराने के उपक्रम में कभी–कभी ऐन वक्त पर बोतल फूट जाती थी। इस बैग ने इन सारी झंझटों से इस क्षेत्र को राहत दे दी। ऐसा ही एक वाकया न्यूक्लियर बायोलॉजी और डीएनए आधारित अनुसंधान का है। 1997 में हैदराबाद स्थित ऐसे एक सार्वजनिक शोध संस्थान की मदद से शांता बायोटेक्नीक ने भारत में पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी की अगुआई की। इस कंपनी ने हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को बाजार में महज पचास रुपए की कीमत पर उपलब्ध करा दिया। इसे विदेशी कंपनियां भारत के भीतर साढ़े सात से साढ़े आठ सौ रुपए में बेच रही थीं। अब इस रक्त बैग

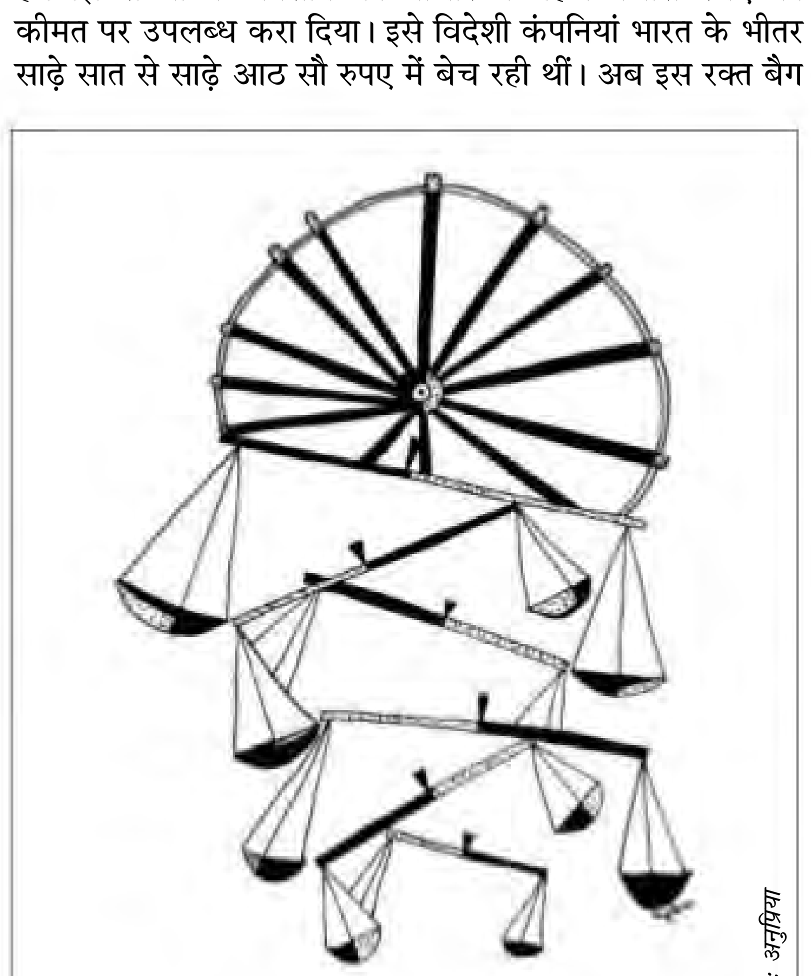

चित्र : अनुप्रिया

विज्ञान के प्रचार–प्रसार और समाज के हर तबके में अभिरुचि पैदा करने के भी प्रयास होने चाहिए। साथ ही इन क्षेत्रों में करिअर बनाने वाले छात्रों को विदेशों की तरह वेतन–भत्ते की व्यवस्था होनी चाहिए।

को उत्पादित और वितरित करने वाली पेनपोल कंपनी दुनिया में इस बैग की अड़तीस फीसद आपूर्ति कर रही है। इसी के साथ एक क्षेत्र और है– झींगा पालन का, जिसने किसानों की जहां लागत घटा दी, वहीं मुनाफा बढ़ा दिया। केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान, चेन्नई ने एक डाइग्नोस्टिक किट खोजी। इसकी मदद से रोगजनक वायरस की पहचान में आसानी हो गई। इससे तटीय क्षेत्र तमिलनाडु सहित अन्य जगहों के किसानों को भी काफी फायदा हुआ। जहां इससे झींगा उत्पादन बढ़ा वहीं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज झींगा उत्पादन उद्योग काफी मजबूत स्थिति में है।

इतना सब कुछ होने के बाद भी यह वैश्विक स्तर के हिसाब से ठीक नहीं है। सीएसआईआर के अनुसार हर साल तकरीबन तीन हजार अनुसंधान होते हैं। पर इनमें नया कुछ नहीं होता। ये महज डिग्री लेने के उद्देश्य से किए जाते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं के खर्च में लगातार कटौती की जा रही है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति निजी क्षेत्र के हाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक की है। दूर–दराज के इलाकों में खुले निजी इंटर कॉलेजों में प्रयोगशालाएं ही नहीं हैं। फिर भी विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षाएं देनी होती हैं। ऐसे में वे क्या सीख रहे होंगे, समझा जा सकता है।

अभी तक विज्ञान में शोध पर खर्च जीडीपी के एक प्रतिशत के आसपास ही है। वैज्ञानिक इसे कम से कम दो प्रतिशत तक करने की मांग करते रहे हैं। अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीर हुई है। टेक्नालॉजी विजन 2035 के नाम से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने एक रूपरेखा बनाई है। इसमें खाद्य और कृषि, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा, जल जैसे महत्त्वपूर्ण विषय शामिल हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत को कंप्यूटर क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय शक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। भारत और आसियान देशों के वैज्ञानिकों और नवोन्मेषकों के बीच नेटवर्क बनाने के लिए आसियान भारत इनोटेक शिखर सम्मेलन भी बुलाया गया है। भारत–यूके विज्ञान एंड इनोवेशन पालिसी डायलॉग के जरिए इन दोनों देशों में एक करार हुआ है, जो कृत्रिम बुद्धिमता, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, स्वच्छ विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। विदेशों में भारतीय छात्रों के प्रशिक्षण के लिए ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टोरल फेलोशिप की योजना चलाई गई है। सबसे ज्यादा दिलचस्प कार्यक्रम अवसर (ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फार आर्टिकुलेटिंग रिसर्च) है। इसका उद्देश्य भारतीय शोधों को जनसामान्य के बीच प्रसारित–प्रचारित करना है।

यूनेस्को के एक आकड़े के अनुसार भारत में आबादी के लिहाज से शोधार्थियों की संख्या सबसे कम है। यहां एक शोधार्थी के ऊपर 6410 व्यक्ति निर्भर हैं, जबकि चीन में 912, द. कोरिया में145, जापान में188 और अमेरिका में यह आंकड़ा 235 व्यक्ति का है। हांलाकि सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी और देशों की तरह पीपीपी मार्डल के तहत निजी क्षेत्रों को भी इसमें आगे आना चाहिए। विज्ञान के प्रचार–प्रसार और समाज के हर तबके में अभिरुचि पैदा करने के भी प्रयास होने चाहिए। साथ ही इन क्षेत्रों में करिअर बनाने वाले छात्रों को विदेशों की तरह वेतन–भत्ते की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि विज्ञान जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसका प्रचार–प्रसार भी होना चाहिए, ताकि देश के लोगों को पता चल सके कि इस समय विज्ञान के क्षेत्र में क्या चल रहा है।

www.readwhere.com

बैंकों की 11 मार्च से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल टली

कोलकाता, 29 फरवरी (भाषा)।

बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की 11 मार्च से प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को टाल दिया गया है। बैंक कर्मचारियों के एक संगठन ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन ने यहां एक बयान में इसकी जानकारी दी। संगठन ने कहा कि शनिवार को मुंबई में भारतीय बैंक संगठन (आइबीए) के साथ हुई बैठक में सकारात्मक प्रगति के कारण हड़ताल टालने का फैसला लिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का आह्वान किया था।

ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन ने बयान में कहा कि मुंबई में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की आईबीए के साथ बैठक हुई।

स्थायी शांति के लिए प्रायोजित आतंकवाद खत्म हो : भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

दोहा में अमेरिका-तालिबान समझौते को ध्यान में रखते हुए काबुल पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने शनिवार को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की और पड़ोसी देश में शांति एवं स्थिरता एवं शांति समझौते को लेकर भारत की मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने शांतिपूर्ण एवं स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत का खुला समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी से भेंट कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सौंपा।

श्रृंगला ने अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उपराष्ट्रपति अमरूल्ला सालेह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब और कार्यकारी विदेश मंत्री हारून चखानसूरी से भी मुलाकात की। उन्होंने अफगान नेतृत्व को संदेश पहुंचाया कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए बाहर से प्रायोजित आतंकवाद के खात्मे की जरूरत है। विदेश सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार अफगान नेतृत्व और अफगान नियंत्रण वाली स्थायी एवं समावेशी शांति तथा मेल-मिलाप का समर्थन करती है।

करजई के साथ श्रृंगला की बातचीत के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि विदेश सचिव ने इस वर्ष जनवरी में करजई की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए भारत-अफगानिस्तान सामरिक गठजोड़ में उनके योगदान की सराहना की।

अफगानिस्तान पहुंचे नाटो प्रमुख

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक समझौते से पहले अधिकारियों से मिलने के लिए नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग शनिवार को अफगानिस्तान पहुंच गए। स्टोल्टनबर्ग ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ शनिवार को काबुल मीडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार के साथ संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। इसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी मौजूद थे। स्टोल्टनबर्ग ने अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो बलों के प्रमुख जनरल स्कॉट मिलर के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी और अफगानिस्तान में व्यवस्थागत तैयारियों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई।

फांसी पर रोक के लिए फिर अदालत पहुंचे निर्भया के दोषी

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में सभी चारों दोषियों के तीन मार्च को मृत्यु वारंट के अमल पर रोक लगाने के अनुरोध को लेकर दोषियों अक्षय सिंह और पवन कुमार गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने फांसी पर रोक के अनुरोध वाली दोषी सिंह की याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों को दो मार्च तक जवाब देने के निर्देश दिए। अपने वकील के जरिए दाखिल याचिका में सिंह ने दावा किया कि उसने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक नई दया याचिका भी दाखिल की है जो अभी लंबित है।

सिंह की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने कहा कि उसकी पहले की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था और उसमें पूरे तथ्य नहीं थे।

गुप्ता ने अपनी याचिका में दलील दी कि उसकी सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसने कहा कि उसके पास दया याचिका दायर करने का भी विकल्प है। दोनों दोषियों ने अदालत को बताया कि कई अन्य याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट और अन्य प्राधिकारियों के पास लंबित है। अदालत ने 17 फरवरी को चारों दोषियों-मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को नया मृत्यु वारंट जारी करने के बाद तीन मार्च को फांसी पर लटकाए जाने का आदेश दिया था।

'बुंदेलखंड के जनजीवन को बदल देगा एक्सप्रेसवे'

पेज 1 का बाकी

रुपए की लागत से बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बटन दबाकर आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से जोड़ेगा, साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार एक्सप्रेस गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले एक्सप्रेस वे बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में होते थे लेकिन अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया जैसे इलाकों के लोग भी एक्सप्रेस वे का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक आधारभूत ढांचा यहां नए उद्योगों उद्यमों को विकसित करेगा। यह संयोग ही है कि पिछले साल फरवरी में ही उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे का शिलान्यास करने के लिए उन्हें यहां आने का मौका मिला था और इस साल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हो रहा है।

उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन दोनों योजनाओं का आपस में गहरा नाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से उप्र रक्षा गलियारे को भी गति मिलने वाली है। मोदी ने कहा कि एक समय में यह क्षेत्र भारत की आजादी के क्रांतिवीरों को पैदा करता रहा है। आने वाले समय में इसे भारत को युद्ध के साजोसामान से आत्मनिर्भर बनाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सरकार 14849.09 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 95.46 फीसद भूमि का क्रय व अधिग्रहण किया जा चुका है।

मेघालय हिंसा में मरने वालों की संख्या दो हुई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

शिलांग के व्यस्त लेवडूह बाजार में शनिवार को एक प्रवासी मजदूर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई जिससे मेघालय में आदिवासी और गैर आदिवासी समूह के बीच संघर्ष में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। मेघालय में सीएए और इनर लाइन परमिट (आइएलपी) पर बैठक के दौरान केएसयू कार्यकर्ताओं और गैर आदिवासियों के बीच झड़प में एक खासी समुदाय के एक व्यक्ति की मौत के बाद शिलांग शहर के कुछ इलाकों में शनिवार दोपहर को फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात को शहर के बीचोंबीच झड़प के दौरान चाकू से हुए हमले में सात लोग घायल हो गए। इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था जिसे शनिवार सुबह आठ बजे हटा लिया गया था। छह जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध जारी है। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए वे शिलांग में रात दस बजे से कर्फ्यू लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमले में शामिल लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

शिलांग के दो थाना क्षेत्रों में दोपहर को फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। संवेदनशील इलाकों में सशस्त्र पुलिस बल की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में हालात नियंत्रण में हैं और स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है।

बांग्लादेश की सीमा से सटे ईस्ट खासी हिल्स जिले के इचामति इलाके में शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में और आइएलपी के समर्थन में एक बैठक के दौरान खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) के कार्यकर्ताओं और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि संघर्ष में घायल लोगों की संख्या 16 हो गई है।

उन्नाव हत्या मामले में टला फैसला

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में अपने फैसले को अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया।

भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तीन साल पहले पीड़िता से बलात्कार किया था। पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने फैसला अगले हफ्ते तक टाल दिया जो अब बुधवार को सुनाया जाएगा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले के पक्ष में 55 गवाह पेश किए जबकि बचाव पक्ष ने नौ गवाहों से सवाल-जवाब किए। अदालत ने बलात्कार पीड़िता के रिश्तेदार, मां, बहन और उसके पिता के एक सहयोगी का बयान लिया जिसने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था।

अदालत ने महिला से बलात्कार के दोष में सेंगर को 20 दिसंबर को ताउम्र जेल की सजा सुनाई थी। पीड़िता 2017 में हुई इस घटना के वक्त नाबालिग थी।

सीबीआइ के मुताबिक तीन अप्रैल, 2018 को पीड़िता के पिता और शशि प्रताप सिंह के बीच विवाद हुआ था। 13 जुलाई, 2018 को दायर आरोप-पत्र के मुताबिक पीड़िता के पिता और उनके सहकर्मी अपने गांव माखी से लौट रहे थे जब उन्होंने सिंह से लिफ्ट मांगी थी।

सिंह ने उन्हें लिफ्ट देने से मना कर दिया और तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। सिंह ने अपने साथियों को बुलाया जिसके बाद विधायक का भाई अतुल सिंह सेंगर अन्य के साथ मौके पर पहुंचा और पीड़िता के पिता व उनके सहकर्मी की पिटाई की। पीड़िता के पिता को बाद में वे लोग थाने ले गए और उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

आरोपपत्र में कहा गया कि इस पूरे वाकये के दौरान कुलदीप सेंगर जिले के पुलिस अधीक्षक और माखी पुलिस थाने के प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया के साथ संपर्क में रहा। बाद में उसने पीड़िता के पिता की जांच करने वाले डॉक्टर से भी बात की थी।

इससे पहले अदालत ने सेंगर, उसके भाई अतुल, भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, कॉन्स्टेबल आमिर खान और मामले में छह अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।

फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी : अतिथि शिक्षक गिरफ्तार

सिलचर, 29 फरवरी (भाषा)।

असम के सिलचर के एक कालेज में एक अतिथि शिक्षक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

गुरुचरण कालेज के भौतिकी विभाग में अतिथि शिक्षक सौरदीप सेनगुप्ता के खिलाफ एक छात्र द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर सेनगुप्ता को इतखोला स्थित उनके निवास से शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया।

सेनगुप्ता ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कथित तौर पर एक विशेष समुदाय को भी निशाना बनाया था। सेनगुप्ता के परिजनों ने कहा कि बाद में वह फेसबुक पोस्ट हटा दी गई थी। उन्होंने बताया कि सेनगुप्ता ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी।

पुलिस ने कहा कि सेनगुप्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने, विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने समेत कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। कालेज के छात्रों ने सेनगुप्ता की सेवाएं तुरंत समाप्त करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सेनगुप्ता के परिजनों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर छात्रों के एक वर्ग द्वारा फंसाया जा रहा है।

समाज पर जबरदस्ती अपने विचार थोपना एक तरह की विकृति

पेज 1 का बाकी

यह प्रयास करना चाहिए कि इंसान में कोई अंतर न किया जाए। आचरण में अंतर नहीं आना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आप सब के बीच आया हूं। मैं आदिवासी समुदाय के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहता हूं। मैं ठेठ आदिवासी समुदाय के लोगों से मिल रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है और हम सब को भी बदलना है।

कोविंद ने कहा कि जब देश बदलता है तो संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का संसाधन हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए और उनको अच्छा आचरण दीजिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का ध्येय छात्र को अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। अच्छा इंसान अगर डॉक्टर बन गया तो वह अच्छा डॉक्टर होगा। अच्छा इंसान अगर नेता बन गया तो वह अच्छा नेता होगा। अच्छा इंसान, अच्छा पति और पिता भी होगा। बेटी अच्छी इंसान होगी तो अच्छी बहू और अच्छी सास भी होगी। इससे पूर्व विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और उन्हें समाज में प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बताया। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित थे।

माधुरी कानितकर बनीं थलसेना की पहली लेफ्टिनेंट जनरल

पेज 1 का बाकी

गया था। डॉ. कानितकर सशस्त्र बलों की पहली बाल चिकित्सक हैं, जो यह पद संभालेंगी। डॉ. माधुरी के पति राजीव कानितकर भी लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है, जब पति और पत्नी दोनों ही सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हों। कानितकर पिछले 37 साल से थल सेना में कार्यरत हैं। पद संभालने के बाद माधुरी कानितकर ने कहा कि भारतीय सेना ही एक महिला के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी, सम्मानित और सुरक्षित संगठन है, जहां उसे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। माधुरी कानितकर प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं। उन्होंने अकेले अपने दम पर पुणे और दिल्ली में बच्चों में किडनी की बीमारियों की निगरानी के लिए यूनिट बनाई थी। 2017 में उन्होंने एएफएमसी, पुणे में पहली महिला डीन का पद संभाला था।

वुहान से लाए गए 112 लोगों की जांच नकारात्मक पाई गई

पेज 1 का बाकी

यह जानकारी दी।सीमा रक्षक बल के एक प्रवक्ता ने कहा, 'सभी 112 लोगों के नमूनों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भेजा गया था और रिपोर्ट नकारात्मक आई है। पृथक अवधि एक पखवाड़े तक जारी रहेगी।' वुहान शहर से लाए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के छावला क्षेत्र में भारत-तिब्बत सीमा बल (आईटीबीपी) के पृथक केंद्र में 27 फरवरी को 76 भारतीयों और 36 विदेशियों को ले जाया गया गया था। विदेशी नागरिकों के समूह में बांग्लादेश के 23, चीन के छह, म्यांमा और मालदीव के दो-दो और मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का एक-एक नागरिक शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा, 'इन लोगों के दूसरे नमूनों को पृथक अवधि के 14वें दिन ले जाया जाएगा और जिनके सभी परिणाम नकारात्मक मिलेंगे, उन्हें आईटीबीपी केंद्र से भेज दिया जाएगा।'

इंडोनेशिया घूमने आए चीनियों ने लौटने से की तौबा

पेज 1 का बाकी

कोई योजना नहीं है। वह ऑस्ट्रेलियाई दूतावास से इस संदेश का इंतजार कर रही है कि क्या पर्यटक प्रवेश परमिट का उनका आवेदन मंजूर कर लिया गया है या नहीं।

26 वर्षीय हीथर ने कहा, 'अगर ऑस्ट्रेलिया मेरे वीजा को मंजूरी नहीं देता है तो मैं थाईलैंड जाने के बारे में सोचूंगी।'

सबका भला व न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी : मोदी

पेज 1 का बाकी

बीते पांच साल में हमारी सरकार ने अलग-अलग इलाकों में करीब 9,000 शिविर लगाए हैं जिनमें 900 करोड़ रुपए मूल्य के सहायक उपकरण बांटे गए हैं। वहीं इससे पूर्व की सरकार के कार्यकाल में 380 करोड़ रुपए से भी कम के उपकरण बांटे गए।

मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर सैकड़ों सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया। इसी तरह 700 से अधिक रेलवे स्टेशन और हवाईअड्डे दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले दिव्यांगों की भाषाई दिक्कतें दूर करने के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज पर काम किया गया। इसके लिए सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। इससे तमिलनाडु और कश्मीर का व्यक्ति भी इस भाषा को समझ सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस सेंटर ने करीब 6,000 आम शब्दों का एक शब्दकोश भी तैयार कर लिया है।

400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और मुद्रा को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। राजग सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया। इससे दिव्यांगजन के सात अलग अलग वर्गों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार ने दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए न केवल विशेष अभियान चलाया, बल्कि सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण तीन फीसद से बढ़ाकर चार फीसद कर दिया। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में उनका आरक्षण तीन फीसद से बढ़ाकर पांच फीसद कर दिया गया।

मोदी ने कहा कि दिव्यांगों का कौशल विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार ने दो लाख दिव्यांगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है और पांच लाख दिव्यांग साथियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि चाहे उद्योग हो या खेल का मैदान हो, दिव्यांगों की भागीदारी जरूरी है। ग्वालियर में एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस केंद्र में प्रशिक्षण, चयन, पढ़ाई लिखाई, अनुसंधान, चिकित्सकीय सुविधाएं दिव्यांगजन को उपलब्ध होंगी।

'सावधानी बरतनी चाहिए थी आदेश जारी करते समय'

पेज 1 का बाकी

बालकृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि यह महज संयोग है कि अंतिम तबादले की अधिसूचना उस दिन जारी की गई जब उन्होंने घृणा भाषणों पर आदेश दिया था। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं मालूम कि कौन सी तारीख को कॉलेजियम के समक्ष तबादले का मुद्दा आया।' पूर्व सीजेआई ने कहा कि न्यायमूर्ति मुरलीधर के तबादले का दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी टिप्पणियों से कुछ लेना-देना नहीं है।

न्यायमूर्ति बालकृष्णन ने कहा, 'जब देश में हालात इतने खराब और मीडिया व अन्य लोग सक्रिय हैं तो सरकार को आधी रात को ऐसे तबादले के आदेश जारी करते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी क्योंकि इसका लोगों द्वारा कुछ और मतलब निकाले जाने की संभावना है। लोग इसे अलग तरीके से समझ सकते हैं।' उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि न्यायमूर्ति मुरलीधर को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में अगले दिन से ही पद संभालने को कहा गया होगा।

न्यायमूर्ति बालकृष्णन ने कहा कि आमतौर पर जब ऐसे तबादले का आदेश दिया जाता है तो पद संभालने का समय सात दिन से कम नहीं दिया जाता ताकि जिस न्यायाधीश का तबादला किया गया है वह नई तैनाती के लिए अपने आप को तैयार कर सकें।

एनजीओ 'द कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटैबिलिटी एंड रिफॉर्म्स' (सीजेएआर) ने गुरुवार को न्यायमूर्ति मुरलीधर के तबादले की निंदा करते हुए दावा किया कि एक 'ईमानदार और साहसी' न्यायिक अधिकारी को सजा देने के लिए यह कदम उठाया गया। सरकार की अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद यह फैसला लिया। इसमें यह नहीं बताया गया कि न्यायमूर्ति मुरलीधर को कब से नई जिम्मेदारी संभालनी है। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि न्यायमूर्ति मुरलीधर का तबादला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें तय प्रक्रिया का पालन किया गया।

किसान ने की खुदकशी, चंद घंटे पहल बेटे ने पढ़ी थी आत्महत्या के खिलाफ कविता

पुणे/नागपुर, 29 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की पथराड़ी तहसील में गुरुवार शाम को 35 वर्षीय एक किसान ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से कुछ घंटे पहले ही किसान के बेटे ने स्कूल में एक कविता पढ़ी थी जिसमें तनावग्रस्त किसानों से आत्महत्या न करने की बात कही गई थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पथराड़ी थाने के एक अधिकारी ने कहा कि भरजवाड़ी निवासी मलहारी बटुले पर कुछ कर्ज बकाया था और उसके चोरी हो गए ट्रक की मासिक किस्त भी बकाया चल रही थी। उन्होंने कहा कि इसी सब से वह बेहद तनाव में था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था। गुरुवार शाम को उसने जहर खा लिया और एक स्थानीय अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि उसी दिन मराठी भाषा दिवस (27 फरवरी) के अवसर पर उसके बेटे प्रशांत बटुले ने अपने स्कूल में किसानों से आत्महत्या न करने का आग्रह करने वाली कविता पढ़ी थी।

नागपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किसान की आत्महत्या पर दुख जताया और कहा कि परिवार को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से घोषित ऋण माफी से अगले दो महीने में किसानों को काफी राहत मिलेगी।

अफगानिस्तान से 14 माह में लौटेंगे अमेरिकी सैनिक

पेज 1 का बाकी

हम तालिबान पर करीबी नजर रखेंगे कि वह अपनी बातों पर कायम रहता है या नहीं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तालिबान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का ठिकाना ना बने। पोम्पिओ ने अन्य आतंकवादी समूहों से संबंध समाप्त करने की तालिबान की प्रतिबद्धता उसे याद दिलाई। पोम्पिओ ने तालिबान से कहा, 'अलकायदा से संबंध समाप्त करने का वादा निभाना। मैं जानता हूं कि विजय की घोषणा का प्रलोभन होगा, लेकिन अफगानियों के लिए विजय केवल तभी होगी जब वे शांति के साथ रह सकें और समृद्ध हो सकें।'

कतर में भारत के दूत पी कुमारन ने भारत की तरफ से दोहा में यूएसए-तालिबान शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह पहला मौका है जब तालिबान से जुड़े भारत किसी मामले में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ। तालिबान के उप नेता और मुख्य वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की ओर से शांति समझौते पर दस्तखत किए। तालिबान अपने सशस्त्र अभियान के लिए इस्लामी अमीरात संगठन नाम का उपयोग करता रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि और उनके मुख्य वार्ताकार जल्मए खलीलजाद ने अमेरिका की ओर से दस्तखत किए।

पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी पहुंचे। उनके प्रतिनिधिमंडल में तालिबान के वरिष्ठ नेता शामिल थे। अफगान सरकार ने हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने के लिए शुरू में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने से परहेज किया, लेकिन बाद में सरकार तालिबान के साथ कैदियों की अदला-बदली कर समाधान निकालने वाली बात पर छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए सहमत हो गई।

इस समझौते से अफगानिस्तान में 18 साल से चल रहे अमेरिका-तालिबान युद्ध के खात्मे का रास्ता साफ होगा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश ने 11 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान पर बमबारी के आदेश दिए थे। समझौते के तहत तालिबान ने यह वादा किया है कि वह अल कायदा समेत किसी भी आतंकवादी संगठन को अपने यहां पनाह नहीं देगा। इस समझौते के बाद अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर अफगान सरकार और तालिबान के बीच सीधी वार्ता शुरू होगी। अंतर अफगान वार्ता से पहले अमेरिका और तालिबान एक-दूसरे के हजारों कैदियों को चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत रिहा करेंगे। अमेरिका और अफगान सरकार तालिबान के पांच हजार कैदियों को रिहा करेंगे। इसके बदले में तालिबान, अफगान सरकार के एक हजार कैदियों को मुक्त करेगा। समझौते की पूर्व शर्त थी कि अमेरिका तालिबान से इस गारंटी के बदले अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने की समयसीमा घोषित करेगा कि तालिबान अफगानिस्तान में अलकायदा जैसे आतंकवादी समूहों को काम करने की अनुमति नहीं देगा।

गोएअर के विमान में कबूतर घुसे

अमदाबाद, 29 फरवरी (भाषा)।

अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुक्रवार को जयपुर के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे गोएअर के एक विमान में दो कबूतर घुस गए। इसके बाद एअरलाइन ने शनिवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) से पक्षियों की समस्या से निपटने का आग्रह किया। अमदाबाद हवाई अड्डे का प्रबंधन वर्तमान में एएआइ देखता है।

घटना का एक वीडियो शनिवार को एक यात्री द्वारा ट्वीट किया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एअरलाइन ने एक बयान में कहा, 'दो कबूतर गोएअर के अमदाबाद...जयपुर उड़ान जी8..702 में उस समय घुस गए जब यात्री विमान में सवार हो रहे थे।' उसने कहा, 'चालक दल के सदस्यों ने तत्काल पक्षियों को भगाया। विमान अपने निर्धारित समय शाम पांच बजे (शुक्रवार को) रवाना हुआ।' उसने कहा कि गोएअर अपने यात्रियों को हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद जताता है। एअरलाइन ने कहा कि उसने एएआइ से पक्षियों की समस्या से निपटने का आग्रह किया है।

www.readwhere.com

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

वसूली विभाग, सर्किल ऑफिस : मध्य दिल्ली, चौथी मंजिल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, दूरभाष : 011-25744163, ई-मेल : cocdelrd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जहाँ है वहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता	सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि माँग सूचना के अनुसार राशि सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण	सम्पर्क व्यक्ति तथा मोबाइल नं.
1.	PNB-ARMB M/s Vision Glasses Pvt. Ltd. Address: Property No. 2367, Ward no. III, Gali Nawab Wali,Tilak Bazar, Khari Bawli, Delhi-110007 Mortgagor:Mohd. Ekhlakh, Property No. 2367, Ward no. III, Gali Nawab Wali,Tilak Bazar, Khari Bawli, Delhi-110006	23.07.2014 Rs.2,74,92,329/- 30.11.2019 Symbolic	All Part & Parcel of EM situated at IP Khasra No. 3/7, Village Sadabad Durgawali, Pargana loni, Ghaziabad, UP, Area 666 Sq yds Owner's Name : Mohd. Ekhlakh	Rs. 96.00 lakhs Rs.9.60 lakhs (07.04.2020) Rs.100000/-	09.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Hoshiar Singh Chief Manager Mobile No.9741615271
2.	PNB-IBB M/s Rattan Polychem Private Ltd. Plot No-2286, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006 Mortgagor: Smt. Darshana Dagar, R/o H No-456, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006	04.07.2019 Rs. 24,94,95,866.00/- 14.10.2019 Symbolic	Industrial Plot located at Khevat/khata no. 58/66 Mu No.15 kila ni. 2/2/2 (1-9), 9/2(1-12), 10/1(6-17), 11/1(0-8) kita 4 Rakba 10 kanal 6 Marla situated at mauja Harphala, Tehsil-Ballabgarh, Faridabad, Area 6231.50 Sq Yds Owner's Name : Smt. Darshana Dagar	Rs. 320.00 lakhs Rs.32.00 lakhs (07.04.2020) Rs.1000000/-	09.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. K M Sahay Chief Manager Mobile No.9999865200
3.	PNB-IBB M/s Rattan Polychem Private Ltd. Plot No-2286, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006 Mortgagor: Smt. Darshana Dagar, R/o H No-456, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006	04.07.2019 Rs. 24,94,95,866.00/- 14.10.2019 Symbolic	Property being double storied building at House no. 456, Sector 9, urban Estate, Faridabad, haryana, Area 500 Sq Yds Owner's Name : Sh. Yashvir Dagar and Smt. Darshan Dagar	Rs. 417.00 lakhs Rs.41.70 lakhs (07.04.2020) Rs.1000000/-	09.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. K M Sahay Chief Manager Mobile No.9999865200
4.	PNB-IBB M/s Rattan Polychem Private Ltd. Plot No-2286, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006 Mortgagor: Smt. Darshana Dagar, R/o H No-456, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006	04.07.2019 Rs. 24,94,95,866.00/- 14.10.2019 Symbolic	Property being double storied building at House no.2286, Sector 9, Urban Estate, Faridabad, Haryana, Area 350 Sq Yds Owner's Name : Smt. Darshana Dagar and Sh. Yashveer Singh,	Rs. 305.00 lakhs Rs.30.50 lakhs (07.04.2020) Rs.1000000/-	09.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. K M Sahay Chief Manager Mobile No.9999865200
5.	PNB-IBB M/s Rattan Polychem Private Ltd. Plot No-2286, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006 Mortgagor: Smt. Darshana Dagar, R/o H No-456, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006	04.07.2019 Rs. 24,94,95,866.00/- 14.10.2019 Symbolic	Industrial Plot located at Village Mahola, tehsil Ballabgarh, District faridabad, Kh. No. 12/2(1-16), 13/1(0-9), 9/1(13-17), 8/2(2-18), 2/2/2(4-9), 1/2(1-5), 21/1(7-7), Area about 22 kanal and 01 marla (Area 11162 Sq Yd.) Owner's Name : Smt. Darshana Dagar and Sh. Yashveer Singh	Rs. 352.00 lakhs Rs.35.20 lakhs (07.04.2020) Rs.1000000/-	09.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. K M Sahay Chief Manager Mobile No.9999865200
6.	PNB-IBB M/s Rattan Singh Charitable and Education Society 456, Sector-9, Faridabad. Mortgagor:M/s Rattan Singh Charitable and Education Society 456, Sector-9, Faridabad.	04.07.2019 Rs. 3,91,83,355.53 03.12.2019 Symbolic	All part and parcel of the property, being land & building comprised in rect. No. 62, kila no 17/2(2-19), 24(8-0) rect. No. 63 kila no 10(8-0), 11/1(4-3),11/2(3-17) rakba 26 kanal 19 marla, rect no. 62, kila no. 15/2(1-2),16/1(5-1), 16/2(2-19), 25(8-0), rect no. 63 kila no. 21/2/1(1-3), rect. No. 69 kila no.1/1(2-13), 10/2(2-13), rect no. 70, kila no.4/1(2-7), 4/2(5-13), 5(8-0), 6(8-0), 7(8-0), 18/2(0-7) rakba 56 kanal 08 marlas, rect no. 381(2-13) rakba 1 kanal 6 marlas, rect. No. 70 kila 26(2-17) rakba 14 marlas, rect no70 kila no. 14/1(0-13), 17/1/2(0-4) rakba 17 marlas total rakba 86 kanal 04 marlas in mauja sevli, tehsil hodal, distt palwal, haryana area measuring 10.775 acres. Owner's name : M/s Rattan Singh Charitable and Education Society	Rs. 2905.00 lakhs Rs.290.50 lakhs (08.04.2020) Rs.1000000/-	09.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. K M Sahay Chief Manager Mobile No.9999865200
7.	PNB: ARMB M/s United Foods Pvt. Ltd. D-16, 3rd Floor Prashant Vihar, Rohini, Delhi-110085 Mortgagor: Smt. Sunita Jindal R/o Flat No. – D-2, Vinobha Kunj, Sector -9, Rohini, New Delhi	13.10.2016 Rs. 60,18,72,841.84/- 22.06.2017 Physical	Open vacant Residential Plot No. 349-A in Block H situated at Village Nangalkalan in TDI City, Kundli, Sonepat, Haryana , Area of Plot : 493.28 Sq. yds Owner's Name : Smt. Sunita Jindal W/o Subash Jindal	Rs.36.00 Lakhs Rs.3.60 lakhs (23.03.2020) Rs.50000/-	25.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Pawan Gupta Chief Manager Mobile No.9810223192
8.	PNB: ARMB M/s Rangoli International Pvt. Ltd. 9H, Hansalya Building 15, Barakhmba Road, New Delhi-110001 Mortgagor : Mr. Luv Bhardwaj S/o Mr. R D Sharma M3/9, DLF, Phase - II, Gurgaon, Haryana & 74, Vasant Enclave, Vasant vihar, New Delhi-110057	02.02.2015 Rs. 55,50,24,641.86/- 24.08.2017 Physical	Shop no. GF 12 to GF 15 on ground Floor, Property No. V/322 (old) and New MC No. V-1118, AT Chatta Madan Gopal Maliwara, Delhi-110006 Owner's Name : Mr. Luv Bhardwaj S/o Mr. R D Sharma	Rs. 42.34 lakhs Rs.4.25 lakhs (23.03.2020) Rs.25000/-	25.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Pawan Gupta Chief Manager Mobile No.9810223192
9.	PNB: ARMB M/s Rangoli International Pvt. Ltd. 9H, Hansalya Building 15, Barakhmba Road, New Delhi-110001 Mortgagor : Mr. Luv Bhardwaj S/o Mr. R D Sharma M3/9, DLF, Phase - II, Gurgaon, Haryana & 74, Vasant Enclave, Vasant vihar, New Delhi-110057	02.02.2015 Rs. 55,50,24,641.86/- 24.08.2017 Physical	Shop No. SF 7 to SF 10 on Second Floor, Property No. V/322 (old) and New MC no V-1118, AT Chatta Madan Gopal, Maliwara, Delhi-110006 Owner's Name : Mr. Luv Bhardwaj S/o Mr. R D Sharma	Rs. 32.73 lakhs Rs.3.27 lakhs (23.03.2020) Rs.25000/-	25.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Pawan Gupta Chief Manager Mobile No.9810223192
10.	PNB: ARMB M/s Rangoli International Pvt. Ltd. 9H, Hansalya Building 15, Barakhmba Road, New Delhi-110001 Mortgagor : Mr. Luv Bhardwaj S/o Mr. R D Sharma M3/9, DLF, Phase - II, Gurgaon, Haryana & 74, Vasant Enclave, Vasant vihar, New Delhi-110057	02.02.2015 Rs. 55,50,24,641.86/- 24.08.2017 Physical	Shop No. SF 12 to SF 15 on Second Floor, Property No. V/322 (old) and New MC no.V-1118, AT Chatta Madan Gopal, Maliwara, Delhi-110006 Owner's Name : Mr. Luv Bhardwaj S/o Mr. R D Sharma	Rs. 33.59 lakhs Rs.3.36 lakhs (23.03.2020) Rs.25000/-	25.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Pawan Gupta Chief Manager Mobile No.9810223192
11.	PNB: ARMB M/s J S Designer Limited Mortgagor M/s J S Designer Ltd. through its Director SMt. Anuradha Singhal W/o Shri Vikas Mohan Singhal Address: Plot No 150 (B), in the National Special Economic Zone, Noida, distt. Gautam Budh Nagar, U.P.	13.02.2018 Rs. 41045.68 Lakhs 14.05.2018 Symbolic	Build up Property for Industrial use Situated at Plot No.150 (B), in the National Special Economic Zone, Noida, distt. Gautam Budh Nagar, U.P., Area: 5311.35 Sq. Mtr. Owner's Name M/s J S Designer Ltd. through its Director SMt. Anuradha Singhal W/o Shri Vikas Mohan Singhal.	Rs. 260.00 lakhs Rs.26.00 lakhs (23.03.2020) Rs.100000/-	25.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Hoshiar Singh Chief Manager Mobile No.9741615271
12.	PNB: ARMB M/s Kapson Engineers Pvt. Ltd. F-16 Shankar Market Connaught place New Delhi Mortgagor: M/s Nawab Packers 24 Block-C, Sector-8, New Okhla Industrial Area Authority, Noida, UP	10.09.2018 Rs. 411.66 Lakhs 30.12.2019 Physical	Industrial Property No. 24, Block C, Sector-8, New Okhla Industrial Development Authority, Noida, Uttar Pradesh, measuring 803.00 sq. mtrs. Lease hold property Owner's Name: M/s Nawab Packers	Rs. 600.00 lakhs Rs.60.00 lakhs (24.03.2020) Rs.100000/-	26.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Hoshiar Singh Chief Manager Mobile No.9741615271
13.	PNB: Rajendra Place M/s V. G. Fashion Plot No. 2888/1 Shop No. 23, situated at Gaffar Market, Ajmal khan road, Karol Bagh New Delhi 110005 Mortgagor Mr. Vimal Kumar Ghai S/o Shri Ram Ghai Prop. of V. G. Fashion Address : s 213, 1st Floor greater kailash 1 New Delhi 110048	06.11.2019 Rs.399.93 Lakhs 14.01.2020 Symbolic	Shop no. 23 1st Floor & 2nd Floor, Gaffar market mall Ajmal Khan Road, Karol bagh, New Delhi-110005 Owner's Name: Mr. Vimal Kumar Ghai S/o Shri Ram Ghai Prop. of M/s V G Fashion Address : s 213, 1st Floor Greater Kailash 1 New Delhi 110048	Rs. 600.00 lakhs Rs.60.00 lakhs (08.04.2020) Rs.100000/-	09.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Yugal Kishore Chief Manager Mobile No.9599431055
14.	PNB: ARMB M/s Tuhi Tuhi Creations G-55, Vikashpuri, New Delhi-110018 Mortgagor :Atma Devi and Gulshan Kaur, G-55, Vikashpuri, New Delhi-110018	01.07.2016 Rs.413.93 Lakhs 29.05.2017 Physical	Basement of Residential Entire Built UP Freehold Property Bearing Plot No 55, Block G, Vikaspuri, Delhi-110018 Area: 160 Sq mtr, Owner's Name : Atma Devi and Gulshna Kaur	Rs. 40.00 lakhs Rs.4.00 lakhs (24.03.2020) Rs.25000/-	26.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Pawan Gupta Chief Manager Mobile No.9810223192
15.	PNB: ARMB Neeraj Kullar House No. 720, GF, Type-MIG-B, Housing Board Colony Sector 17 Gurgaon (Haryana) Mortgagor : Smt Sweety Kullar and Shri Neeraj Khullar House No. 720, GF, Type-MIG-B, Housing Board Colony Sector 17 Gurgaon (Haryana)	05.05.2018 Rs.113.29 Lakhs 28.08.2019 Physical	House No. 720, GF, Type-MIG-B, Housing Board Colony Sector 17 Gurgaon (Haryana) Covered area 1394.25 Sqft and Plot area 182.73 sqyds Owner's Name: Smt Sweety Kullar and Shri Neeraj Khullar	Rs. 100.00 lakhs Rs.10.00 lakhs (24.03.2020) Rs.50000/-	26.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Pawan Gupta Chief Manager Mobile No.9810223192
16.	PNB: ARMB M/s Riviera Textiles Pvt. Ltd. H No. 7, Sec. 11, Huda Panipat, Haryana. Mortgagor: M/s Vivek Enterprises, H No. 7, Sec. 11, Huda Panipat, Haryana.	06.08.2015 Rs. 425 Lakhs+ Future Intt. + Other Exp. 15.10.2015 Symbolic	Industrial Land and Building bearing plot no- 111 HUDA Industrial area Phase I Sec-29 Panipat Haryana Area 1165.40 Sq. Mtr. Owner's Name: Vivek Enterprises	Rs. 226.00 lakhs Rs.22.60 lakhs (24.03.2020) Rs.100000/-	26.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Hoshiar Singh Chief Manager Mobile No.9741615271
17.	PNB: ARMB M/s Riviera Textiles Pvt. Ltd. H No. 7, Sec. 11, Huda Panipat, Haryana. Mortgagor: Vivek Gupta, H No. 7, Sec. 11, Huda Panipat, Haryana.	06.08.2015 Rs. 425 Lakhs+ Future Intt. + Other Exp. 15.10.2015 Symbolic	Industrial Land and Building bearing plot no-96 HUDA Indsustrial area Phase I Sec-29 Panipat Haryana Area 1040 sqmtrs. Owner Mr. Vivek Gupta	Rs. 226.00 lakhs Rs.22.60 lakhs (25.03.2020) Rs.100000/-	27.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Hoshiar Singh Chief Manager Mobile No.9741615271
18.	PNB: ARMB M/s Shreeji Foils Pvt. Ltd. Ground Floor, 26, Harsh vihar, Pitampura, New Delhi Mortgagor: Shri Mukesh Bansal Ground Floor, 26, Harsh vihar, Pitampura, New Delhi	21.02.2015 Rs. 692.40 Lakhs+ Future Intt. 10.01.2017 Physical	Entire Basement of built up property No. 26 Harsh Vihar Pitampura New Delhi 110034, Land Area- 400 sq yds Owner's Name: Shri Mukesh Bansal	Rs. 81.00 lakhs Rs.8.10 lakhs (25.03.2020) Rs.50000/-	27.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Hoshiar Singh Chief Manager Mobile No.9741615271
19.	PNB: Gurudwara Road Mrs. Poonam Miglani Address: C-4, Kalka Ji, New Delhi-110019 Mortgagor : Mrs. Poonam Miglani Address: C-4, Kalka Ji, New Delhi-110019	12.07.2019 Rs. 9647903.00 Plus Intt. 20.09.2019 Physical	Freehold Residential Entire second Floor (without roof rights) at property bearing no. 100, Block D, Sector-8, Dwarka, New Delhi-110075 Area : 175 sq Mtrs Owner's Name: Mrs. Poonam Miglani	Rs. 120.00 Lakhs Rs. 12.00 Lakhs (24.03.2020) Rs. 50000.00	26.03.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
20.	PNB: Gurudwara Road M/s Visa Koje Inc Address: B-51,Basement ,Shanker Garden, Vikaspuri, New delhi-110009 Mortgagor : Mr. Shubhash Chander Address: M/s AG tradevision, B-XVII-47 B/2-A/5F/514, 5th Floor Dhiyan Singh Complex Near Bus Stand, Ludhiyana, Punjab	19.09.2019 Rs. 41774052.00 12.02.2020 Physical	B-XVII-47 B/2-A/5F/514, 5th Floor Dhiyan Singh Complex Near Bus Stand, Ludhiyana, Punjab Area: 377 Sq Yd Owner's Name: Mr. Shubhash Chander	Rs. 187.00 Lakhs Rs. 18.70 Lakhs (09.04.2020) Rs. 100000.00	14.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
21.	PNB: Gurudwara Road M/s Visa Koje Inc Address: B-51,Basement ,Shanker Garden, Vikaspuri, New delhi-110009 Mortgagor : Mr. Vipin Kumar Gupta Address: Khata no. 172, Part of khasra no. 11/6/1 (2-11) & 15[1/2(1-2)] village Dariyapur Near Vivah Vatika distt. Jhajjar, Haryana	19.09.2019 Rs. 41774052.00 12.02.2020 Physical	Khata no. 172, Part of khasra no. 11/6/1 (2-11) & 15[1/2(1-2)] village Dariyapur Near Vivah Vatika distt. Jhajjar, Haryana Area: 2208 Sq Yd Owner's Name: Mr. Vipin Kumar Gupta	Rs. 184.00 Lakhs Rs. 18.40 Lakhs (09.04.2020) Rs. 100000.00	14.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
22.	PNB: Gurudwara Road M/s Saumya Fashion House Address:House no. 31, Mandir wali gali, Azadpur Village, Jahagirpuri, Delhi-110009 Mortgagor : Mrs. Savita Gupta Address: Property no. 10, back side, 3rd floor, B-10, Shanker Garden, Delhi-110018	02.09.2019 Rs. 41788346.26 + DI of Rs. 1357496.00+RI wef 01.07.2019+ Other Exp. 09.10.2019 Physical	Property no. 10, back side, 3rd floor, Flat with roof/Terrace rights, Block B (B-10), situated at Shanker Garden, Delhi-110018 Area: 1528 Sq Ft Owner's Name: Mrs. Savita Gupta	Rs. 140.00 Lakhs Rs. 14.00 Lakhs (09.04.2020) Rs. 50000.00	14.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
23.	PNB: Gurudwara Road M/s Saumya Fashion House Address:House no. 31, Mandir wali gali, Azadpur Village, Jahagirpuri, Delhi-110009 Mortgagor : Mrs. Shakuntla Aggarwal Address: North property no. 32, Indra Park Extn, Uttam Nagar, Delhi-110059	02.09.2019 Rs. 41788346.26 + DI of Rs. 1357496.00+RI wef 01.07.2019+ Other Exp. 09.10.2019 Physical	North side portion of property no. 32, Khasra No.24/18, Indra Park Extn, Uttam Nagar, Delhi-110059 Area: 116 Sq Yds Owner's Name: Mrs. Shakuntla Aggarwal	Rs. 169.00 Lakhs Rs. 16.90 Lakhs (09.04.2020) Rs. 100000.00	14.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
24.	PNB: Gurudwara Road M/s Sankalp Worldwide Tradelink Address: 70, B/2 Rama road, Industrial Area, Moti Nagar, Delhi-110015 Mortgagor : Mr. Shubhash Chander Address: B-XVII-47 B/2-A/5F/517, 5th Floor Dhiyan Singh Complex GT Road, Lonk Road, Distt. Ludhiyana, land mark- Opp. bus stand Punjab	04.10.2019 Rs. 17046378.05/- 04.01.2020 Physical	Property no. 517 MC No. B-XVII-47 B/2-A/5F/517, 5th Floor Dhiyan Singh Complex GT Road, Lonk Road, Distt. Ludhiyana, land mark- Opp. bus stand Punjab Area: 2972 Sq Ft Owner's Name: Mr. Shubhash Chander	Rs. 163.00 Lakhs Rs. 16.30 Lakhs (09.04.2020) Rs. 100000.00	14.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
25.	PNB: Gurudwara Road M/s Sankalp Worldwide Tradelink Address: 70, B/2 Rama road, Industrial Area, Moti Nagar, Delhi-110015 Mortgagor : Mr. Shubhash Chander Address: B-XVII-47 B/2-A/5F/516, 5th Floor Dhiyan Singh Complex GT Road, Lonk Road, Distt. Ludhiyana, land mark- Opp. bus stand Punjab	04.10.2019 Rs. 17046378.05/- 04.01.2020 Physical	Property no. 516 MC No. B-XVII-47 B/2-A/5F/516, 5th Floor Dhiyan Singh Complex GT Road, Lonk Road, Distt. Ludhiyana, land mark- Opp. bus stand Punjab Area: 2972 Sq Ft Owner's Name: Mr. Shubhash Chander	Rs. 155.00 Lakhs Rs. 15.50 Lakhs (13.04.2020) Rs. 100000.00	15.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
26.	PNB: Gurudwara Road M/s Alliance Tradevision Pvt Ltd Address: B-4 Block B, 3rd Floor, shanker Garden, Vikashpuri, New Delhi-110018 Mortgagor : Mr. Shubash Chander Address: B-XVII-478/2-A/5F/515, 5th Floor Dhiyan Singh Complex Near Bus stand, Distt. Ludhiyana,	12.07.2019 Rs. 40860541.69 Plus RI + other Exp. 18.09.2019 Physical	M/s Koyna Sales LLP Partner B-XVII-478/2-A/5F/515, situated at Taraf Brura, GT Road,kundan Naagar Dhian Singh Complex, Opposite Bus Stand Distt. Ludhiyana Owner's Name: Mr. Shubhash Chander	Rs. 181.00 Lakhs Rs. 18.10 Lakhs (13.04.2020) Rs. 100000.00	15.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
27.	PNB: Gurudwara Road M/s Alliance Tradevision Pvt Ltd Address: B-4 Block B, 3rd Floor, shanker Garden, Vikashpuri, New Delhi-110018 Mortgagor : Mr. Shubash Chander Address: B-XVII-478/2-A/5F/515, 5th Floor Dhiyan Singh Complex Near Bus stand, Distt. Ludhiyana,	12.07.2019 Rs. 40860541.69 Plus RI + other Exp. 18.09.2019 Physical	M/s VA Expotrade LLP B-XVII-478/2-A/5F/518, Taraf Brura, GT Road,kundan Nagar Dhian Singh Complex, near Bus Stand Distt. Ludhiyana, Owner's Name: Mrs. Savita Gupta	Rs. 154.00 Lakhs Rs. 15.40 Lakhs (13.04.2020) Rs. 100000.00	15.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634
28.	PNB: Gurudwara Road M/s Alliance Tradevision Pvt Ltd Address: B-4 Block B, 3rd Floor, shanker Garden, Vikashpuri, New Delhi-110018 Mortgagor : Mrs. Savita Gupta Address: B-17, Shankar Garden, Vikas Puri, New Delhi	12.07.2019 Rs. 40860541.69 Plus RI + other Exp. 18.09.2019 Physical	Plot/Shop B-17, Shankar Garden, Vikas Puri, New Delhi Owner's Name: Mrs. Savita Gupta	Rs. 135.00 Lakhs Rs. 13.50 Lakhs (13.04.2020) Rs. 100000.00	15.04.2020 11:00 AM to 4:00 PM	Not known	Sh. Rupesh Kumar Roshan Chief Manager Mobile No.8383945634

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

1. बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
2. सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है।
3. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. बिक्री वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से उपर्युक्त निर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर होगी।
5. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, www.tenders.gov.in,www.mstcecommerce.com,https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें।

दिनांक : 28.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

रवीन्द्र कुमार
अधिकृत प्राधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

www.readwhere.com

एअरटेल ने किया दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त 8,004 करोड़ का भुगतान

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेल ने शनिवार को कहा कि उसने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाए के तहत 8,004 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश का पालन करते हुए भारती एअरटेल 17 फरवरी, 2020 को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर चुकी है और शनिवार को 8,004 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। कंपनी सूत्रों ने कहा कि उसने स्व-मूल्यांकन के आधार पर 31 दिसंबर, 2019 तक देनदारियों की गणना की है और इस भुगतान में 29 फरवरी, 2020 तक का ब्याज शामिल है।

भारती एअरटेल ने कहा कि समायोजित सकल राजस्व फैसले के तहत कंपनी ने 2006-07 से 31 दिसंबर, 2019 तक का स्व-मूल्यांकन किया और उस पर 29 फरवरी, 2020 तक के ब्याज की गणना की गई। कंपनी ने बताया कि इसके अनुसार भारती समूह की कंपनियों की ओर से 17 फरवरी, 2020 को अदा किए गए 10,000 करोड़ रुपए के बाद बची राशि पर 3004 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि चुकाई गई।

इस भुगतान में भारती एअरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर इंडिया की देनदारियां शामिल हैं। दूरसंचार विभाग के अनुमानों के अनुसार एअरटेल पर करीब 35,586 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, बकाया राशि पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज शामिल है।

पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए विश्व स्तरीय बंदरगाह जरूरी : नायडू

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी बंदरगाहों पर विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना का सृजन महत्त्वपूर्ण है।

एक सरकारी बयान में कहा गया कि उपराष्ट्रपति ने बंदरगाहों के अध्यक्षों और प्रशासकों से इन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयास करने का भी आह्वान किया। नौवहन मंत्रालय ने मामल्लपुरम में 'चिंतन बैठक' का आयोजन किया था। नायडू ने इस बैठक में बंदरगाहों के प्रमुखों के साथ चर्चा करते हुए देश में विकास और टिकाऊ वृद्धि के लिए विस्तृत समुद्री तट का लाभ उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने देश के सभी बंदरगाहों को वैश्विक बंदरगाहों की तर्ज पर विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी बंदरगाहों पर विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना का सृजन महत्त्वपूर्ण है। नायडू ने कहा कि भारत के पास बंदरगाह आधारित विकास के शानदार अवसर हैं क्योंकि आयात और निर्यात के लिए बंदरगाह अपरिहार्य हैं।

उन्होंने माल ढुलाई का खर्च कम करने, व्यय घटाने और आयात-निर्यात किए जाने वाले माल को मंजूरियां देने वाले लगने वाले समय में कमी लाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमें देश के दोनों तटों पर आयात-निर्यात के और केंद्र विकसित करने की जरूरत है। तीन दिवसीय 'चिंतन बैठक' रविवार को खत्म होगी।

विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 करोड़ डॉलर बढ़ा

मुंबई, 29 फरवरी (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 2.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 476.122 अरब डॉलर के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसका कारण स्वर्ण भंडार मूल्य में होने वाली वृद्धि है। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। इससे पिछले सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार तीन अरब डॉलर बढ़कर 476.092 अरब डॉलर हो गया था।

समीक्षाधीन सप्ताह में भंडार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 49 करोड़ डॉलर घटकर 441.458 अरब डॉलर रह गईं। इस दौरान स्वर्ण भंडार मूल्य में दूसरे सप्ताह तेजी आई और आरक्षित स्वर्ण भंडार मूल्य 53.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 29.662 अरब डॉलर हो गया। आलोच्य सप्ताह के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर घटकर 1.426 अरब डॉलर रह गया। आइएमएफ में देश की आरक्षित निधि भी 1.5 करोड़ डॉलर घटकर 3.575 अरब डॉलर रह गई।

नाबार्ड ने जम्मू-कश्मीर को विकास के लिए 400 करोड़ दिए

जम्मू, 29 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने चालू वित्त वर्ष के लिए नवगठित केंद्र शासित प्रदेश को 400.64 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

प्रवक्ता ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए के बजाय लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी), पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (पीएचई) और पशुपालन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 400.64 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता ने नाबार्ड की वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में जिन परियोजनाओं पर चर्चा की गई उनमें ग्रामीण सड़क व पुल की 85 परियोजनाएं, जल आपूर्ति की 38 योजनाएं और पशुपालन की दो परियोजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि 99.08 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आबंटन का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा जा चुका है। इन परियोजनाओं में बागवानी संबंधित पांच परियोजनाएं, कृषि विस्तार सुविधाओं को बढ़ाने की छह परियोजनाएं और सूक्ष्म सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण की आठ परियोजनाएं शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में आबंटित राशि का अधिकतम इस्तेमाल करने को लेकर विभाग की क्षमता के बारे में भी चर्चा की गई।

कोरोना संक्रमण से चीन में उत्पादन में रेकॉर्ड गिरावट

बेजिंग, 29 फरवरी (एएफपी)।

कोरोना वायरस के संक्रमण से चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर अब साफ दिखने लगा है। शनिवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी में चीन में विनिर्माण गतिविधियां रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गईं।

ताजा मासिक सर्वे के अनुसार चीन का खरीद प्रबंध सूचकांक (पीएमआइ) फरवरी में गिरकर 35.7 पर आ गया। इस सूचकांक का 50 से नीचे रहना यह बताता है कि कारखाना उत्पादन घट रहा है। यदि सूचकांक 50 से ऊपर हो तो उसे उत्पादन में वृद्धि का संकेत माना जाता है। गैर-विनिर्माण गतिविधियों का सूचकांक फरवरी में 29.6 पर आ गया। यह जनवरी में 54.1 पर रहा था। चीन का विनिर्माण पीएमआइ जनवरी में भी 50 से नीचे था। चीन ने 2005 से इन आंकड़ों को जमा करना शुरू किया है। उसके बाद इसका यह सबसे खराब स्तर है।

इससे पहले ब्लूमबर्ग के एक सर्वेक्षण में विनिर्माण पीएमआइ के फरवरी में हल्की गिरावट के साथ 45 रहने का अनुमान जताया गया था। लेकिन ताजा आंकड़ा उससे बहुत नीचे है। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक तरह से पूरी दुनिया से कट गई है। यह संक्रमण चीन से बाहर कई देशों में भी फैल चुका है। इस महामारी का विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर गंभीर होने की आशंकाओं से वैश्विक शेयर बाजारों में 2008 के आर्थिक संकट के बाद का सबसे बुरा सप्ताह रहा।

विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस साल की पहली तिमाही में चीन की आर्थिक वृद्धि दर में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये आंकड़े वृद्धि दर में गिरावट के अनुमान को पुष्ट करने वाली पहली झलकी है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का वाहन और विशिष्ट कलपुर्जा उद्योग पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में असर अधिक भयावह हुआ है। ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि ऐसे उपभोक्ता उद्योग, जो लोगों के आवागमन और जुटान पर केंद्रित हैं, जैसे परिवहन, होटल व किराए वाले आवास, खान-पान, पर्यटन व आवासीय इलाकों की सेवाएं आदि की में मांग में भारी गिरावट देखने को मिली है।

एम एस टी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) **MSTC LIMITED** (A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)
जीवन विकास बिल्डिंग, 30/31ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोन नं. : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713

ई-नीलामी प्रोग्राम

एमएसटीसी द्वारा नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी की ओर से ट्रेडिंग ब्लॉक एसडीएफ नंबर 12 के लीज के आधार पर आवंटन के लिए, 12.03.2020 को ई-नीलामी का आयोजन किया जाएगा। विवरण हेतु कृपया श्री सौरभ कुमार (एमएसटीसी) को मोबाइल नंबर 9811146516, श्री आर.पी. वर्मा (एनएसईजेड) को दूरभाष 0120-2567270 पर संपर्क करें। विस्तृत जानकारी www.mstcecommerce.com एवं www.mstcindia.co.in देखें।

सिंडिकेट बैंक
7 सेठी भवन, राजिन्दर प्लेस, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली-110008 टेली.: 011-25727717, फैक्स: 011-25752545

शुद्धिपत्र

रेफ. 9006/सरफैसी/138 तिथि: 28.02.2020

श्री निखिल गुप्ता, श्री नितिन गुप्ता तथा श्रीमती शशि चंद गुप्ता के स्वामित्व में सम्पत्ति सं. ए-5/5, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली-110007 की सम्पत्ति के लिये सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सम्पत्ति की बिक्री के लिये हमारे विज्ञापन तिथि 27.02.2020 के संदर्भ में बिक्री की तिथि कृपया 28.03.2020 की जगह 31.03.2020 तथा क्रेडीटर का बकाया 31.03.2020 की जगह 31.01.2020 पढ़े। धरोह राशि रु. 15,60,000/- की जगह रु. 20,00,000/- जमा की जायेगी

सिंडिकेट बैंक के लिये
प्राधिकृत अधिकारी

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
प्रेस एवं सूचना निदेशालय
21वाँ तल, ई-ब्लॉक, डा. एसपीएम सिविक सेन्टर, जेएलएन मार्ग, नई दिल्ली-110002 फोन नं. : 23227109

विज्ञापन एजेंसियों हेतु एम्पैनलमेंट

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपने विज्ञापनों को जारी करने तथा अन्य मास मीडिया संबंधित कार्यो/क्रिएटिव्स/संदेशों हेतु विज्ञापन एजेंसियों का पैनल तैयार कर रहा है।

इच्छुक एजेंसियाँ आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से रु. 1,000/- अप्रतिदेय मूल्य का भुगतान करके निदेशक (प्रैस एवं सूचना), एसडीएमसी के कार्यालय से विस्तृत नियमों एवं शर्तों सहित निविदा दस्तावेज प्राप्त कर सकती हैं। बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 11.03.2020 को दोपहर 12.00 बजे होगी।

निविदा दस्तावेजों, विस्तृत एनआईटी, एनआईटी के पात्रता मापदण्ड/अन्य शर्तों अथवा कार्यक्रम में किसी परिवर्तन/शुद्धि पत्र निदेशक (प्रैस एवं सूचना) के कार्यालय अथवा एसडीएमसी की वेबसाइट www.mcdonline.gov.in से प्राप्त किया/देखा जा सकता है।

हस्ता/-
आर.ओ. नं. 163/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 निदेशक (प्रैस एवं सूचना)

एम एस टी सी लिमिटेड MSTC LIMITED
जीवन विकास भवन, 30/31A, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
दूरभाष : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713

ई-नीलामी कार्यक्रम

[illegible] ... के लिए 03.03.2020 को ई-नीलामी का आयोजन करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.mstcecommerce.com या www.mstcindia.co.in पर जाएं।

शुद्धिपत्र

3 फरवरी, 2020 को "जनसत्ता" में प्रकाशित अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का शुद्धिपत्र

31 दिस्मबर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही अवधि के अनंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के क्रम सं. 5 को इस प्रकार पढ़े न कि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित रूप में

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही अवधि के एकल एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन			समेकित		
		समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौ माही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौ माही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	4412.35	4412.35	4411.35	4412.35	4412.35	4411.35

पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अविनाश चन्द्रा
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29.02.2020

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखा कार्यालय: एससीएफ-84, रेड स्क्वायर मार्किट, कमर्शियल अर्बन एस्टेट- हिसार

कब्जा सूचना

[illegible]

कर्जदार/गारंटर का नाम	रेहन संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	बकाया राशि
मै. उत्सुक डायरी प्राइवेट लिमिटेड को निदेशकों- श्रीमती गोदावरी देवी पत्नी रानेंद्र, तथा टिंकू सिंह सुपुत्र दान सिंह के माध्यम से।	संपत्ति नं.1: सुनीता देवी पत्नी श्री दलबीर सिंह के नाम पर कन्वेंस डिलेड नं. 7870 दिनांक 03 मई, 2007 के अनुसार लोकल शापिंग सेंटर, तीसरा तल, ब्लाक जे (एलएससी), विकासपुरी, नई दिल्ली रकबा 55.39 वर्ग मीटर पर कमर्शियल यूनिट नं. 84, सीमाबद्ध: पूर्व में आफिस नं. 83, पश्चिम में आफिस नं. 85, उत्तर में ओपन स्पेस तथा दक्षिण में ओपन स्पेस।	12.07.2019	28.02.2020	87,21,529.75/- रु. [illegible] 07.02.2020 की है और अदायगी की तिथि तक अनुबंधित दर पर आगामी ब्याज जमा लागत, प्रभार व खर्चे

दिनांक: 29.02.2020 स्थान: हिसार प्राधिकृत अधिकारी, (बैंक ऑफ बड़ौदा)

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
सर्किल कार्यालय: नोएडा, बीओः चन्दर नगर, गाजियाबाद

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए) प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8 (1)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तालिका में नीचे वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों को उक्त सूचना की तिथि/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक/ गारन्टर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज/ खर्चे के साथ नीचे वर्णित राशि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा। यदि ऋणधारक/ गारन्टर प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर बकाये को वापस नहीं लौटाते हैं तो बकाये की वसूली के लिए सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी।

क्रम सं.	ऋणधारक/मार्टगैजर/गारन्टर का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (जैसा कि धारा 13(2) के अधीन सूचना में वर्णित है	कब्जा की तिथि
1.	श्री विकल कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री के.एम. कुलश्रेष्ठ एवं श्रीमती रुचि कुलश्रेष्ठ, पत्नी श्री विकल कुलश्रेष्ठ एवं गारन्टर श्री के.एम. कुलश्रेष्ठ, पुत्र स्व. ए.एल. कुलश्रेष्ठ	श्री विकल कुलश्रेष्ठ एवं श्रीमती रुचिका कुलश्रेष्ठ के नाम में बही नं. 1, जिल्द नं. 4536, पेज नं. 1 से 50, क्रम सं. 16855, तिथि 5.8.2004 में उप रजिस्ट्रार-IV, गाजियाबाद के कार्यालय में पंजीकृत फ्री होल्ड आवासीय फ्लैट जीएफ-1, डी-56, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र. सुपर कवर्ड एरिया 900 वर्ग फीट	10.01.2019 रु. 8,57,661/- (रुपए आठ लाख सत्तावन हजार छह सौ इकसठ मात्र) तथा 31.12.2018 से सम्पूर्ण भुगतान तक आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे	26.0.2020
2.	श्री बीरबल सिंह एवं गारन्टर श्री अशोक कुमार सोनी, पुत्र श्री तिलक राज सोनी	श्री बीरबल सिंह के नाम में आवासीय एलआईसी फ्लैट नं. एस-II, फ्रान्ट साइड, दूसरा तल, प्लॉट नं. एस-17 पर, वृन्दावन गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद	03.09.2019 रु. 404080/- (रुपए चार लाख चार हजार अस्सी मात्र) तथा 11.7.2018 से सम्पूर्ण भुगतान तक आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे	26.0.2020

हस्ता../-
तिथि: 29.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गाजियाबाद पंजाब नेशनल बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक
[illegible] फरीदाबाद -121003 टेलीफोन: 0129-2258544-00

शुद्धिपत्र

[illegible]

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
अग्रवाल कार्पोरेट टावर, 23, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
ई-मेल: zodel@andhrabank.co.in, फोन: 011-25713643

शुद्धि पत्र

यह फाइनांसियल एक्सप्रेस तथा जनसत्ता में 10.02.2020 को प्रकाशित विज्ञापन नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में है जिसमें दो सुधार किये गये हैं जो इस प्रकार है:
1. ई-नीलामी की तिथि 10.03.2020 से बढ़ाकर 12.03.2020 कर दी गई है।
2. ईएमडी सांय 4:00 बजे से पहले 11.03.2020 को जमा करनी होगी।

टिप्पणी : अन्य सभी खाताओं/विवरणों/नियमों और शर्ते अपरिवर्तित रहेगी !

स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
दिनाँक : 01.03.2020 आन्ध्रा बैंक

pnb Housing Finance Limited
पंजी. कार्यालय: 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट: www.pnbhousing.com
शाखा का पता: एच. नं. 36, ब्लॉक: बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058,
फोन नं. 011-25546073/74/75 70/74, ई-मेल: janakpuri@pnbhousing.com, वेबसाईट: www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल/चल सम्पति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारन्टर का नाम	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1.	0031 6660001500 बी.ओ.: जनकपुरी	श्री नीलेश सिंह (ऋणधारक) तथा मै. सन एग्रीफ्रेश इन्डस्ट्रीज प्रा.लि. (सह-ऋणधारक)	6.11.2019	6.11.2019 को रु. 1,36,00,224.29 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख दो सौ चौबीस तथा पैसे उन्नतीस मात्र)	25.2.2020 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. ए 77, खसरा नं. 252 एमआई का भाग, उदय सिटी, ग्राम मुबारकपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-244001

स्थान: जनकपुरी, तिथि: 29.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम)
मण्डल कार्यालय - सी-18बी, दीन दयाल पुरम, बरेली-243122, फोन : 0581-2310672, ई-मेल: co.bar@obc.co.in

नियम - 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।
उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
1	शाखा: बरेली सिविल लाईन, बरेली — मैसर्स ऑल मकराना मार्बल्स, श्री अनेक सिंह पुत्र करन सिंह (प्रोपराइटर), श्री दीपक सिंह पुत्र अनेक सिंह (गारंटर)	1. साम्यिक बंधक व्यवसायिक सह रिहायशी मकान साथ में दुकान गाटा नं. 476, नवादा जोगियां, मरगना और तहसील, बरेली में स्थित, क्षेत्रफल 184.31 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री अनेक सिंह पुत्र करन सिंह के नाम पर है। सेल डीड द्वारा दिनांकित 21.03.2015, बही नं. 1, जिल्द नं. 7091, पेज 139 से 162, क्र.सं. 3112 सब रजिस्ट्रार, प्रथम, बरेली, यू.पी में पंजीकृत और सेल डीड दिनांकित 23.03.2015, बही नं. 1 जिल्द नं. 7093, पेज 1 से 24, क्र.सं. 3151, सब रजिस्ट्रार, प्रथम, बरेली, यू.पी. में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में - उलआर श्रीवास्तव जी का मकान, पश्चिम में - सक्सेना जी का मकान, उत्तर में - रास्ता 23फीट 3 इंच चौड़ा, दक्षिण में - अन्य व्यक्ति का प्लॉट	11-12-2019 / 25-02-2020	₹ 38,11,457.00 और भविष्य का ब्याज

दिनांक 25-02-2020, स्थान : बरेली, यू.पी. प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कार्पोरेशन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 30.03.2020 को सांय 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 31.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	झज्जर शाखा, श्री संजय कुमार, मो. 9149373546, फोन: 0129-01251-252100, 01251-254100, ईमेल: cb1104@corpbank.co.in	उधारकर्ता: मैसर्स चौधरी टिम्बर एंड फायर वुड वार्ड नं. 5, दिल्ली गेट, झज्जर हरियाणा-124103 गारंटर: श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र भूप सिंह, मोहल्ला-वार्ड नं. 17 आर्य नगर, झज्जर, हरियाणा	साम्यिक बंधक अचल सम्पत्ति खुला व्यवसायिक प्लॉट मोहल्ला वार्ड नं. 12, मेन सिलानी गेट बादली रोड, तहसील और जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 1089.00 वर्ग गज, जिसका वाईड ट्रांसफर डीड नं. 3801, दिनांकित 19.08.2014 पंजी राव रजिस्ट्रार झज्जर में पंजीकृत	₹ 20,24,335.76 मांग सूचना दिनांक 05.12.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 76.23 लाख / ₹ 7.623 लाख / ₹ 0.50 लाख	31-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 1104013881200101 IFSC Code: CORP0001104
2	झज्जर शाखा, श्री संजय कुमार, मो. 9149373546, फोन: 0129-01251-252100, 01251-254100, ईमेल: cb1104@corpbank.co.in	1. श्री सतीश कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी : मकान नं. 238 वार्ड नं. 06 मोहल्ला-दिवान गेट झज्जर, हरियाणा-124103 सह-आवेदक : 1. श्री दीपक गर्ग पुत्र सतीश कुमार निवासी : मकान नं. 238 वार्ड नं. 06 मोहल्ला-दिवान गेट झज्जर, हरियाणा-124103	साम्यिक बंधक अचल सम्पत्ति जोकि कुल्दीप चौक, मेन चोपता बाजार रोड, हनुमान मन्दिर के विपरीत, निवासी : मकान नं. 238, वार्ड नं. 6, मोहल्ला दीवान गेट, झज्जर में स्थित, क्षेत्रफल 50.62 वर्ग गज	₹ 6,89,626.17 मांग सूचना दिनांक 10.12.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 12.71 लाख / ₹ 1,27,100/- / ₹ 0.50 लाख	31-03-2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 1104013881200101 IFSC Code: CORP0001104

कृपया विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/chaudhary_timber_fire_wood.pdf https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/satish_kumar. और वेबसाईट : www.bankauctions.in & https://ibapi.in देखें।

दिनांक: 29.02.2020 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

बिक्री सूचना
दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत
हेल्पलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापक का कार्यालय: शॉप नं. 7, डीडीए मार्केट, ई-ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065

ई-नीलामी
ई-नीलामी की तिथि एवं समय: सोमवार, 16 मार्च, 2020 (2.00 बजे अप. से 3.30 अप. तक)

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा अटैच की गई मै. हेल्पलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) (एचएचपीएल) के कार्य.-निदेशकों के स्वामित्व की परिसम्पत्ति की बिक्री। उक्त सम्पत्ति की बिक्री बकाये की वसूली के लिये दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है आधार" पर की जायेगी।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री ई-नीलामी टेक्नोलॉजी लि.-Auction Tiger के ई-नीलामी प्लेफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net द्वारा की जायेगी।

क्रम सं.	परिसम्पत्ति	आरक्षित मूल्य (आईएनआर)	ईएमडी राशि (आईएनआर)
1.	आवसीय सम्पत्ति (अचल परिसम्पत्ति) दो मंजिला आवासीय परिसर माप 177.30 वर्ग मी. जो प्लॉट नं. 158, ब्लॉक-जी, सेक्टर-41, नोएडा, जिला जीबी नगर, उ.प्र. मे स्थित है।	1.50 करोड़	15 लाख

टिप्पणी:
1. इस बिक्री सूचना को सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज जिसमें परिसम्पत्तियों, पात्रता, ई-नीलामी बोली प्रपत्र आदि शामिल हैं जो https://nscltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है, के साथ पढ़ें अथवा विस्तृत विवरणों के लिये ईमेलः sarvesh_dam@yahoo.com, सम्पर्क नं. 9818908851 पर सम्पर्क करें।
2. इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि 14 मार्च, 2020, 6 बजे अप. तक परिसमापक के कार्यालय में ईएमडी के साथ अपना आवेदन जमा करें।

हस्ता./-
सवेश कश्यप (परिसमापक)
पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00127/2017-18/10296
हेल्पलाइन हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि. (परिसमापन में)
पत्राचार का पताः 101, निपुण प्लाजा, सेक्टर-1 (मैक्स हॉस्पीटल के निकट) वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.-201010,
ई-मेलः sarvesh_dam@yahoo.com | मोबाईलः +91 9818908851

तिथि: 29.2.2020
स्थान: नई दिल्ली

www.readwhere.com

स्वतंत्रता सेनानी पर टिप्पणी से छिड़ा विवाद

पाटील यतनाल की टिप्पणी के समर्थन में आए भाजपा नेता

बंगलुरु, 29 फरवरी (भाषा)।

स्वतंत्रता सेनानी एचएस दुरैस्वामी को 'पाकिस्तान का एजंट' बताने वाले विजयपुरा के विधायक बासनगौड़ा पाटील यतनाल का कई भाजपा नेताओं ने समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस ने यतनाल पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

यतनाल ने दुरैस्वामी को 'फर्जी स्वतंत्रता सेनानी' बताते हुए कहा था कि 'वह पाकिस्तानी एजंट' थे। इसके कुछ दिन बाद भाजपा नेता यतनाल के समर्थन में आ गए। यतनाल ने 25 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी कांग्रेस के 'संविधान बचाओ' सभा से जुड़े एक सवाल के जवाब में किया था।

पाटिल ने कहा, 'कई फर्जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। एक बंगलुरु में भी हैं। हमें अब बताना पड़ेगा कि दुरैस्वामी क्या हैं। वह वृद्ध कहां हैं? वह पाकिस्तान के एजंट की तरह व्यवहार करते हैं?' प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कोडागु में शनिवार को यतनाल की टिप्पणी पर कहा, 'दुरैस्वामी बुजुर्ग हैं और हम सबके वरिष्ठ हैं। उन्होंने कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए और इससे किसकी भावनाएं आहत होंगी।' उन्होंने कहा, 'हम सबने देखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा। अगर आप बुरा बोलेंगे तो बुरा सुनेंगे भी।' बेल्लारी सिटी के विधायक जी सोमशेखर रेड्डी ने भी यतनाल का समर्थन करते हुए कहा कि उनका बयान उचित था।

उन्होंने कहा, 'उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। यह पूरी तरह सही। मैं उनका समर्थन करता हूं। सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी होना ही अच्छा नहीं है बल्कि उन्हें 'देशभक्त' भी होना चाहिए, जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे।' शुक्रवार को भाजपा के अन्य मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने दुरैस्वामी की यह कहते हुए निंदा की कि स्वतंत्रता सेनानी अमूल्या लियोन के आवास क्यों गए और उनका उसके परिवार से अच्छा रिश्ता है।

अमूल्या ने 21 फरवरी को सीएए विरोधी कार्यक्रम में तीन बार 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाकर सबको स्तब्ध कर दिया था। दुरैस्वामी के खिलाफ यतनाल के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यतनाल के विरुद्ध प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मुद्दे पर चर्चा

मुंबई, 29 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण के नेतृत्व वाली कैबिनेट की उप समिति की शनिवार को वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के साथ बैठक हुई जिसमें 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले मराठा आरक्षण पर चर्चा हुई।

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रोहतगी और अन्य वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चव्हाण ने कहा कि उप समिति ने तैयारियों का जायजा लिया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय को दिया जाने वाला आरक्षण बरकरार रहे।

कांग्रेस नेता चव्हाण ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हमने अच्छे और वरिष्ठ वकीलों की टीम बनाई है जिसमें रोहतगी व अन्य शामिल हैं।

परमबीर सिंह मुंबई के नए पुलिस आयुक्त

मुंबई, 29 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त के तौर पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह की शनिवार को नियुक्ति की।

सिंह ने ठाणे के पूर्व पुलिस आयुक्त और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह ने संजय बर्वे की जगह ली है जो शनिवार को सेवानिवृत्त हुए। मुंबई के पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने से पहले सिंह भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक के तौर पर तैनात थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) बिपिन के. सिंह को एसीबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी बिपिन सिंह को राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

पिछले साल दिसंबर में, बतौर एसीबी प्रमुख परमबीर सिंह ने 12 विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) परियोजनाओं में कथित घोटाले के संबंध में राकांपा नेता अजित पवार को क्लीन चिट दी थी जो फिलहाल राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं।

एक बयान में बताया गया कि पूर्व में परमबीर सिंह ने पुलिस विभाग में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वह ठाणे के पुलिस आयुक्त रहे हैं, मुंबई के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के डीसीपी और चंद्रपुर और भंडारा जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रहे हैं।

इसमें कहा गया कि वह राज्य में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) के तौर पर सेवा दे चुके हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, 'मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। सिंह उनका स्थान लेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद की गई।' इससे पहले मुंबई के निवर्तमान पुलिस आयुक्त संजय बर्वे को उनके सहयोगियों ने यहां नायगांव पुलिस मुख्यालय में विदाई दी।

पिछले साल फरवरी में आयुक्त का प्रभार संभालने वाले बर्वे की सेवा अवधि दो बार पहले अगस्त में और फिर नवंबर में बढ़ाई गई थी।

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S INDEPENDENT TV LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of Corporate Debtor	M/s Independent TV Limited
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	13/05/2005
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Mumbai
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U45203MH2005PLC153294
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai, MH-400710
6	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	26.02.2020
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	24.08.2020
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Anup Kumar Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	734, Lawyers Chamber Block, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054 Email : sachanlawanalyst@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Anup Kumar C/o M/s Synergy Insolvency Professionals LLP (IPE) 906, Hthum Business Park, Sector-62, Noida UP-201301 Email: cirp.independentTV@synergyipe.com
11.	Last date for submission of claims	14.03.2020
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Not Applicable
13.	Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Formats of relevant forms are available at Web Link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads Details of Authorized Representatives: Not Applicable

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of the **M/s Independent TV Ltd. on 26.02.2020 vide C.P. (IB) No. 3176/NCLT/MB/C-IV/2019.**

The creditors of **M/s Independent TV Ltd.** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **14.03.2020** to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No.10.

The Financial Creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. The Operational Creditors including workmen and employees may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

The existing directors and managers of the Corporate Debtor are requested to ensure compliance of provisions of Section 17 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. All existing Bankers/Financial Institutions maintaining the accounts of Corporate Debtor are requested to ensure compliance of Section 17 (1) (d) of the Code

Sd/-
Anup Kumar
Interim Resolution Professional for M/s Independent TV Limited
Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911

Date: 29.02.2020
Place: Delhi

प्रपत्र क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ब्राइटसन टैक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ब्राइटसन टैक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	22/11/2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U80904DL2007PTC170656
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	बी-134, प्रथम तल, जोशी कॉलोनी मंडावली फाजलपुर, दिल्ली-110092 175/F.I.E. पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ तिथि	07/02/2020 (आदेश 28/02/2020 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	05/08/2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	श्री केशुब्रा नारायण मोहपात्रा आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00618/2018-19/11981
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	24, दूसरी मंजिल, एफ-21, लाडो सराय, कालीमाता मंदिर के पीछे, नई दिल्ली-110030 ईमेल: ksnm72@hotmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	5 ग्राउंड फ्लोर, एफ-21, लाडो सराय, कालीमाता मंदिर के पीछे, नई दिल्ली-110030 ईमेल: irp.brightsontechnocraft@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	12/03/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	कुछ नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **07 फरवरी 2020** को **ब्राइटसन टैक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

ब्राइटसन टैक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **13 मार्च 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
केशुब्रा नारायण मोहपात्रा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00618/2018-19/11981

दिनांक : 29 फरवरी 2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूची

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

डैश एक्स्पोर्ट्स प्रा. लि. के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	डैश एक्स्पोर्ट्स प्रा. लि.
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	4.8.1994
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1994PTC060673
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	109, समयपुर, 1ला तल, गली नं. 6, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली-110042
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	26.02.2020 (आदेश की प्रति 28.02.2020 को प्राप्त की गई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	24 अगस्त, 2020 अर्थात् दिवाला शुरू होने की तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	श्री संतोष शर्मा पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00898/2019-20/12842
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	पताः 6/129, प्रकाश डेयरी के निकट, लोधी मोहल्ला, शाहदरा, नई दिल्ली-110032 ईमेलः sci.santoshsharma@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः यूनिट नं. 110, प्रथम् तल, जेएमडी पैसिफिक स्क्वॉयर, सेक्टर-15, पार्ट-II, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, ई-मेलः irp.dashexports@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	13 मार्च, 2020 अर्थात् अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा आदेश की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	इस चरण में क्रेडीटरों का कोई वर्ग सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः www.ibbi.gov.in/downloadform.html भौतिक पताः यूनिट नं. 110, प्रथम तल, जेएमडी पैसिफिक स्क्वॉयर, सेक्टर-15, पार्ट-II, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 26 फरवरी, 2020 को डैश एक्स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा डैश एक्स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 13 मार्च 2020 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं- लागू नहीं

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
श्री संतोश शर्मा
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
डैश एक्स्पोर्ट्स प्रा. लि. के मामले में
IBBI पंजी. नं.: IBBI/IPA-002/IP-N00898/12842

तिथिः 29.02.2020
स्थानः दिल्ली

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

एनआईटी, फरीदाबाद

5 ई/7 बी.पी. रेलवे रोड, एनआईटी फरीदाबाद-121001, टेली.नं. 0129-2420061

कब्जा सूचना

{प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1)} (अचल सम्पत्ति) के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.03.2019 जारी कर ऋणधारक श्री / मै सेठी ट्रेडिंग कम्पनी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,53,26,512/- (रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख छब्बीस हजार पांच सौ बारह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 26 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित्त प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारक पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः

1. **भूमि व भवनः** श्री शेर मोह. तथा श्री संजय खान के स्वामित्व में संयुक्त रूप से आवासीय सम्पत्ति एच.नं. बी 331, खेवट नं. 176 मिन, खाता नं. 275, 27 रेक्ट. नं. 73, किल्ला नं. 10/3/2/2 (1-1) (1-10), 11/1 (0-20), रेक्ट नं. 74, किल्ला नं. 6/1 (2-20) का भाग, ग्राम बडखल फरीदाबाद में स्थित आवासीय, माप लगभग 12519 वर्ग फीट। **चौहद्दीः** पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः रोड।

2. **भवनः** श्री शेर मोह. तथा श्री संजय खान के संयुक्त स्वामित्व में कॉमर्सियल सम्पत्ति शॉप नं. 5 तथा 6, सैफी प्लाजा, खेवट/ खाता नं. 273/418, 189/227 एवं 288 रेक्ट नं. 100 किल्ला नं. 6/3/1 रेक्ट नं. 100, किल्ला नं. 14/2/9, 6/2, 5/2 का भाग, सेक्टर 48 के सामने, बडखल पाली रोड, बडखल, फरीदाबाद में स्थित कार्यालय माप लगभग 899.91 वर्ग फीट। **चौहद्दीः** पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः नसीर की सम्पत्ति, उत्तरः शमसुद्दीन का शॉप, दक्षिणः सफीफ का प्लॉट।

तिथिः 26.2.2020
स्थानः एनआईटी, फरीदाबाद

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
आन्ध्रा बैंक

बैंक ऑफ इण्डिया
बहादुरशाह जफर मार्ग शाखा, ''हंस भवन'' बहादुरशाह जफर मार्ग, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002,
दूरभाषः 23379468, 23370617, 23370534
ई-मेलः BSZaffarMarg.NewDelhl@bankofindla.co.ln

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 (2) तथा प्रतिभूति अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत सूचना

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री उमेश मल्होत्रा, सम्पत्ति सं. 21ए, एस.एफ., सेवक पार्क, खसरा नं. 874,875,876 तथा 877, दूसरी मंजिल, उत्तम नगर, दिल्ली-59, साथ ही : दुकान नं. जे 4, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015, साथ हीः डब्ल्यूजेड-58, प्रथम तल, ओम विहार, उत्तम नगर, दिल्ली-110059.

आपके निवेदन पर बैंक ने कुल राशि रु. 22.00 लाख के लिए निम्नलिखित साख सुविधाएँ स्वीकृत की हैं। हम यहाँ नीचे अपने द्वारा स्वीकृत विभिन्न साख सुविधाओं तथा सूचना की तिथि तक उसके तहत बकाया राशियों का विवरण दे रहे हैंः

सुविधा की प्रकृति	स्वीकृत सीमा	बकाया राशि
गृह ऋण	रु. 22.00 लाख	रु. 19,16,185.34 (सूचना की तिथि तक)

1. बैंक द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त साख सुविधाएँ निम्नलिखित आस्तियों/प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत हैं (बैंक के पास प्रभारित सम्पत्तियों/आस्तियों का विवरण):
(अ) सम्पत्ति का इक्विटेबल बन्धकः ग्राम नवादा, सेवक पार्क एक्सटेंशन, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 पर स्थित खसरा नं. 874,875,876 तथा 877 में कुल भूमि माप 200 वर्ग गज में से भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज पर निर्मित छत/टेरेस के अधिकार रहित सम्पत्ति सं. 21-ए की दूसरी मंजिल के दाहिनी ओर का भाग।
2. जैसा कि आपने बैंक को अपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप हमने आपके खाते को 31.01.2020 से गैर-निष्पादन खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
3. उपर्युक्त कारणों से हम एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना देते हैं और इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आपके द्वारा पुनर्भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स सहित 9.40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस पर ब्याज, समस्त लागतों, प्रभारों तथा बैंक के व्ययों सहित रु. 19,16,185.34/- (सूचना की तिथि तक अनुबन्धात्मक बकाये) बैंक के अदा करके अपनी पूर्ण देनदारियों को अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर हम लागतों तथा परिणामों के आपके पूर्ण रूप से जोखिम पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध बैंक वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।
4. यद्यपि हम उपर्युक्त अवधि के भीतर पुनर्भुगतान तक प्रयोज्य ब्याज, समस्त लागतों तथा बैंक द्वारा किये गये व्ययों सहित सम्पूर्ण कार्य का बैंक को भुगतान करके आपको अपनी उपर्युक्त देनदारियाँ अदा करने तथा प्रतिभूति आस्तियों को छुड़ाने का आह्वान करते हैं, कृपया विशेष रूप से ध्यान दें कि सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने का अधिकार आपको केवल सार्वजनिक नीलामी की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक अथवा प्रतिभूति आस्तियों को पट्टे, एसाइनमेंट अथवा बिक्री द्वारा अन्तरण हेतु सार्वजनिक या निजी सन्धि से कोटेशन आमन्त्रित करने या निविदा करने तक उपलब्ध होगा।
5. उपर्युक्त शक्तियों का उपयोग करके वसूली गयी राशि सर्वप्रथम समस्त लागतों, प्रभारों तथा हमारे द्वारा किये गये व्ययों तथा/अथवा उस पर किसी अन्य आकस्मिक व्ययों में प्रयुक्त किया जायेगा, और दूसरे इस सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि अनुबन्धात्मक ब्याज सहित बैंक के उपर्युक्त बकायों को निस्तारित करने में प्रयुक्त होगा और बैंक सम्पूर्ण बकायों (कर्जदार या जमानती के रूप में बैंक के प्रति आपके किसी बकायों सहित) की वसूली के पश्चात शेष राशि, यदि कोई हो, आपको अदा करनी होगी।
6. यदि प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कथित शक्तियों के उपयोग में कार्यवाही से वसूली द्वारा कथित देयताएँ पूरी नहीं होती हैं तो हमारे पास समस्त लागतों आदि और उसके आकस्मिक व्ययों सहित शेष बकाया राशि की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण/न्यायालय के समक्ष विधिक/वसूली कार्यवाही दर्ज करने सहित आपकी अन्य आस्तियों तथा आपके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. कृपया ध्यान दें कि उपधारा 13 के सन्दर्भ में इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप उपर्युक्त सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति का अन्तरण या उपर्युक्त प्रतिभूति आस्ति पर कोई ऋण भार विक्रय, पट्टे, लाइसेंस, उपहार, बंधक या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे।
8. अधोहस्ताक्षरी इस सूचना को निर्गत करने के लिए बैंक का और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी है।
9. यह कहना निरर्थक है कि आपको यह सूचना किसी अन्य अधिकार या बैंक के पास उपलब्ध किसी उपचार के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गयी है।

आपका विश्वासपात्र
अरुण कुमार पुरी (अधिकृत प्राधिकारी)
मुख्य प्रबन्धकः बहादुरशाह जफर मार्ग

तिथिः 29.02.2020
स्थानः नई दिल्ली

DhanlaxmiBank

[लाजपत नगर शाखा, ई-108 एवं ई-109, लाजपत नगर पार्ट-1, नई दिल्ली-110024]
अंचल कार्यालयः नई दिल्ली कॉर्पोरेट कार्यालयः थ्रिस्सुर

तिथिः 21.02.2020

सेवा में,

1. श्री आशुतोष शर्मा, स्व. श्रीमती श्वेता शर्मा के भाई, (स्व. श्वेता शर्मा के विल तिथि 23.4.2018 के माध्यम से श्वेता शर्मा के सांविधिक उत्तराधिकारी, पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, डी-1120, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016, उत्तर प्रदेश
2. श्री प्रभात शर्मा, स्व. श्रीमती श्वेता शर्मा के भाई, (स्व. श्वेता शर्मा के विल तिथि 23.4.2018 के माध्यम से श्वेता शर्मा के सांविधिक उत्तराधिकारी, पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, डी-1120, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016, उत्तर प्रदेश
3. सुश्री महिका सिंह, स्व. श्वेता शर्मा एवं स्व. श्री विमल शर्मा की अल्पवयस्क पुत्री, श्री आशुतोष शर्मा तथा श्री प्रभात शर्मा के अभिभावकत्व में, स्व. श्वेता शर्मा के विल तिथि 23.4.2018 के अनुसार, डी-1120, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016, उत्तर प्रदेश
4. मास्टर कुशाग्र सिंह, स्व. श्वेता शर्मा एवं स्व. श्री विमल शर्मा के अवयस्क पुत्र, श्री आशुतोष शर्मा तथा श्री प्रभात शर्मा के अभिभावकत्व में, स्व. श्वेता शर्मा के विल तिथि 23.4.2018 के अनुसार, डी-1120, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016, उत्तर प्रदेश
5. श्रीमती दसी सिंह, पत्नी दामोदर सिंह (स्व. श्री विमल सिंह की माता), फ्लैट नं. जी-1, प्लॉट नं. जे-39, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095

प्रिय महोदय,

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

1. हम धनलक्ष्मी बैंक लि., एक विधिवत पंजीकृत व्यावसायिक बैंक, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय थ्रिसुर, केरल राज्य में, अंचल कार्यालय, 2रा तल, नं. 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में है तथा अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालय ई-108 एवं 109, लाजपत नगर, पार्ट-1, नई दिल्ली-110024 में है (यहां के बाद ''बैंक'' के रूप में वर्णित) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपके लिये यह सूचना जारी करता है।
2. हमारी बैंक की लाजपत नगर शाखा ने आवश्यक ऋण दस्तावेजों को प्राप्त करने तथा प्रतिभूति अनुबंधों पर श्रीमती श्वेता शर्मा (ऋणधारक) एवं श्री विमल सिंह (सह-ऋणधारक) को निम्न वित्तीय सहायता/ साख सुविधाएं जारी की थीः

क्रम सं.	साख सुविधा का प्रकार	ऋण राशि/सीमा	दस्तावेज/एओएल की तिथि	बकाया राशि (31.01.2020 को)	ब्याज दर
1.	धनम प्टेनियम जुबिली गृह ऋण	रु. 10,00,000/-	08.04.2015	रु. 8,29,386/-	11.50%

3. ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक ने हमारी बैंक के पक्ष में निम्न परिसम्पत्तियों के संदर्भ में प्रतिभूति हित का निर्माण किया हैः

क) यहां नीचे 'अनुसूची क' में वर्णित सम्पत्ति के टाईटल डीड्स जमा कर मार्टगैज, यहां के बाद 'क' अनुसूचित सम्पत्ति के रूप में वर्णित अनुसूचिति परिसम्पत्ति यहां के बाद सामूहिक रूप से ''प्रतिभूति परिसम्पत्ति'' के रूप में वर्णित।

4. आप ने ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक के रूप में स्वीकृति की शर्तों, ऋण अनुबंधों तथा प्रतिभूति दस्तावेजों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उक्त प्रतिभूत वित्तीय सहायता के भुगतान की अनदेखी तथा उसमें चूक की है। तदनुसार 9.12.2019 से अधिनियम की धारा 2 (0) में परिभाषित रूप में आपकी उक्त खाता/ ओं को बैंक ने गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
5. आप अन्य लागत एवं खर्चे के साथ 1.2.2020 से सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक 11.35% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ रु. 8,29,386/- (रुपये आठ लाख उन्नतीस हजार तीन सौ छियासी मात्र) की कुल राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। बार-बार मांग किये जाने के बावजूद आप ने ऋण/वित्तीय सहायता का पुनर्भुगतान नहीं किया है।
6. अधिनियम की धारा 2 (जेडडी) के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' है तथा आपको यह सूचना जारी करने के लिये अधिकृत है।
7. अतएव हम आपसे मांग करते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर 01.02.2020 से 11.35% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज तथा दंड ब्याज, अन्य चार्जेज, लागत तथा खर्चे के साथ रु. 8,29,386/- (रुपये आठ लाख उन्नतीस हजार तीन सौ छियासी मात्र) की राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में बैंक अपने अधिकारों तथा उपचारों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न उपायों का अवलम्बन करेगा।
8. एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की लिखित पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना बैंक के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय इस सूचना की प्राप्ति के बाद नहीं करेंगे। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों की अवज्ञा अथवा उल्लंघन करता है तो वह एक वर्ष तक की कैद अथवा दंड अथवा दोनों का भागी होगा।
9. पुनः कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण देयताओं का भुगतान नहीं करने तथा अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक द्वारा कोई कार्रवाई शुरू करने की स्थिति में आप इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री राशि से बैंक की सम्पूर्ण बकाया देयता पूरी नहीं होती है तो बैंक आपकी चल तथा अचल दोनों परिसम्पत्तियों से व्यक्तिगत, संयुक्त तथा पृथक रूप से शेष बकाये की वसूली की कार्रवाई करेगा।
10. अधिनियम की धारा 13(8) में निर्दिष्ट रूप में बिक्री/नीलामी सूचना प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ, सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। यह सूचना कानून के किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वह जो भी उपयुक्त तथा आवश्यक समझे ऐसी कार्रवाई अथवा कानूनी कार्यवाही शुरू करने की बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

अनुसूची 'क'

अचल परिसम्पत्तियों का विवरण

क्रम सं.	विवरण
1.	1. श्रीमती श्वेता शर्मा के नाम में आवासीय फ्लैट माप 450 वर्ग फीट, फ्लैट नं. एस-3 (एलआईजी), 2रे तल के बैक साईड में, प्लॉट नं. जे-39, दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली- 110095

चौहद्दीः
पूर्वः एस लेन, पश्चिमः प्रवेश, दक्षिणः जे-38, उत्तरः फ्लैट एस-2

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 21.02.2020 **प्राधिकृत अधिकारी धनलक्ष्मी बैंक लि.**

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Canara Bank** (A Government of India Undertaking) **कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का सख्यांक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांकों को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की मांग करते हुये संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों में भुगतान करने के लिये निर्गमित किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों/मालिकों को विशेषता तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	ऋणकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के तिथि और उसके अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि एवं स्थान
1.	राजेंद्र नगर बरेली	मैसर्स एम एस एंटरप्राइजेज, श्री शारिक अली (प्रोपराइटर) और श्री आलम फुरकान (गारंटर/ बंधककर्ता)	सम्पत्ति के सभी भाग और पार्सल निर्मित मकान स्थित मकान नंबर 254, मोहल्ला [illegible], [illegible] तहसील और जिला-बरेली, श्री आलम फुरकान पुत्र श्री स्वर्गीय मो. सुल्तान अहमद के नाम क्षेत्रफल 225.00 वर्ग गज, सीमायें:- उत्तर: रास्ता सरकारी खड़जा, दक्षिण: मस्जिद और अली बहादुर का मकान, पूर्व: खड़जा उसके बाद अब्दुल मजीद का मकान, पश्चिम: विक्रेता का शेष भाग (नदी बक्श)	08.11.2019 रू0 3435101.00 + ब्याज व अन्य खर्चे 01.11.2019 से	26.02.2020 बरेली
2.	राजेंद्र नगर बरेली	मैसर्स शुगर भोग फ्रेश आटा, श्री मोहम्मद सलीम (प्रोपराइटर/ बंधककर्ता)	सम्पत्ति के सभी भाग और पार्सल निर्मित सम्पत्ति [दिन शुक्र मिली आटा प्लांट भवन, (प्लॉट नंबर 182 और 1/2 प्लॉट नंबर 193 का भाग, खसरा नंबर 869, 870 और 871 का भाग)] स्थित बदिया करगना तहसील और जिला- बरेली (यूपी), मोहम्मद सलीम पुत्र सिकंदर के नाम क्षेत्रफल 250.83 वर्ग मीटर, सीमायें:- उत्तर: विक्रेता के प्लॉट नंबर 193 का शेष 1/2 भाग, दक्षिण: सचिन राहू का प्लॉट नंबर 181, पूर्व: अन्तराम के प्लॉट नं 185 और 184, पश्चिम: रास्ता 6.0 मीटर चौड़ा उसके बाद प्लॉट नंबर 190 और 193	25.11.2019 रू0 3005553.00 + ब्याज व अन्य खर्चे 04.11.2019 से	26.02.2020 बरेली

दिनांक:- 29.02.2020 स्थान:- बरेली प्राधिकृत अधिकारी

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन : **011-28754615, 28754642,**
ईमेल : **dlirec@corpbank.co.in,** वेबसाईट : **www.corpbank.com**

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **31.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

शाखा का नाम एवं पता : नोएडा कॉर्पोरेट शाखा फोन नं. 0120-2511225, 2511224, 2517205

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	उधारकर्ताः मैसर्स शीन इंडिया प्रा. लि. इसके निदेशक, पंजी. कॉर्यालय : मकान नं. 211, संतमठ सत्संग आश्रम के पास, महरोली, नई दिल्ली -110068 कॉर्प. कार्यालयः बी-107, सेक्टर -63, नोएडा, यू.पी - 201303 फैक्टरी का पताः बी-152, सेक्टर-63, नोएडा, यू.पी.-201303, गारंटरः श्री अपूर्वा जोशी पुत्र श्री जगदीश चंद्र जोशी, डी-69/56, सेक्टर-50, नोएडा, यू.पी, 2) सुश्री गीतिका कुबेरा पत्नी श्री अपूर्वा जोशी, डी -69/56, सैक्टर-50, नोएडा, यू.पी और : ई-122, पार्श्वनाथ प्लेटिनम, सैक्टर-ताऊ, चौरसिया एस्टेट, डी-1, स्वाराम नगरी, ग्रेटर नोएडा, 3) श्री आदेश भाटी पुत्र श्री जाटान स्वरूप भाटी, 267, ब्लॉक-जे, सैक्टर-बीटा, ग्रेटर नोएडा, यू.पी, 4) सुश्री राज भाटी पत्नी श्री आदेश भाटी 267, ब्लॉक-जे, सेक्ट-बीटा, ग्रेटर नोएडा, यू.पी 5) मैसर्स सर्वेश्वर क्रिएशंस प्रा. लि., इसके निदेशक कॉर्प. कार्यालयः बी-107, सैक्टर-63, नोएडा, यू.पी.-201303 फैक्टरी का पताः बी-152, सेक्टर-63, नोएडा, यू.पी.-201303	बकाया राशि ₹ 30,66,70,596.91 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 01 रिहायशी भूमि एवं भवन 267, ब्लॉक जे सैक्टर बीटा, ग्रेटर नोएडा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री आदेश भाटी के नाम पर है।
नीलामी की तिथि एवं समय : **31.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **54,32,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **5,43,200/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sheen_india_pvt._ltd.pdf

सम्पत्ति नं. 02 फ्लैट नं. 103, जोकि प्रथम तल, टॉवर टी 10, रॉयल रिट्रिट ओमैक्स एनआरआई सिटी, ग्रेटर नोएडा, यह सम्पत्ति श्री आदेश भाटी और श्रीमती राज भाटी के नाम पर है।
नीलामी की तिथि एवं समय : **31.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **76,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **7,60,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sheen_india_pvt._ltd.pdf

सम्पत्ति नं. 03 औद्योगिक भूमि एवं भवन बी-58, सैक्टर-63, नोएडा में स्थित, यह सम्पत्ति **मैसर्स सर्वेश्वर क्रिएशंस प्रा. लि. के नाम पर है।**
नीलामी की तिथि एवं समय : **31.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,69,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **36,90,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sheen_india_pvt._ltd.pdf

सम्पत्ति नं. 04 औद्योगिक भूमि एवं भवन बी-107, सैक्टर-63, नोएडा में स्थित, यह सम्पत्ति **मैसर्स शीन इंडिया प्रा. लि. के नाम पर है।**
नीलामी की तिथि एवं समय : **31.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,30,93,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **33,09,300/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sheen_india_pvt._ltd.pdf

शाखा का नाम एवं पता : मॉडल टाउन शाखा फोन नं. 011-27450034, 27450217

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	उधारकर्ताः मैसर्स सागर एंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर - सोनू सागर, जे -4/12 खसरा नं 131, मेन रोड करतार नगर, गाँव घोंडा गुजरान खादर, शाहदरा, दिल्ली गारंटर : राजेश कुमार सागर, जे-4/12 खसरा नं. 131, मेन रोड करतार नगर, गाँव घोंडा गुजरान खादर, शाहदरा, दिल्ली	बकाया राशि ₹ 73,36,652/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 05 फ्री होल्ड सम्पत्ति जे -4/12, मेन रोड, करतार नगर, गाँव घोंडा गुजरान खादर, शाहदरा, दिल्ली-110053 में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, खसरा नं. 131 में से, यह सम्पत्ति संयुक्त रूप से श्री सोनू सागर प्रोप. मैसर्स सागर इंटरप्राईजेज़ और श्री राजेश कुमार सागर पुत्र स्व. श्री हरि शंकर सागर के दोनो बेटों के नाम पर है। (Property description as specified in the Relinquishment Deed dated 01.05.2008) चौहद्दीः उत्तर में - श्री प्रवीन की सम्पत्ति, दक्षिण में - 25' चौडी रोड, पूरब में - श्री मोती लाल शर्मा / 15' चौडी गली, पश्चिम में- श्री अशोक कुमार की सम्पत्ति
नीलामी की तिथि एवं समय : **31.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,00,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **30,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sagar_enterprises_.pdf

दिनांक **29-02-2020**, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

www.readwhere.com

आंध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

आंचलिक कार्यालयः मेरठ, Email: zomrt@andhrabank.co.in, फोन नं0 0121-2767300/2765100/2768622/2604346

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन) अधिनियम 2002, नियम 9 के अन्तर्गत ई–नीलामी सूचना

जबकि, नीचे वर्णित कर्जदारों द्वारा आन्ध्रा बैंक की विभिन्न शाखाओं से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की गई हैं और उनके प्रतिभूतियों से ... उनकी तरफ बकाया राशि नीचे दी गई है। अतः आन्ध्रा बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के 54 की धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्ति के यहां नीचे वर्णित वेबसाइट/पोर्टल **www.tenderwizard.com/ANB** के माध्यम से संचालित ई–नीलामी द्वारा सार्वजनिक नीलामी में बेचने का निर्णय लिया गया है। **नीचे वर्णित प्रतिभूत सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य नीचे कॉलम में वर्णित अनुसार किया गया है तथा सम्पत्तियों को उक्त आरक्षित मूल्य से ऊपर बेचा जायेगा तथा सम्पत्ति को उक्त "जैसा है जहां है और जो कुछ भी है" के आधार पर उल्लेखित तिथि को बेचा जायेगा।** [illegible] उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन तक, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और ऐसा करने में असफल रहने पर, सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। क्रेता द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिन के भीतर अथवा क्रेता और प्रत्याभूत क्रेडिटर के बीच लिखित रूप में सहमत विस्तारित अवधि के भीतर जमा कराई जाएगी। निर्धारित समय में राशि अदा नहीं किए जाने की स्थिति में पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त मानी जाएगी तथा बैंक सम्पत्ति की दोबारा बिक्री के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक को सम्पत्ति पर किसी भार की जानकारी नहीं है। इच्छुक पार्टियां सम्पत्ति का **निरीक्षण दिनांक 26.03.2020 एवं 27.03.2020 को प्रातः 10.00 बजे तथा अप. 4:00 बजे** के बीच कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाली पार्टियों को सम्पत्ति की जांच नीलामी में भाग लेने से पहले सावधानीपूर्वक कर लेनी चाहिए। बैंक बाद में किसी भी आधार पर सम्पत्ति के संबंध में किसी विवाद हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–IA के अनुसार, रू0 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) तथा अधिक बिक्री मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/क्रेता को बिक्री मूल्य से 1 प्रतिशत की दर पर टीडीएस काटकर आयकर विभाग में प्रपत्र सं 16–बी में जमा करना होगा, जिसमें बैंक का नाम तथा **पैन नंबर एएबीसीए7375सी** बतौर विक्रेता देना होगा और टीडीएस प्रमाणपत्र की मूल रसीद बैंक में जमा करनी होगी। क्रेता को स्थानीय करों, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सांविधिक देयों का भुगतान करना होगा। बिक्री के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों पर पंजीकरण शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी क्रेता को वहन करनी होगी। सम्पत्ति की बिक्री सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित नियमों तथा शर्तों पर "जैसी है जहां है तथा जैसी है जो है" के आधार पर की जाएगी। इच्छुक क्रेता बिड लगाने से पूर्व सम्पत्ति के ऊपर किसी प्राधिकरण का किसी भी प्रकार का दावा, प्रभार/भार (बैंक प्रभार के अतिरिक्त) के लिए गहन रूप से निरीक्षण कर लें एवं स्वयं को सम्पत्ति के स्वामित्व, सीमा, सम्पत्ति एवं आकार एवं क्षेत्रफल के लिए संतुष्ट कर लें। ऑन-लाईन बिड जमा करने के पश्चात बिक्री के लिए रखी गयी सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा जैसे कि प्रभार/भार या कोई अन्य मामले में स्वीकार नहीं किया जायेगा। सम्पत्ति की बिक्री हेतु बैंक का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा और उस पर कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम/पता/ फोन नं0	खाते का नाम	मांग नोटिस 13(2) के अनुसार बकाया राशि	बंधक सम्पत्तियों का विवरण (स्वामित्व का नाम)	रिजर्व मूल्य/ईएमडी/ बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी खाता संख्या/ आईएफएससी कोड का विवरण
1	**बल्लुपुर चौक देहरादून शाखाः** 196 1 एवी टॉवर चकराता रोड, बल्लुपुर चौक, देहरादून–248001 फोन नं0: 0135–2755886, ई–मेलः bm0855@andhrbank.co.in	मैसर्स 3एम स्टोर्स (प्रोपराइटर श्रीमती नीतू वर्मा), **सह-ऋणीः** श्री राजीव वर्मा पुत्र श्री राजेंद्र कुमार वर्मा (प्रोपराइटर मैसर्स कम्फर्ट टूर एंड ट्रेवल्स)	दिनांक 02.09.2019 तक रू0 30,98,312.35 एवं कब्जे की तिथि 16.12.2019 (भौतिक)	आवासीय भूमि स्थित म्यूनिसिपल नं0 26/23, पुराना नं0 16, फल्टू लाईन, निकट एवं गली के सामने, पंचायती मन्दिर, क्लाक टॉवर, देहरादून, फ्रीहोल्ड दक्षिण दिशा की ओर प्लॉट, माप 205 वर्ग मीटर, सीमायें:-पूर्वः श्री महिमानन्द एवं भवानी दास की सम्पत्ति, साइड माप 44 फीट 6 इंच, पश्चिमः खरीदार की सम्पत्ति, साइड माप 39 फीट, उत्तरः श्री चारे लाल गुप्ता की सम्पत्ति, साइड माप 47 फीट 6 इंच, दक्षिणः 14 फीट चौड़ा रास्ता, साइड माप 54 फीट 9 इंच	रिजर्व मूल्य **रू0 99,45,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 9,94,500/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 225011100001352 **आईएफएससी कोडः** ANDB0002250
2	**हुसैनपुर बोपारा शाखाः** ग्राम व पोस्ट घासीपुरा मजार, हुसैन पुर, बोपारा पोस्ट मंसूरपुर, मुजफ्फर नगर जिला–251203 फोन नं0: 01396–252544 ई–मेलः bm1888@andhrbank.co.in	मैसर्स ब्रह्म शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी (प्रो.: विनित पुत्र बालेश्वर **गारन्टरः** श्रीमती निर्मला देवी पत्नी ईलमचंद शर्मा	दिनांक 04.07.2019 तक रू0 36,46,758.50 एवं कब्जे की तिथि 04.10.2019 (सांकेतिक)	भूमि व भवन-आवासीय संबंधित स्वामिनी श्रीमती निर्मला देवी पत्नी ईलमचंद शर्मा (सम्पत्ति स्वामी) स्थित मकान नं0 965/02, रामपुरी, निकट सरोजनी देवी इंटर कालेज, मुजफ्फरनगर, फ्रीहोल्ड एवं पूर्व दिशा की ओर भवन भूतल पर एवं प्रथम तल पर, क्षेत्रफल 146.66 वर्ग मीटर, सीमायें:-पूर्वः इंटरलोकिंग टाइल्स लेन 20 फीट चौड़ा, पश्चिमः अनिता की सम्पत्ति, उत्तरः अन्य की आवासीय सम्पत्ति, दक्षिणः श्री राजकुमार तोमर की आवासीय सम्पत्ति	रिजर्व मूल्य **रू0 44,20,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 4,42,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**310.03.2020** प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 188811100001088 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001888
3	**मेरठ शाखाः** 786, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ, उ0प्र0–250002 फोन नं0: 0121–2654897, 2661277 ई–मेलः bm0855@andhrbank.co.in	मैसर्स राज इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर श्री राज कुमार दीनानाथ वर्मा, **सह-ऋणीः** श्रीमती गुड़िया वर्मा पत्नी श्री राज कुमार दीनानाथ वर्मा	दिनांक 01.01.2019 तक रू0 25,26,394.47 एवं कब्जे की तिथि 02.05.2019 (सांकेतिक)	बंधक आवासीय फ्लैट नं0 FF-1, प्रथम तल (बिना अधिकार के छत), फ्लैट प्लाट नं0 532 पर,सैक्टर-3, रेजीडेंशियल कालोनी, वसुन्धरा कालोनी, आई.ई. साहिबाबाद, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, संबंधित स्वामी श्री राज कुमार दीनानाथ वर्मा पुत्र श्री दीनानाथ वर्मा (संपत्ति स्वामी) एवं सीमायें:-पूर्वः प्लाट नं0 531, पश्चिमः प्लाट नं0 533, उत्तरः प्लाट नं0 527 एवं दक्षिणः रोड 9 मीटर चौड़ा	रिजर्व मूल्य **रू0 31,75,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 3,17,500/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 085511100003633 **आईएफएससी कोडः** ANDB0000855
4	**मेरठ शाखाः** 786, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ, उ0प्र0–250002 फोन नं0: 0121–2654897, 2661277 ई–मेलः bm0855@andhrbank.co.in	श्री संजय साहू पुत्र श्री अनिल साहू, **सह-ऋणीः** श्रीमती रुचि राठौर पत्नी श्री संजय साहू, **बंधककर्ताः** श्री संजय साहू पुत्र श्री अनिल कुमार साहू	दिनांक 01.02.2019 तक रू0 19,18,257.40 एवं कब्जे की तिथि 02.05.2019 (सांकेतिक)	बंधक आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामी श्री संजय साहू (सम्पत्ति का स्वामी) स्थित फ्लैट नं0 जीएफ-2 (एमआईजी) भूतल, प्लाट नं0 सी-331, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-II, ग्राम पसौंडा, गाजियाबाद, उ0प्र0, माप 65.49 वर्ग मीटर, सीमायें:-पूर्वः प्लाट न0 सी-332, पश्चिमः महालक्ष्मी फाईनेंस कम्पनी की भूमि, उत्तरः रोड 60', चौड़ा, दक्षिणः सर्विस लेन	रिजर्व मूल्य **रू0 27,50,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,75,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 085511100003633 **आईएफएससी कोडः** ANDB0000855
5	**पल्लवपुरम शाखाः** मेरठ, सी–3/1, पॉकेट -T, पल्लवपुरम-II, मेरठ, उ0प्र0 –250110, फोन नं0: 0121–2579889 ई–मेलः bm1891@andhrbank.co.in	मैसर्स राम ट्रेडर्स (प्रो. हरेन्द्र चौधरी), श्री हरेन्द्र चौधरी, सह-ऋणी/गारन्टरः श्री अजय कुमार	दिनांक 01.09.2018 तक रू0 24,25,502.82 एवं कब्जे की तिथि 14.12.2018 (सांकेतिक)	भवन-वाणिज्यिक भूमि व भवन स्थित सी1/2, पॉकेट-T, पल्लवपुरम, फेज-1, मेरठ, उ0प्र0 एवं सीमायें: पूर्वः प्लाट सी1/1, पश्चिमः प्लाट नं0 सी1/3, उत्तरः प्राईमरी स्कूल की भूमि, दक्षिणः रोड	रिजर्व मूल्य **रू0 34,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 3,40,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 18911100004890 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001891
6	**बिजनौर शाखाः** श्याम बिहार कॉलोनी किरतपुर रोड, बिजनौर–246701 फोन नं0: 0134–2264365 ई–मेलः bm1890@andhrbank.co.in	श्री सदरुद्दीन खान पुत्र कमरुद्दीन गारन्टरः श्री नदीम अहमद पुत्र रफीक अहमद	दिनांक 01.10.2018 तक रू0 12,91,369.00 एवं कब्जे की तिथि 13.01.2020 (भौतिक)	भूमि एवं भवन-आवासीय संबंधित सम्पत्ति स्वामी श्री सदरुद्दीन खान पुत्र श्री कमरुद्दीन (सम्पत्ति स्वामी) स्थित नगर पालिका सम्पत्ति नं0 505, रेजीडेंशियल, माप क्षेत्रफल 124.14 वर्ग मीटर में दो भाग, स्थित मौहल्ला चाहशीरी, ब्लाक-बी-24, निकट जामा का चौराहा, डा. एजाज अहमद अंसारी के सामने, बिजनौर, उ0प्र0-246701 एवं सीमायें-पूर्वः श्री असलम एवं श्री निसार का मकान, पश्चिमः अंसार अहमद का मकान, उत्तरः निसार अहमद का मकान, दक्षिणः इंटर लॉकिंग टाईल्स गली 13 फीट चौड़ा	रिजर्व मूल्य **रू0 15,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 1,50,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 189011100001459 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001890
7	**बिजनौर शाखाः** श्याम बिहार कॉलोनी किरतपुर रोड, बिजनौर–246701 फोन नं0: 0134–2264365 ई–मेलः bm1890@andhrbank.co.in	मैसर्स वालेकर इंडस्ट्रीज (पार्टनर श्री विजेन्द्र चौधरी एवं श्री प्रफुल्ल कुमार राय) एवं गारन्टरः श्री लोकेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद	दिनांक 02.08.2018 तक रू0 39,88,908.00 एवं कब्जे की तिथि 13.01.2020 (भौतिक)	भूमि व भवन-फैक्टरी संबंधित स्वामी विजेन्द्र चौधरी एवं प्रफुल्ल कुमार राय (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लाट नं0 डी-6, स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट बिजनौर, ग्राम-राशिदपुर गढ़ी, परगना, तहसील-बिजनौर, जिला बिजनौर, माप 223.00 वर्ग मीटर, सीमायें:-पूर्वः प्लाट नं0 डी-7, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लाट सी-2, दक्षिणः प्लाट डी-5	रिजर्व मूल्य **रू0 37,50,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 3,75,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 189011100001459 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001890
8	**रूद्रपुर शाखाः** प्लॉट नं0 02, आवास विकास, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, जिला– 263153 फोन नं0: 05944–245196 ई–मेलः bm1691@andhrbank.co.in	मैसर्स एलएमजी इंटरप्राइजेज (प्रो. श्री मनी भूषण कश्यप), श्री मनी भूषण कश्यप, सह-ऋणीः श्रीमती सोनाली सिंह, गारन्टर/सह-ऋणीः श्री जसवीर सिंह एवं श्री पंकज कुमार गुप्ता	दिनांक 06.09.2018 तक रू0 30,16,002.95 एवं कब्जे की तिथि 14.12.2018 (सांकेतिक)	भूमि व भवन-आवासीय संबंधित स्वामी श्री मनी भूषण कश्यप (संपत्ति स्वामी) स्थित अर्ध शहरी भूमि/भवन, ग्राम-कोरला, परगना-रूद्रपुर, तहसील किच्छा, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड (माप 81.32 वर्ग मीटर), सीमायें:-पूर्वः प्लाट नं0 211, पश्चिमः रास्ता 6.09 मीटर, उत्तरः प्राइवेट प्लाट नं0 223, दक्षिणः रास्ता 7.62 मीटर	रिजर्व मूल्य **रू0 13,47,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 1,34,700/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 169111100005561 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001691
9	**रूद्रपुर शाखाः** प्लॉट नं0 02, आवास विकास, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, जिला– 263153 फोन नं0: 05944–245196 ई–मेलः bm1691@andhrbank.co.in	मैसर्स जनता पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, **डायरेक्टर्सः** 1. श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह, 2. श्री इशविन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह **गारन्टरः** 1. श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह, 2. श्री इशविन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, 3. श्रीमती जोगिन्दर कौर पत्नी श्री हरभजन सिंह, 4. श्री शरण जीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह	दिनांक 02.05.2019 तक रू0 3794057.40 एवं कब्जे की तिथि 15.11.2019 (सांकेतिक)	आवासीय भूमि व भवन-संबंधित स्वामिनी श्रीमती जोगिन्दर कौर पत्नी श्री हरभजन सिंह (सम्पत्ति स्वामी) स्थित अर्द्ध शहरी क्षेत्र, खसरा नं0 31क मिन, रामेश्वरपुर रोड, ग्राम व कस्बा लालपुर तहसील किच्छा जिला उधमसिंह नगर, (क्षेत्रफल 266.17 वर्ग मीटर) सीमायें:-पूर्वः रामेश्वर रोड, पश्चिमः 9'-6' चौड़ा रोड, उत्तरः 12' चौड़ा रोड, दक्षिणः उदयवीर सिंह व लेखराज का मकान	रिजर्व मूल्य **रू0 91,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 9,10,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 169111100005561 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001691
10	**रूद्रपुर शाखाः** प्लॉट नं0 02, आवास विकास, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, जिला– 263153 फोन नं0: 05944–245196 ई–मेलः bm1691@andhrbank.co.in	मैसर्स मेटल आर्ट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड **गारन्टरः** अ) श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राज कुमार पंचाल ब) श्री रोहित कुमार पुत्र श्री राज कुमार पंचाल, स) श्री राज कुमार पंचाल पुत्र श्री लाल मुकुन्द	दिनांक 01.08.2018 तक रू0 74,02,456.01 एवं कब्जे की तिथि 02.03.2019 (सांकेतिक)	**सम्पत्ति नं0 1:**-आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री कृष्ण कुमार (सम्पत्ति स्वामी), स्थित रेजीडेंशियल प्लॉट, खाता नं0 725, खेत नं0 1504 (भाग) ग्राम मुखानी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड, क्षेत्रफल माप 114.42 वर्ग मीटर (1231.16 वर्ग फीट) एवं सीमायें:-पूर्वः विपिन शर्मा की भूमि, पश्चिमः 30 फीट चौड़ा रोड, उत्तरः कृष्ण कुमार का प्लॉट, दक्षिणः राजीव कुमार शर्मा की भूमि	रिजर्व मूल्य **रू0 25,74,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,57,400/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 169111100005561 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001691
				सम्पत्ति नं0 2:-आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री राज कुमार (सम्पत्ति स्वामी), स्थित प्लॉट, खाता नं0 725, खेत नं0 1504 (भाग) ग्राम मुखानी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड, क्षेत्रफल माप 114.42 वर्ग मीटर (1231.16 वर्ग फीट) एवं सीमायें:-पूर्वः अन्य की भूमि, पश्चिमः 30 फीट रोड, उत्तरः गुप्ता जी का मकान, दक्षिणः रोहित कुमार का प्लॉट	रिजर्व मूल्य **रू0 25,74,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,57,400/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 169111100005561 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001691
				सम्पत्ति नं0 3:-आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री कृष्ण कुमार (सम्पत्ति स्वामी), स्थित प्लॉट बाउन्ड्री दीवार सहित, खाता नं0 1576, खेत नं0 1468 मिन (भाग), ग्राम मुखानी वृंदावन विहार कॉलोनी, बिरला कॉलेज रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड, क्षेत्रफल माप 83.64 वर्ग मीटर (900 वर्ग फीट) एवं सीमायें:-पूर्वः 19 फीट रोड, उत्तरः कृष्ण कुमार का प्लॉट, पश्चिमः शाहजी की भूमि, दक्षिणः रोहित कुमार का प्लॉट	रिजर्व मूल्य **रू0 18,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 1,80,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 169111100005561 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001691
				सम्पत्ति नं0 4:-आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री राज कुमार (सम्पत्ति स्वामी), स्थित रेजीडेंशियल प्लॉट बाउन्ड्री सहित, खाता नं0 1576, खेत नं0 1468 मिन (भाग), ग्राम मुखानी वृंदावन विहार कॉलोनी, बिरला कॉलेज रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड, क्षेत्रफल माप 83.64 वर्ग मीटर (900 वर्ग फीट) एवं सीमायें:-पूर्वः 19 फीट रोड, उत्तरः कृष्ण कुमार का मकान, पश्चिमः शाहजी की भूमि, दक्षिणः रोहित कुमार का प्लॉट	रिजर्व मूल्य **रू0 17,30,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 1,73,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 169111100005561 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001691
				सम्पत्ति नं0 5:-आवासीय मकान संबंधित स्वामी श्री कृष्ण कुमार (सम्पत्ति स्वामी), स्थित रेजीडेंशियल मकान नं0 29 ए, खाता नं0 1576, खेत नं0 1468 मिन (भाग), ग्राम मुखानी वृंदावन विहार कॉलोनी, बिरला कॉलेज रोड, हल्द्वानी, भूतल पर निर्माण क्षेत्रफल माप 200.74 वर्ग मीटर (2159.96 वर्ग फीट) एवं सीमायें:-पूर्वः रोड, उत्तरः 18 फीट चौड़ी रोड, पश्चिमः श्री यू.एस. मेहरा का मकान, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति	रिजर्व मूल्य **रू0 59,76,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 5,97,600/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 169111100005561 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001691
11	**गढ़ रोड शाखाः** सीपी–110/1, जागृति विहार, आनन्द हॉस्पिटल के सामने से, गढ़ रोड, मेरठ–250004 फोन नं0: 0121–2767647 ई–मेलः bm1682@andhrbank.co.in	मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, 608, मेजर हरिश चंद अपार्टमेंट, रूड़की रोड मेरठ, श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासीः 240, तहसील रोड, चौपला, गढ़ मुक्तेश्वर, मेरठ-245205, श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री रामोवतार, निवासीः म.न0 52, पट्टी हुलसराय- 1, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर, उ0प्र0 **गारन्टर्सः** 1. श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासीः तहसील रोड, चौपला, गढ़ मुक्तेश्वर, मेरठ-245205 2. श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री राम अवतार, निवासीः मकान नं0 52, पट्टी हुलसराय 1, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर, उ0प्र0	**दिनांक** 01.06.2019 (प्रतिस्थापित सर्विस दिनांक 04.07.2019) **कब्जे की तिथि** 04.09.2019 (प्रतिस्थापित समाचार पत्रों में प्रकाशित तिथि 08.09.2019)	1. भूमि व भवन- आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामी श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री राम अवतार, (सम्पत्ति स्वामी), स्थित रेजीडेंटल फ्लैट नं0 108, निर्माण प्रथम तल पर, मेजर हरिश चंद रॉयल अपार्टमेंट, राम बाग रूड़की रोड, मेरठ, खसरा नं0 79/2 एवं 80 ग्राम रोशनपुर डोरली परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप 92.90 वर्ग मीटर, एवं सीमायें:-पूर्वः आम दीवार तदोपरान्त फ्लैट नं0 107, पश्चिमः खुला आकाश, उत्तरः कोरिडोर तदोपरान्त फ्लैट 116, दक्षिणः खुला आकाश	रिजर्व मूल्य **रू0 21,50,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,15,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				2. भूमि व भवन- आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामी श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री राम अवतार, (सम्पत्ति स्वामी), स्थित रेजीडेंटल फ्लैट नं0 312, निर्माण तृतीय तल पर, मेजर हरिश चंद रॉयल अपार्टमेंट, राम बाग रूड़की रोड, मेरठ, खसरा नं0 79/2 एवं 80 ग्राम रोशनपुर डोरली परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप 130.06 वर्ग मीटर, एवं सीमायें:-पूर्वः आम दीवार तदोपरान्त फ्लैट नं0 311, पश्चिमः सीढ़िया तदोपरान्त फ्लैट नं0 313, उत्तरः खुला आकाश, दक्षिणः कोरिडोर तदोपरान्त फ्लैट 304	रिजर्व मूल्य **रू0 26,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,60,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				3. भूमि -आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लॉट नं0 149, खसरा नं0 278K का भाग, 278Mi, 279, 280, 277, अप्पू ग्रीन पार्क कॉलोनी, एनएच-58, रेवेन्यू ग्राम जमुल्लापुर, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ, माप 162.57 वर्ग मीटर एवं सीमायें:-पूर्वः 25/7.5 मीटर रोड, पश्चिमः 25 फीट/अन्य सम्पत्ति, उत्तरः 70 फीट/ अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः 70 फीट/प्लॉट नं0 150	रिजर्व मूल्य **रू0 22,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,20,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				4. भूमि -आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लॉट नं0 150, खसरा नं0 278K का भाग, 278Mi, 279, 280, 277, अप्पू ग्रीन पार्क कॉलोनी, एनएच-58, रेवेन्यू ग्राम जमुल्लापुर, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ, माप 162.57 वर्ग मीटर एवं सीमायें:-पूर्वः 25/7.5 मीटर रोड, पश्चिमः 25 फीट/अन्य प्लॉट, उत्तरः 70 फीट/ प्लॉट नं0 149, दक्षिणः 70 फीट/प्लॉट नं0 151	रिजर्व मूल्य **रू0 22,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,20,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				5. भूमि -आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लॉट नं0 151, खसरा नं0 278K का भाग, 278Mi, 279, 280, 277, अप्पू ग्रीन पार्क कॉलोनी, एनएच-58, रेवेन्यू ग्राम जमुल्लापुर, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ, माप 162.57 वर्ग मीटर, एवं सीमायें:-पूर्वः 25/7.5 मीटर रोड, पश्चिमः 25 फीट/ अन्य प्लॉट, उत्तरः 70 फीट/ प्लॉट नं0 150, दक्षिणः 70 फीट/प्लॉट नं0 152	रिजर्व मूल्य **रू0 22,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,20,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				6. भूमि एवं भवन- आवासीय मकान (अपूर्ण) संबंधित स्वामी श्री विकास कुमार पुत्र श्री राम अवतार (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लॉट नं0 27, खसरा नं0 266, 267, 268, 269, 270 एवं 271, अप्पू ग्रीन पार्क कॉलोनी, एनएच-58, रेवेन्यू ग्राम जमुल्लापुर, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ, माप 111.48 वर्ग मीटर एवं सीमायें:-पूर्वः 20 फीट/7.5 मीटर रोड, पश्चिमः 20 फीट/प्लॉट नं0 43, उत्तरः 60 फीट/प्लॉट नं0 26, दक्षिणः 60 फीट/प्लॉट नं0 28	रिजर्व मूल्य **रू0 22,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,20,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				7. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए-57/बी,** द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नं0 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.08 वर्ग मीटर। सीमायें:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-80/बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-58/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-57/बी (द्वितीय तल)	रिजर्व मूल्य **रू0 24,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,40,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				8. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए-58/बी,** द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नं0 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.08 वर्ग मीटर। सीमायें:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-79/बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-59/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-57/बी (द्वितीय तल)	रिजर्व मूल्य **रू0 24,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,40,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				9. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए-59/बी,** द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नं0 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.08 वर्ग मीटर। सीमायें:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-78/बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-60/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-58/बी (द्वितीय तल)	रिजर्व मूल्य **रू0 24,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,40,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				10. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए-60/बी,** द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नं0 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.08 वर्ग मीटर। सीमायें:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-77/बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-61/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-59/बी (द्वितीय तल)	रिजर्व मूल्य **रू0 24,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,40,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				11. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए-63/बी,** द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नं0 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ। सीमायें:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-74/बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-64/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-62/बी (द्वितीय तल)	रिजर्व मूल्य **रू0 24,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,40,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				12. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए-66/बी,** (द्वितीय तल), प्लॉट का खसरा नं0 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ। सीमायें:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-71/बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-67/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-65/बी (द्वितीय तल)	रिजर्व मूल्य **रू0 24,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,40,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				13. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए-70/बी,** (द्वितीय तल), प्लॉट का खसरा नं0 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ। सीमायें:-पूर्वः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिमः फ्लैट नं0 ए-67/बी (द्वितीय तल), उत्तरः फ्लैट नं0 ए-69/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-71/बी (द्वितीय तल)	रिजर्व मूल्य **रू0 24,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 2,40,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682
				14. भूमि-आवासीय खुला प्लॉट, खसरा नं0 1773, 0.2027, 2/3 हेक्टेयर, बाहरी रकबा 4.5400 हेक्टयर, सम्पत्ति स्वामी श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री राम अवतार (सम्पत्ति स्वामी) स्थित रेवेन्यू ग्राम दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ। सीमायें:-पूर्वः श्री सतपाल सिंह की कृषि भूमि, पश्चिमः मेन एन.एच-58, उत्तरः तदोपरान्त श्री आरविन्द की कृषि भूमि, दक्षिणः श्री अनुज की कृषि भूमि	रिजर्व मूल्य **रू0 150,00,000/-** ईएमडी मूल्यः **रू0 15,00,000/-** बोली वृद्धि राशि रू0 **20,000/-**	**31.03.2020** प्रातः 1200 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	**खाता संख्याः** 168211100005817 **आईएफएससी कोडः** ANDB0001682

उपरोक्त सम्पत्तियों की नीलामी का संचालन निम्न वर्णित ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा: **नामः अन्तारेस सिस्टम लिमिटेड, पताः 24, सुखा कॉम्पलैक्स, 3 स्टेज, 4 ब्लॉक, बसवेश्वरनगर, बंगलौर–560079, संपर्क व्यक्तिः 1. श्री विजय कुमार, मो0 नं0 7207042074, ई–मेल आईडीः vijaykumar.s@antaressystems.com, 2. श्री मनोहर, मो0 नं0 9686196756/080–40482000,** ई–मेल आईडीः **manohar.s@antaressystems.com 3. श्री रामू जी.के., मो0 नं0 9945266022,** ई–मेल आईडीः **ramu.gk@antaressystems.com** केन्द्रीयकृत हेल्पडेस्क नं0: 18001026185, हैल्पलाईन नं0: 080–49352000, हेल्पलाईन ई–मेल आईडीः **www.antaressystems.com, ई– ऑक्शन पोर्टल के माध्यम सेः www.tenderwizard.com/ANB., www.antaressystems.com.** ई–नीलामी के संबंध में आगे का विवरण तथा ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा प्रपत्र और विस्तृत नियम व शर्तें आन्ध्रा बैंक, संबंधित शाखा / प्राधिकृत अधिकारी (उनके संबंधित नं0 या फोन नं0 0121–2768622/2604346 पर संपर्क करें) तथा निम्नलिखित वेबसाईट पर भी उपलब्ध है– **1. www.antaressystems.com 2. www.andhrabank.in 3. www.tenders.gov.in.**

ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमाण्ड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चों सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करें– **0121-2767300.**

दिनांकः 01.03.2020 | स्थानः मेरठ | प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक, फोन नं0: 0121–2767300

बारिश ने बदला मौसम का मिजाज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 फरवरी।

न्यूनतम तापमान औसत से चार डिग्री अधिक 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो बारिश के बाद गिर कर 12 पर आ गया। रविवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आस पास रहने के आसार हैं। हवा में नमी का स्तर 88 फीसद रहा।

दिल्ली सहित जम्मू–कश्मीर व आसपास में अचानक शुरू हुई बारिश व कुछ इलाकों में ओले के चलते मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तमाम पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हल्की व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम में आई तल्खी थोड़ी कम हो गई है। अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं।

राजधानी में दिन भर से छाए बादल शाम पांच बजे तक आचानक घने व काले हो गए। इसके साथ ही बारिश शुरू हो गई। कुछ इलाकों में तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। पूर्वी दिल्ली में कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी सूचना है। बारिश के पहले दिल्ली का न्यूनतम तापमान औसत से चार डिग्री अधिक 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो बारिश के बाद गिर कर 12 पर आ गया। रविवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आस पास रहने के आसार हैं। हवा में नमी का स्तर 88 फीसद रहा।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ स्थानों जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और उत्तराखंड में एक मार्च को मध्यम स्तर की वर्षा व बर्फबारी की संभावना है। एक मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर ओला पड़ने की व बारिश की बहुत संभावना है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बिजली गिरने की आशंका भी है।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तीन मार्च की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना है। पांच से सात मार्च के बीच चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिर बारिश की संभावना है।

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों से विद्युत पारेषण खण्ड, बडौत के अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु ई-निविदायें ई-पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दो भागों में निविदा खोलने की दिनांक को 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं निर्धारित निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक हस्तांरित की जानी है) **Executive Engineer, Electricity Transmission Division-Baraut के पक्ष में एच.डी.एफ.सी. बैंक की रेलवे रोड, बडौत शाखा** में संचालित चालू बैंक खाता संख्या- **50200031864386 (IFSC Code HDFC 0002732)** में जमा कराया जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथा योज्य यू.टी.आर. संख्या की प्रति खाते का नाम, निर्गत कर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. संख्या, इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियाँ (PDF format) तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग में दरें एवं वाणिज्यक नियम व शर्तें ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क धरोहर राशि एवं अन्य व्यावसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेंगे। ई-निविदा के प्रथम भाग उसी दिन निर्धारित समय पर खोला जायेगा एवं भाग द्वितीय (प्राइसबिड) खुलने की तिथि तदोनुसार वेबसाईट पर सूचित की जायेगी। निविदा भाग प्रथम में सम्बधित प्रपत्रों का अपलोड ना किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नहीं खोला जायेगा। ई-निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई-निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार /विभाजित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में www.etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें। **ई-निविदा संख्या-15/2019-20-** विद्युत पारेषण खण्ड कार्यालय बडौत हेतु 01 नग कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर जिसे हिन्दी अंग्रेजी भाषा टंकण आदि का समुचित ज्ञान हो, को एक वर्ष रखने हेतु का कार्य। धरोहर राशि रु. 2000.00, निविदा शुल्क जी.एस.टी. सहित रु. 590.00, खोलने की दिनांक 28.03.2020। **ई-निविदा संख्या-16/2019-20-** खण्ड के अन्तर्गत 220 के.वी. बडौत एवं 132 के.वी. निरपुडा पर पैनल, पी.टी. आदि को बदलने एवं अन्य अनुरक्षण कार्य क सम्पादित करने का कार्य। धरोहर राशि रु. 2000.00, निविदा शुल्क जी.एस.टी. सहित रु. 590.00, खोलने की दिनांक 28.03.2020। **हस्ता./- अधिशासी अभियंता विद्युत पारेषण खण्ड उ.प्र. पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि. बडौत (बागपत)** ''राष्ट्रहित में बिजली बचाएँ''। साधारण/सी.एफ.एल. बल्ब के स्थान पर एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग करें। पत्रांकः 335/वि.पा.ख. बड़ौत/निविदा सूचना दिनांकः 29/02/2020

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी फर्मों/ ठेकेदार/ कार्यदायी संस्थाओं से विद्युत पारेषण खण्ड मेरठ के अंतर्गत निम्न कार्य हेतु ई-निविदा ई-पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दो भागों में निविदा खोलने की दिनांक को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक हस्तांतरित की जानी है) **Executive Engineer, Electricity Transmission Division-II, Meerut** के पक्ष में पंजाब नेशनल बैंक की साकेत शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या 2512002100023363 **(IFSC Code PUNB0251200)** में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथा योज्य यू.टी.आर. संख्या की प्रति खाते के नाम, निर्गम कर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. संख्या, इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियाँ (PDF format) तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग में दरें एवं वाणिज्यक नियम व शर्ते ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क धरोहर राशि एवं अन्य व्यवसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेंगे। ई-निविदा के प्रथम भाग उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनक रूप से खोला जायेगा एंव द्वितीय भाग (प्राइजबिड) खुलने की तिथि तदोनुसार वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। निविदा भाग प्रथम में सम्बन्धित प्रपत्रों का अपलोड ना किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नहीं खोला जायेगा। ई-निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई-निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार/ विभाजित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के संबंध में कृपया www.etender.up.nic.in पर लॉग आन करें। **निविदा सूचना संख्या- टी-06/2019-20** (निविदा खुलने का दिनांक 27.03.2020) खण्ड कार्यालय हेतु 01 नग कम्प्यूटर ऑपरेटर जिसे हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान हो, लगभग 01 वर्ष अवधि पर उपलब्ध कराने हेतु। **धरोहर राशि** 2000.00। **हस्ता./- अधिशासी अभियंता, ''राष्ट्रहित में बिजली बचाएं''। साधारण/ सी.एफ.एल. बल्ब के स्थान पर एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग करें। पत्रांक 599, वि.पा.खं.-द्वितीय/ मेरठ, दिनांकः** 28/2/2020

Edelweiss Asset Reconstruction

एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन क.लि.

CIN: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेन्ट्रल ऑफिस, 1ला तल, रहेजा सेन्टर, प्वाइन्ट, 294, सीएसटी रोड, मुम्बई विश्वविद्यालय के निकट, कलीना, मुम्बई 400098, पंजी. कार्यालयः एडलवेईस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई–400098

परिशिष्ट IV [नियम-8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (यहां के बाद ''एमएचएफएल'' वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 20 मार्च, 2018 जारी कर ऋणधारक 1) कविता रानी (ऋणधारक), 2) चौधरी ट्रेडिंग कं. (सह–ऋणधारक), 3) मनजीत सिंह (सह–ऋणधारक) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना मे वर्णित राशि रु. 18,94,459.43 (रुपये अठारह लाख चौरानवे हजार चार सौ उन्सठ एवं पैसे तैंतालिस मात्र) के भुगतान का निर्देश दिया था।

उसके बाद एमएचएफएल ने नीचे वर्णित ईएआरसी ट्रस्ट एससी–370 के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत एडलवेईस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (यहां के बाद ''ईएआरसी'' वर्णित) को इन वित्तीय परिसम्पत्तियों को सौंप दिया। सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अन्तर्गत एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 29.03.2019 के अनुपालन में ईएआरसी ने ऋणधारक द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संदर्भ में ईएआरसी में निहित अधोलिखित प्रतिभूति हितों, गारन्टीज, गिरवी के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियों के संदर्भ में एमएचएफएल के सभी अधिकारों, टाइटल, हितों को प्राप्त किया तथा ईएआरसी प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करता है।

ऋणधारक उस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि केस नं. 265/ 2018 में जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा पारित आदेश तिथि 14.01.2020 के आलोक में बडखल, फरीदाबाद, हरियाणा के तहसीलदार ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है तथा 27 फरवरी, 2020 को उसका कब्जा ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा संपत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय एडलवेईस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड अर्थात ईएआरसी के लिये उस पर आगे के ब्याज के साथ रु. 18,94,459.43 (रुपये अठारह लाख चौरानवे हजार चार सौ उन्सठ एवं पैसे तैंतालिस मात्र) के लिये उसके चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण खाता सं., एसाइनर का नाम	ऋणधारक/ देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम	मांग सूचना की तिथि को राशि	भौतिक कब्जा की तिथि
ऋण खाता सं.: HM/ 0179/ H/ 16/ 100003 मै. मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि. मै. एडलवेईस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड अर्थात ''ईएआरसी- ट्रस्ट एसी-370''	1) कविता रानी (ऋणधारक) 2) चौधरी ट्रेडिंग कं. (सह–ऋणधारक) 3) मनजीत सिंह (सह–ऋणधारक)	20.03.2018 को रु. 1894,459.43/– (रुपये अठारह लाख चौरानवे हजार चार सौ उन्सठ एवं पैसे तैंतालिस मात्र)	27.2.2020

सम्पत्ति का विवरणः बाका नांगला गुजरन तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा 121005 में स्थित खेवट नं. 404, खाता नं. 587 मिन, खसरा नं. 21/6/2 के अंतर्गत प्लॉट नं. 42, माप 95.0 वर्ग यार्ड्स, 10 वर्ग यार्ड्स में से फ्रीहोल्ड आवासीय पोर्शन पर गिरवी सम्पत्ति आवासीय स्थान का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दीः** उत्तर– गड़वाली का मकान, पूर्वः खाली प्लॉट, दक्षिणः वेदराम का मकान (प्लॉट नं. 5913), पश्चिमः 15 फीट रोड।

तिथिः 29.02.2020 | **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः दिल्ली | **एडलवेईस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड**

पाक में ट्रेन और बस की टक्कर में 20 की मौत

कराची, 29 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में रोहरी रेलवे स्टेशन के निकट तेज गति से आ रही ट्रेन और एक यात्री बस की भीषण टक्कर में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं।

सुक्कुर आयुक्त शफीक अहमद महेसर ने बताया कि इस हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायलों की हालत नाजुक होने कारण मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा, 'हमने कम से कम 60 घायलों को रोहरी और सुक्कुर के अस्पतालों में भर्ती कराया है।' यह हादसा रोहरी रेलवे स्टेशन के पास मानवरहित कंधरा रेलवे क्रॉसिंग पर उस समय हुआ जब रावलपिंडी से कराची जा रही 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस एक यात्री बस से टकरा गई।

सुक्कुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जामिल अहमद ने कहा, 'बस सुक्कुर से पंजाब जा रही थी और उसमें कई यात्री सवार थे।' उन्होंने कहा, 'यह भीषण हादसा था। ट्रेन इतनी जोर से टकराई कि बस के तीन टुकड़े हो गए।' अहमद ने बताया कि टक्कर लगने के बाद बस करीब 150 से 200 फुट तक ट्रेन के साथ घिसटती चली गई।

बचाव अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि कुछ लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। आयुक्त शफीक अहमद ने बताया कि महिलाओं और बच्चों समेत घायलों को रोहरी और सुक्कुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने कहा, 'यह एक बड़ी दुर्घटना है और सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। यह मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग थी और दुर्भाग्य से बस चालक ने उस समय क्रॉसिंग पार करने का जोखिम उठाया जब ट्रेन तेजी गति से आ रही थी।' सुक्कुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुनीर मंगरियो ने बताया कि 13 शवों को रोहरी अस्पताल और अन्य शवों को सुक्कुर के अस्पतालों में भेजा गया है। मृतकों में पांच महिलाएं और नौ पुरुष शामिल हैं।

पाकिस्तान रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार इस हादसे के लिए बस चालक जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि हादसे में ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और सहायक चालक घायल हो गया।

मोहिउद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नामित

कुआलालंपुर, 29 फरवरी (एएफपी)।

पूर्व गृह मंत्री मोहिउद्दीन यासीन को शनिवार को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। शाही अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस कदम से महातिर मोहम्मद के शासन के खात्मे और घोटालों के आरोपों से घिरी पार्टी के सत्ता में लौटने के संकेत मिलते है। राजमहल के अधिकारियों ने बताया कि मोहिउद्दीन रविवार को पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ महातिर के प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने और सुधारवादी सरकार के गिरने के बाद एक हफ्ते तक चले सियासी संकट के भी समाप्त होने की संभावना है।

राजमहल के एक बयान में बताया, 'प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती क्योंकि लोगों और राष्ट्र की भलाई के लिए देश को सरकार की जरूरत है।' मोहिउद्दीन के गठबंधन में देश के मुसलिम बहुल लोगों का वर्चस्व है और इसमें घोटालों के आरोपी नजीब रजाक की पार्टी (यूएमएनओ) भी शामिल हैं।

चीन : कोरोना से 47 और लोगों की मौत

बेजिंग, 29 फरवरी (एएफपी)।

चीन में कोरोना वायरस से 47 और लोगों की मौत होने से इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर शनिवार को 2,835 हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि 47 लोगों की मौत और 427 लोगों के इससे संक्रमित होने के नए मामले सामने आए हैं। चीन में इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 79,251 हो गई है।

चीन में हुबेई में 45 और बेजिंग तथा हेनान में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई।

सीरिया में रासायनिक हथियार केंद्र नष्ट किया : तुर्की

इस्तांबुल, 29 फरवरी (एएफपी)।

तुर्की ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तर-पश्चिम सीरिया स्थित एक रासायनिक अस्त्र केंद्र को नष्ट कर दिया है।

सीरिया शासन की ओर से इदलिब प्रांत में विद्रोहियों के अंतिम गढ़ पर किए गए हवाई हमलों में कई तुर्की सैनिकों के मारे जाने के जवाब में यह कदम उठाया गया।

तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर संवाददाताओं से कहा कि तुर्की की सेना ने रात में 'अलेप्पो से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक रासायनिक अस्त्र केंद्र के साथ ही शासन के अन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया।' हालांकि 'सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स' ने कहा कि तुर्की ने असल में पूर्वी अलेप्पो में सैन्य हवाईअड्डे पर हमला किया जहां कोई रासायनिक हथियार नहीं थे। रूस समर्थित सीरिया शासन के बलों द्वारा गुरुवार को इदलिब प्रांत में किए गए हवाई हमलों में तुर्की के 33 सैनिक मारे गए थे। हाल के बरसों में युद्ध के मैदान में तुर्की को हुआ यह सबसे बड़ा सैन्य नुकसान है। हालिया घटना से तुर्की तथा रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है जिनके रिश्तों में 2018 के एक समझौते के उल्लंघन के बाद खटास पड़ गई थी।

समझौते के तहत, तुर्की ने इदलिब प्रांत में 12 पर्यवेक्षण चौकियां स्थापित की थीं लेकिन रूसी वायुसेना के समर्थन वाले सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के बल क्षेत्र को वापस पाने के लिए लगातार अभियान चलाने पर जोर देते रहे हैं। तनाव कम करने के प्रयासों के तहत तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत भी की थी। क्रेमलिन के मुताबिक एर्दोआन बातचीत के लिए अगले हफ्ते रूस पहुंच सकते हैं।

ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के साथ विवाद में रहे लोकसेवक का इस्तीफा

लंदन, 29 फरवरी (भाषा)।

ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह मंत्री प्रीति पटेल के साथ संबंधों में तल्खी को लेकर विवाद के केंद्र में रहे गृह विभाग के एक लोकसेवक ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह अपनी 'अनुचित' निकासी पर सरकार के खिलाफ वाद दायर करेंगे। पटेल (47) के नेतृत्व वाले गृह विभाग के स्थायी सचिव फिलिप रुत्नम ने कहा कि उनके खिलाफ पिछले 10 दिन से 'विद्वेषपूर्ण और सुनियोजित अभियान' चलाया जा रहा था। उनका इशारा मंत्री की ओर था।

उन्होंने एक बयान में कहा, 'गृह मंत्री (पटेल) ने कैबिनेट कार्यालय में इस अभियान में अपनी भूमिका होने से साफ इनकार किया।'

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली-110001

ओ. ए. नं. 1469/2018
कॉर्पोरेशन बैंक ... आवेदक
विरुद्ध
श्री केवल कृष्ण एवं अन्य ... प्रतिवादी

सेवा में,

1. श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री राम प्लैट नं. ए-02, जीएफ प्लॉट 13 ए, केएच नं. 39, निरंजन पार्क, ब्लॉक सी नजफगढ़, नई दिल्ली -110043। और: एफ-119, मोती बाग-1, एनडीएमसी, चाणक्य पुरी, दक्षिण-पश्चिम, दिल्ली-21। और: ग्लोबल हैल्थ प्रा. लि., ए. एम. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मेदांता अस्पताल, सेक-38, गुड़गांव, हरियाणा-122001
2. श्रीमती आरती पत्नी श्री केवल कृष्ण, फ्लैट नं. ए-02, जीएफ प्लॉट 13ए, केएच. नं. 39, निरंजन पार्क, ब्लॉक सी नजफगढ़, नई दिल्ली -110043 और: एफ-119, मोती बाग-1, एनडीएमसी चाणक्य पुरी, दक्षिण-पश्चिम, दिल्ली-21
3. मैसर्स न्यूटेक ला पलासिया प्रा. लि. (बिल्डर &, डेवलपर) इसके निदेशकों द्वारा 219, एस/एफ, वसुंधरा एन्क्लेव प्लॉट नं. 1, वर्धमान सनराइज प्लाजा एलएससी दिल्ली -110096, और: एच-1990, भूतल, सेक्ट-63, नोएडा, यू.पी.-201301। और: जीएच-09ए, टेकजोन-IV, ग्रेटर नोएडा जीबी नगर, यू.पी.

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये 29,63,561.00 (रु. उन्तीस लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ इकसठ मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 10-04-2020 को पूर्वा. 10.30 बजे** माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **30 जनवरी, 2020** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
रजिस्ट्रार

फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट क. लि.
Fullerton India
कॉर्पोरेट कार्यालयः तल 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, लेक कैशल के पीछे, पवई, मुम्बई 400076
शाखा कार्यालयः बी-45/47, 3रा तल, पीवीआर प्लाजा के निकट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत मै. फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स, 3रा तल, ओल्ड नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई, तमिलनाडु में है तथा शाखा कर्यालय **शाखा कार्यालयः बी-45/47, 3रा तल, पीवीआर प्लाजा के निकट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली**-110001 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 16.10.2019 जारी कर आप ऋणधारकों जे.सी. टेक्स्टाईल्स, श्री बलदेव राज, श्री गौरव तनेजा, सुश्री कृष्णा यादव श्रीमती सुदर्शन तनेजा (LAN No. 173001310101648) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना में वर्णित राशि रु. 9917419 (रुपए निन्यानवे लाख सत्तरह हजार चार सौ उन्नीस मात्र) 11 अक्तूबर, 2019 तक बकाया तथा वसूली तक ब्याज एवं चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उपरोक्त ऋणधारक इस राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 27.2.2020 को प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से यहां ऊपर वर्णित ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा उक्त सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 99,17,419 (रुपए निन्यानवे लाख सत्तरह हजार चार सौ उन्नीस मात्र) तथा वसूली तक ब्याज एवं चार्जेज की राशि के लिये मै. फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः "प्लॉट नं. ए 8 (नया), दूसरा तल, पुराना नं. डब्ल्यूजेड-26 एवं 2077, खसरा नं. 440, रिशी नगर, शकूर बस्ती, नई दिल्ली-110034 तथा डब्ल्यूजेड-1676 ए, जीएफ, प्लॉट नं.23, शकरपुर, रानी बाग, नई दिल्ली-110034"

हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी
भूपेन्दर कौर
(फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 27.2.2020

इण्डियन ओवरसीज बैंक
परिसंपत्ति की वसूली प्रबंध शाखा
रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008
फोनः 011- 25758124, ईमेलः iob1997@iob.in

निजी संधि द्वारा बिक्री की सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002
[नियम 6 एवं 8] के अंतर्गत जारी

सेवा में,

1. मै. एआई मेटल्स प्रा. लि. (ऋणधारक/मार्टगैजर) बी-5/206, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली-110029
साथ हीः डब्ल्यू-17, मायापुरी फेज-II, दिल्ली-110064, साथ हीः एफ 624, फेज-1, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाडी, अलवर राजस्थान-301019, साथ हीः एसपी 812/एच, 51 बी, सैमटेल जोन, इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान-301019
2. श्री अभिजीत सिंह (निदेशक/ गारन्टर/ मार्टगैजर), प्लॉट नं. 8, जिला सिंह फार्म, टी पार्क लेन, किशनगढ़, वसंत कुंज, दिल्ली-110070, साथ हीः 103, सुन्दर नगर, तिलक हॉस्पीटल के सामने, धंगू रोड, पाठानकोड, गुरदासपुर, पंजाब-145001
3. विभोर भार्गव (निदेशक/ गारन्टर), बी-5/206, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली-110029, साथ हीः जी-62, रिगडिन्टन, गुड़गाँव, हरियाणा-122009
4. मै. कैप्रि इन्टरनेशनल (प्रॉप.-अभिजीत सिंह) (गारन्टर/मार्टगैजर), डब्ल्यू-16, फेज-II, मायापुरी, दिल्ली-110064
5. एलाइड फिलामेन्ट्स प्रा. लि. (गारन्टर/मार्टगैजर)
प्लॉट नं. जी-1/680, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, तिजारा, भिवाडी, अलवर, राजस्थान-301019
6. मै. तीरथ सिंह एंड सन्स (प्रॉप. नरिन्दर पाल सिंह), (गारन्टर/मार्टगैजर), डब्ल्यू-42, मायापुरी, फेज-II, दिल्ली-110064

महोदय,

आईओबी परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा में एनपीए खाता मै. एआई मेटल्स प्रा. लि.

1. यह सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही के संदर्भ में है।
2. कृपया आपको जारी की गई मांग सूचना तिथि 17.7.2017 देखें जिसके अंतर्गत आपको पुनर्भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज तथा उस पर चार्जेज आदि के साथ 16.7.2017 को देय रु. 19,40,02,774.06/- (रुपये उन्नीस करोड़ चालीस लाख दो हजार सात सौ चौहत्तर तथा पैसे छह मात्र) तथा रु. 1,39,69,957/- की अन्य आकस्मिक देयता की बकाया राशि को जमा करने की मांग की गई थी।
3. साथ ही आप, कृपया वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में बैंक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने से संबंधित कब्जा सूचना तिथि **7.12.2017** तथा 13.12.2017 को फाइनांसियल एक्स्प्रैस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिंदी) तथा राष्ट्रदूत (जयपुर संस्करण) में उक्त कब्जा सूचना का प्रकाशन देखें। इस तिथि तक बैंक के प्रति अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करने के लिए आपने कोई भुगतान नहीं किया है।
4. जैसा कि आपको पता हैं कि बैंक ने **21.01.2020** को नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति को ई-नीलामी के लिए प्रस्तुत किया था जो सफल नहीं हो सका।
5. बैंक को नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति की खरीदने के लिए **रु. 26753000/-** का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,अतएव निजी संधि से बिक्री द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव किया गया है।
6. बिक्री की पूर्णता की अनुमानित तिथि **20.03.2020** को **11.00** बजे पूर्वा. है।
7. एतदद्वारा हम, आपको **15** दिनों की सूचना देते हैं कि ऊपर वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निजी संधि द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।
8. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
9. अतएव, आप सूचित हों लें कि निजी बिक्री की तिथि अर्थात 20.3.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. जब बिक्री पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है, तक आपको भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेस्ट्स पर आगे के ब्याज के साथ लागतों/चार्जेज आदि के साथ सम्पूर्ण बकाए जो 25.2.2020 को रु. 269264733.62 (रुपये छब्बीस करोड़ बानवे लाख चौंसठ हजार सात सौ तैंतीस एवं पैसे बासठ मात्र) तथा बकाया गारंटी पत्र की खाता पर रु. 50,16,087/- देय है, का भुगतान करने तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने का अधिकार प्राप्त है।

टिप्पणीः यदि किसी पार्टी को कोई आपत्ति हो, वे निजी संधि सूचना के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर लिखित में बैंक को सूचित करें।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

श्री अभिजीत सिंह के स्वामित्व में फ्री होल्ड औद्योगिक प्लॉट डब्ल्यू-16, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, मायापुरी, नई दिल्ली, क्षेत्रफल 208.34 वर्ग यार्ड्स (सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे के अधीन है।)

तिथिः 29.02.2020
स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
इंडियन ओवरसीज बैंक

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
अग्रवाल कॉर्पोरेट टावर, 23, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, ई-मेलः Zodel@andhrabank.co.in, फोनः 011-25713643

ई-नीलामी सूचना
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9}

जैसा कि नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार ऋणधारकों ने नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार आन्ध्रा बैंक की विभिन्न शाखाओं से साख सुविधाएं प्राप्त की हैं तथा आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज के साथ बैंक को देय नीचे वर्णित राशि (नीचे वर्णित तिथियों) के भुगतान में चूक की है। अतएव, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के 54 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्रा बैंक ने सार्वजनिक नीलामी में नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है जो यहाँ नीचे वर्णित वेबसाईट/पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा आयोजित की जायेगी।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य नीचे तालिका में निर्धारित रूप में होगी जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने तथा संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में ईएफटी/आरटीजीएस/एनईएफटी अंतरण द्वारा धरोहर राशि के रूप में नीचे वर्णित आरक्षित मूल्य के 10% की राशि का भुगतान करना होगा जो ऋणधारक के नामों के समक्ष नीचे वर्णित खाता सं. (आईएफएससी कोड नीचे वर्णित) में क्रेडिट किया जायेगा। ईएमडी का भुगतान 30.03.2020 के 4.00 बजे अप. से पूर्व किया जाएगा।

ईएमडी के भुगतान के बाद इच्छुक क्रेता को नीचे दिए गए ई-नीलामी सेवा प्रदाता के पास अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा अपना यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। लॉगिन आईडी एवं पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने के लिए इच्छुक क्रेता सेवा प्रदाता का सहयोग ले सकते हैं तथा निशुल्क ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

वैध यूजर आईडी/ पास्वर्ड प्राप्त किए होने तथा एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी का संपुष्ट भुगतान किए होने वाले इच्छुक क्रेता प्राधिकृत अधिकारी की क्लीयरैंस के अधीन ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।

प्रत्येक खाता के लिये न्यूनतम बोली गुणक नीचे वर्णित राशि में होगी।

संपत्ति की ई-नीलामी 31.3.2020 को बिक्री की पूर्णता/ समाप्ति तक प्रति 5 मिनट के स्वतः समय- विस्तार के साथ नीचे अनुसूची में वर्णित अवधि के बीच **एंटेयर्स सिस्टम्स लिमिटेड** की वेबसाईट पर होगी।

संपत्ति की बिक्री उच्चतम मूल्य/ बोली का प्रस्ताव करने वाले बोलीदाता को की जाएगी तथा वह बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।

अचल संपत्ति के लिए सफल बोलीदाता/ क्रेता को उसी दिन तत्काल या अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो तक जमा की गई धरोहर राशि सहित 25% मूल्य/ बोली राशि का प्राधिकृत अधिकारी के पास भुगतान करना होगा जिसमें चूक करने पर संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी।

क्रेता को शेष 75% राशि का भुगतान अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर या क्रेता तथा प्रतिभूत क्रेडीटर के बीच लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि में किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है तो जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा बैंक संपत्ति की फिर से बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बैंक की जानकारी में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है।

इच्छुक पार्टी 15.03.2020 को संबंधित शाखा प्रबंधक से पूर्व अनुमति प्राप्त कर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाली पार्टियों को नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति पर उपयुक्त ड्यू डिलिजेंस कराना होगी। संपत्ति से संपंधित किसी भी कोर्ट में बाद में किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194- आईए के अनुसार यदि बिक्री मूल्य रु. 50,00,000/- (रुपए पचास लाख) तथा अधिक होती है तो बिक्री राशि पर 1% की दर से टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/ क्रेता बिक्री मूल्य से 1% की टीडीएस की कटौती करेंगे तथा उसे बैंक के नाम तथा विक्रेता के रूप में पैन नं. AABCA7375C को शामिल करते हुए प्रपत्र 16-बी में आयकर विभाग में जमा करेंगे तथा बैंक के पास टीडीएस का मूल रसीद जमा करेंगे।

स्थानीय करों, आबकारी शुल्क तथा अन्य किसी सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए नीलामी के क्रेता उत्तरदायी होंगे। बिक्री पूरा करने के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर पंजीकरण प्रभारों तथा स्टांप शुल्क का वहन क्रेता को ही करना होगा।

संपत्ति की बिक्री जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार पर सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर प्रदर्शित नियमों एवं शर्तों के अनुसार की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकरण के संपत्तियों पर किसी दावे, चार्जेज/ अधिभारों के संदर्भ में अपनी गोपनीय जांच कर ले तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व संपत्ति के टाईटल, विस्तार, गुणवत्ता तथा मात्रा के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। बिक्री के लिए बिक्री की संपत्ति, संपत्ति पर चार्जेज/अधिभारों अथवा अन्य किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार के दावे पर ऑन लाईन बोली जमा कर देने के बाद विचार नहीं होगा। संपत्ति की बिक्री से संबंधित बैंक का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा तथा उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बिक्री को निरस्त या निलम्बित करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्रम सं.	शाखा का नाम/पता/सम्पर्क सं.	खाता का नाम	बकाया	सम्पत्तियों का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	आरपी/ईएमडी खाता नं./आईएफएस कोड
				आवासीय सम्पत्तियाँ		
1.	**नारायणा शाखा नई दिल्ली** ए.ओ. का नाम कुमार गौरव मोबाः	कणक कुमार मिश्रा	19.5.2018 को रु. 1238875.90	फ्लैट नं. 331, 2रा तल, डीडीए जनता फ्लैट, कैटगरी सी, पॉकेट 7, नसीरपुर, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110045 माप 226 वर्ग फीट तथा चौहद्दीः पूर्वः पार्क, पश्चिमः अन्य फ्लैट, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः पार्क	31.3.2020 को 12.00 अप. से 1.00 अप. तक	आरक्षित मूल्यः रु. 12.90 लाख ईएमडीः रु. 1.29 लाख खाता नं. 223911100001820 आईएफएससी कोडः ANDB0002239 बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/-
2.	**एनआईजी फरीदाबाद फरीदाबाद, हरियाणा** ए.ओ. का नामः रविन्दर कुमार, मो.: 0124-2300494	मै. निहारिका प्रिन्ट एक्स्पोर्ट्स प्रा.लि.	1.4.2019 को रु. 2834151/-	आवासीय सम्पत्ति एच. नं. 2399/7, रेक्ट. नं. 43, किल्ला नं. 9, 10, 11, फूल चन्द किराणा स्टोर के निकट, जवाहर कॉलोनी, मौजा सारण, तहसील बडखल, फरीदाबाद, माप 1800 वर्ग फीट, चौहद्दीः पूर्वः आनंद सिंह रावत का मकान, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः गिरराज का मकान, दक्षिणः रास्ता	31.3.2020 को 12.00 अप. से 1.00 अप. तक	आरक्षित मूल्यः रु. 66.58 लाख ईएमडीः रु. 6.66 लाख खाता नं. 180411100004243 आईएफएससी कोडः ANDB0001804 बोली वृद्धि राशि रु. 100000/-
3.	**लाजपत नगर शाखा** आई-93, सेन्ट्रल मार्केट, लाजपत नगर, नई दिल्ली ए.ओ. का नामः रूपेश कुमार 8090123464	मै. सर्बल इंडिया प्रा. लिमिटेड	3.8.2019 को रु. 92346987.71/-	फ्लैट नं. एच-501, 5वां तल, ब्लॉक एच, सीसपाल विहार, एडब्ल्यूएचओ सेक्टर 49, गुड़गाँव, हरियाणा, माप 2016 वर्ग फीट, चौहद्दीः पूर्वः खुला, पश्चिमः एच-506, उत्तरः खुला, दक्षिणः एच-502	31.3.2020 को 12.00 अप. से 1.00 अप. तक	आरक्षित मूल्यः रु. 202.00 लाख ईएमडीः रु. 2.02 लाख खाता नं. 058611100004571 आईएफएससी कोडः ANDB000586 बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/-
				व्यावसायिक सम्पत्तियाँ		
1.	**वसुन्धरा शाखा, गाजियाबाद** ए.ओ. का नामः डी. बसंत कुमार टेली. नं. 0120-2511962, 2511408	मै. मल्टी सॉल्यूशन इंडिया	31.3.2019 को रु. 677381.43	शॉप नं. एफएफ-20, प्लॉट नं. 12/ कॉमर्सियल-4ए, सेक्टर-12, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012, चौहद्दीः पूर्वः पैसेज, पश्चिमः शॉप नं. एफएफ-19, उत्तरः शॉप नं. 21, दक्षिणः पैसेज	31.3.2020 को 12.00 अप. से 1.00 अप. तक	आरक्षित मूल्यः रु. 8.00 लाख ईएमडीः रु. 0.80 लाख, खाता नं. 139211100006481 आईएफएससी कोडः ANDB0001392 बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/-
2.	**लाजपत नगर शाखा** आई-93, सेन्ट्रल मार्केट, लाजपत नगर, नई दिल्ली ए.ओ. का नामः रूपेश कुमार 8090123464	मै. सर्बल इंडिया प्रा. लिमिटेड	1.8.2019 को रु. 92346987.71	औद्योगिक सम्पत्ति एस-15, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020, चौहद्दीः पूर्वः एस-14, पश्चिमः एस-16, उत्तरः रोड, दक्षिणः मैन रोड	31.3.2020 को 12.00 अप. से 1.00 अप. तक	आरक्षित मूल्यः रु. 731.00 लाख ईएमडीः रु. 73.10 लाख खाता नं. 058611100004571 आईएफएससी कोडः ANDB000586 बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/-
3.	**वसुन्धरा शाखा, गाजियाबाद** ए.ओ. का नामः डी. बसंत कुमार टेली. नं. 0120-2511962, 2511408	मै. एफ. रहमान एंड सन्स	1.7.2019 को रु. 5087360.45/-	शॉप नं. एसए-42, नवीन फल सब्जी मंडी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, माप 125.50 वर्ग मी. चौहद्दीः पूर्वः कॉमर्सियल शॉप नं. एसए-41, पश्चिमः कॉमर्सियल शॉप नं. एसए-43, उत्तरः प्रवेश/रोड, दक्षिणः सर्विस लेन	31.3.2020 को 12.00 अप. से 1.00 अप. तक	आरक्षित मूल्यः रु. 103.00 लाख ईएमडीः रु. 10.30 लाख खाता नं. 139211100006481 आईएफएससी कोडः ANDB0001392 बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/-
4.	**वसुन्धरा शाखा, गाजियाबाद** ए.ओ. का नामः डी. बसंत कुमार टेली. नं. 0120-2511962, 2511408	मै. बालाजी प्रॉविजनल स्टोर	1.3.2019 को रु. 2136266.34/-	कॉमर्सियल शॉप नं. एलजी-6, निम्न भूतल, प्लॉट नं. 12/सी-2, सेक्टर-12, वसुन्धरा, माप 179.91 वर्ग फीट, चौहद्दीः पूर्वः 12 मी. चौड़ा रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 12/सी-1, उत्तरः 3 मी. चौड़ा पथ, दक्षिणः रोड 18 मी. चौड़ा	31.3.2020 को 12.00 अप. से 1.00 अप. तक	आरक्षित मूल्यः रु. 25.00 लाख ईएमडीः रु. 2.50 लाख खाता नं. 139211100006481 आईएफएससी कोडः ANDB0001392 बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/-

ऊपर वर्णित संपत्ति की ई-नीलामी ई-नीलामी सेवा प्रदाताः एन्टेयर्स सिस्टम्स लिमिटेड # 24, सुधा कॉम्प्लैक्स, 3रा स्टेज, 4था ब्लॉक, बसवेश्वरनगर, बैंग्लोर-560079, संपर्क व्यक्तिः श्री कुशल बोस एवं श्री विनोद सिंह बोरा एवं तौशिक घोष, मो. नं. 7686913157 एवं 9718227288, 09674758724, ईमेल आईडीः kushal.b@antaressystems.com, vinodsingh.b@antaressystems.com, tousik.g@anterassystems.com, टोल फ्री नं. 18001026185, लैण्डलाइन नं.: 080-43952000 द्वारा ई-नीलामी पोर्टलः www.tenderwizard.com/ANB के माध्यम से संचालित की जाएगी।

ई-नीलामी तथा ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा प्रपत्र तथा विस्तृत नियमों एवं शर्तों से संबंधित विस्तृत विवरण आन्ध्रा बैंक, संबंधित शाखा/प्राधिकृत अधिकारी (उनके संबंधित सेल नं. अथवा फोन नं. 011-25713643 पर उनसे सम्पर्क कर) से प्राप्त की जा सकती है तथा वह अधोलिखित वेबसाईटों पर भी उपलब्ध होगी।

1. **www.antaressystems.com/ANB 2. www.andhrabank.in 3. www.tenders.gov.in**

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 01.03.2020

प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक, संपर्क सं.:-011-25713643

इण्डियन ओवरसीज बैंक
परिसम्पत्ति की वसूली प्रबंध शाखा
रचना बिल्डिंग, 4 था तल, 2, राजेन्द्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008
फोनः 011-25758124, ईमेलः iob1997@iob.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री।

जैसा कि यहां नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार बैंक के बकाए तथा ब्याज की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है आधार" पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाए के भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली का प्रस्ताव करते हैं।

खाता का नाम	मै. ए आई मेटल्स प्रा.लि.
एनपीए की तिथि	25.3.2016
मांग सूचना तिथि	17.07.2017
कब्जा की तिथि	23.12.2019
बकाया राशि	रु. 19,40,02,774.06 तथा 16.07.2017 को रु. 1,39,69,957/- की अन्य
कब्जा की तिथि	आकस्मिक देयता
* स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट बकाया (सम्पत्ति कर, वाटर सीवरेज, बिजली बिल आदि	बोलीदाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आयरन स्क्रैप समग्री (एक लॉट लगभग 2.5 टन) जो डब्ल्यू 16, मायापुरी, दिल्ली के परिसर में है (बैंक के भौतिक कब्जे के अधीन)

टिप्पणीः यदि किसी भी पार्टी को कोई आपत्ति हो तो मैन्युअल नीलामी सूचना के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर लिखित में बैंक को सूचित करें।

आरक्षित मूल्य	रु. 30,000/-
नीलामी की तिथि एवं समय	4.4.2020, 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप., परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, 4था तल, रचना बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-08 में।
ईएमडी	रु. 7,500/-
मूवेबल्स का निरीक्षण	बैंक की पूर्व अनुमति के अनुसार
धरोहर राशि के साथ बोली जमा करने की आरंभिक तिथि	3.3.2020 से
ईएमडी के साथ बोली के लिये आन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	3.4.2020 (5.00 बजे अप. तक)

*** ज्ञात सांविधिक देयताएं/एटैचमेन्ट्स यदि कोई होः ज्ञात नहीं।**
*** बैंक के बकाए को अन्य सांविधिक बकाए पर वरीयता दी जाएगी।**
* इस सूचना को ऋणधारक/ गारन्टरों/ मार्टगेजरों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली-2002 के नियम-8 (6) के अंतर्गत 30 दिनों की सूचना मानी जाए।

बोली राशि का भुगतान "इंडियन ओवरसीज बैंक" के नाम में डीडी द्वारा अथवा खाताः "सन्ड्राई क्रेडीटर्स, खाता नं. 04420113301010, आईएफएससी IOBA0000442, राजेन्द्रा प्लेस शाखा, दिल्ली" में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा किया जा सकता है।

नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया देखें: https://www.iob.in/e-Auction.aspx, https://www.publishtenders.gov.in, https://iob.foreclosureindia.com

सम्पत्ति के निरीक्षण/ ई-नीलामी से सबंधित विस्तृत विवरणों के लिये इच्छुक बोलीदाता शाखा प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एआरएम शाखा, रचना बिल्डिंग, 4था तल, राजेन्द्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008 से कार्यावधि के दौरान सम्पर्क करें। अथवा श्री संजय किशोर (एजीएम), फोन नं. 011-25758124, मो.: 08210330957 अथवा श्री के.के. दिगवाल (सीएम) मो.: 8601941060 अथवा ईसान खलील, मो.: 8447416904 से सम्पर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 29.2.2020

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

www.readwhere.com

श्रीलंकाई बल्लेबाज पार नहीं कर पाए राधा यादव की बाधा

टी-20 विश्व कप

मेलबर्न, 29 फरवरी (भाषा)।

स्पिनर राधा यादव की शानदार गेंदबाजी के बाद शेफाली वर्मा की एक और धमाकेदार पारी से भारत ने श्रीलंका को 32 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से करारी शिकस्त दी। उसने आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप में अपना विजय अभियान जारी रखा और ग्रुप ए में शीर्ष स्थान सुनिश्चित किया।

राधा ने अपने करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 23 रन देकर चार विकेट लिए जिससे भारत ने श्रीलंका को नौ विकेट पर 113 रन ही बनाने दिए। भारतीय टीम ने 14.4 ओवर में तीन विकेट पर 116 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। सोलह वर्षीय शेफाली फिर से अर्धशतक से चूक गईं लेकिन उनकी 34 गेंदों पर सात चौकों और एक छक्के की मदद से खेली गई 47 रन पारी से भारत एकतरफा जीत हासिल करने में सफल रहा। भारतीय टीम पहले ही सेमी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी।

शेफाली की धमाकेदार पारी

सोलह वर्षीय शेफाली फिर से अर्धशतक से चूक गईं लेकिन उनकी 34 गेंदों पर सात चौकों और एक छक्के की मदद से खेली गई 47 रन पारी से भारत एकतरफा जीत हासिल करने में सफल रहा। भारत के सामने छोटा लक्ष्य था और ऐसे में शेफाली और स्मृति मंधाना ने आक्रामक तेवर अपनाए। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 34 रन जोड़े।

23 रन देकर चार विकेट लिए राधा ने जिससे श्रीलंकाई टीम नौ विकेट पर 113 रन ही बना पाई

47 रन की पारी खेली 34 गेंदों पर सात चौकों और एक छक्के की मदद से शेफाली वर्मा ने

बांग्लादेश पर जीत से कीवियों की उम्मीदें कायम

मेलबर्न, 29 फरवरी (भाषा)।

न्यूजीलैंड ने कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद शनिवार को कम स्कोर वाले मैच में बांग्लादेश को 17 रन से हराया। साथ ही आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप के सेमी फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। न्यूजीलैंड को ग्रुप ए के अंतिम मैच में आस्ट्रेलिया से भिड़ना है जो एक तरह से क्वार्टर फाइनल जैसा बन गया है।

इस ग्रुप से भारत पहले ही सेमी फाइनल में पहुंच चुका है जबकि न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया दोनों के समान चार-चार अंक हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश सेमी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। भारत से करीबी अंतर से हारने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एक समय उसका स्कोर दो विकेट पर 66 रन था लेकिन उसकी पूरी टीम 18.2 ओवर में 91 रन पर सिमट गई।

स्कोर बोर्ड : भारत बनाम श्रीलंका

श्रीलंका : उमेशा तिमाशिनी का गायकवाड़ बो दीप्ति 02, चमारी अट्टापट्टू का शिखा बो राधा यादव 33, हर्षिता बो गायकवाड़ 12, हंसिमा का कृष्णमूर्ति बो राधा 07, हसीनी का तानिया बो राधा 07, शशिकला का कृष्णमूर्ति बो गायकवाड़ 13, नीलाक्षी का हरमनप्रीत बो पूनम 08, अनुष्का पगबाधा बो राधा 01, कवीशा नाबाद 25, संदीपनी बो शिखा 00, उदेशिका नाबाद 02 गेंदबाजी : दीप्ति शर्मा 4-0-16-1, शिखा पांडे 4-0-35-1, राजेश्वरी गायकवाड़ 4-1-18-2, पूनम यादव 4-0-20-1, राधा यादव 4-0-23- 4

भारत : शेफाली वर्मा रन आउट 47, स्मृति मंधाना का कविशा दिलहरी बो प्रबोधनी 17, हरमनप्रीत कौर का हंसीमा करुणारत्ने बो श्रीवर्धना 15, जेमिमा रोड्रिग्स नाबाद 15, दीप्ति शर्मा नाबाद 15 गेंदबाजी : उदेशिका प्रबोधनी 4-0-13-1, शशिकला श्रीवर्धना 4-0-42-1, सत्या संदीपनी 1-0-11-0, चमारी अटापट्टू 2-0-21-0, कविशा दिलहरी 3-0-18-0, उमेशा थिमशिनी 0.4-0-7-0

शेफाली को नैसर्गिक खेल खेलने की स्वतंत्रता : हरमनप्रीत

मेलबर्न, 29 फरवरी (भाषा)।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टीम प्रबंधन ने शेफाली वर्मा को अपना नैसर्गिक खेल खेलने की छूट दी है। इस युवा बल्लेबाज ने महिला टी-20 विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। सोलह वर्षीय शेफाली ने अब तक टूर्नामेंट में 161 रन बनाए हैं और वह सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने चार मैचों में 18 चौके और नौ छक्के लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 161 है।

शेफाली ने श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को 34 गेंदों पर 47 रन बनाकर भारत को सात विकेट से जीत दिलाई। हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा कि शेफाली को बड़े शॉट खेलना पसंद है और हम उन्हें रोकना नहीं चाहते। उन्हें आगे भी ऐसा खेल जारी रखना चाहिए। भारत अपने सभी मैच जीतकर सेमी फाइनल में पहुंचा है और कप्तान ने कहा कि विजय अभियान बरकरार रखना अहम है। उन्होंने कहा कि जब आप जीत दर्ज कर रहे हों तब लय बनाये रखना महत्त्वपूर्ण होता है। आप वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं इसलिए आप लय टूटने का जोखिम नहीं उठा सकते।

राधा ने प्रदर्शन का श्रेय हिरवानी को दिया

मेलबर्न, 29 फरवरी (भाषा)।

भारतीय महिला टीम की स्पिनर राधा यादव ने श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप में करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद इसका श्रेय गेंदबाजी कोच को दिया। राधा ने 23 रन देकर चार विकेट लिए।

बाएं हाथ की इस स्पिनर ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय नरेंद्र हिरवानी को दिया। उन्होंने कहा कि हिरवानी हमारे साथ पिछले साल वेस्ट इंडीज के दौरे के समय से हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर मेरी गेंदबाजी पर काफी काम किया है। राधा ने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा सोचने लगती थी जिससे मेरे दिमाग में कई चीजें आ जाती थीं लेकिन उन्होंने मुझे सोच और दिमाग को स्पष्ट रखने में काफी मदद की।

भारतीय टीम ने लीग के सभी मैच जीत कर सेमी फाइनल के लिए क्वालीफाई किया और राधा ने उम्मीद जताई की आने वाले दिनों में वह और बेहतर प्रदर्शन करेंगी।

खबर कोना

एटीपी मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराने के बाद राफेल नडाल।

नडाल अकापुल्को टेनिस के फाइनल में, फ्रिट्ज से सामना

लॉस एंजिलिस, 29 फरवरी (एएफपी)।

विश्व के नंबर दो राफेल नडाल ने एटीपी मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर यहां अपने तीसरे खिताब की तरफ कदम बढ़ाया। नडाल 15 साल पहले यहां पहली बार चैंपियन बने थे। उन्होंने 2013 में दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में उनका जीत हार का रेकार्ड 18-2 का है। शीर्ष वरीयता प्राप्त नडाल ने एक घंटे 41 मिनट तक चले इस मुकाबले को 6-3, 6-2 से अपने नाम किया। फाइनल में उनका सामना अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज से होगा। गैरवरीय फ्रिट्ज ने एक अन्य सेमी फाइनल में हमवतन जॉन इसनर को 2-6, 7-5, 6-3 से हराया।

एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालीफायर्स की मेजबानी से हटा बिशकेक

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

किर्गिस्तान की राजधानी बिशकेक ने घातक कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के तहत अगले महीने होने वाली एशियाई ओलंपिक कुश्ती क्वालीफाईंग प्रतियोगिता की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। यह प्रतियोगिता 27 से 29 मार्च तक होनी थी। पहले इसका आयोजन झियान में होना था लेकिन कोरोना वायरस के फैलने के कारण इसे चीनी शहर से हटा दिया गया था। किर्गीस्तान सरकार ने इस महामारी को देखते हुए अगले नोटिस तक देश में सभी खेल प्रतियोगिताओं को रद्द करने का फैसला किया है। कुश्ती की विश्व संस्था यूनाईटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्लूडब्लू) ने सभी एशियाई महासंघों को सूचित कर दिया है कि बिशकेक में इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा।

फुटबॉल दिल्ली सीनियर डिवीजन चैंपियनशिप रविवार से

नई दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा)।

गत चैंपियन गढ़वाल हीरोज एफसी सहित 18 क्लब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार से शुरू होने वाली फुटबॉल दिल्ली सीनियर डिवीजन चैंपियनशिप में शीर्ष सम्मान हासिल करने की कोशिश करेंगे। भाग लेने वाली टीमों को दो ग्रुप में विभाजित किया गया है जिसमें नौ-नौ टीमें हैं। गढ़वाल हीरोज अपने अभियान की शुरुआत रविवार को ग्रुप ए के मैच में सिटी एफसी के खिलाफ करेगी। तीस खिलाड़ियों की टीम सूची में चार विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं लेकिन एक मुकाबले में केवल तीन ही खेल सकते हैं।

'बल्लेबाजों ने हमारा काम आसान किया'

क्राइस्टचर्च, 29 फरवरी (भाषा)।

न्यूजीलैंड के मध्यम गति के गेंदबाज काइल जैमीसन को लगता है कि दूसरे टैस्ट के शुरुआती दिन भारतीय बल्लेबाजों के शॉट खेलने से उनका उद्देश्य पूरा हो गया। छह फुट आठ इंच लंबे जैमीसन ने अपने दूसरे ही टैस्ट में पहली बार पांच विकेट चटकाने का कारनामा किया।

जैमीसन ने कहा कि उन्होंने वेलिंगटन में जितने शॉट खेले थे, उससे ज्यादा इस बार इस पारी में खेले। मुझे लगता है कि पिच ने भी शायद ऐसा करने में उनकी मदद की। लेकिन मुझे लगता है कि इसी की वजह से हमें भी उन्हें आउट करने में मदद मिली। हेगले ओवल की पिच स्ट्रोक खेलने के लिए बेहतर है और इसलिए गेंदबाजों को सही लेंथ हासिल करने में थोड़ा समय लगा।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप जहां गेंद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वह सही जगह गई तो अच्छा है लेकिन अगर वह थोड़ी कम रह गई तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो सकती है।

उन्होंने अच्छे शॉट खेले। जैमीसन ने कहा कि जब हमने ओवरपिच गेंदबाजी की तो उन्होंने इसे दूर तक खेला और जब हम वाइड से चूके तो उन्होंने इसे भी दूर तक खेला इसलिए बात सिर्फ क्रीज पर बने रहने की थी और मुझे लगता है जहां तक एकजुट प्रयास की बात है तो हम इसमें सफल रहे और हमारे लिए दिन अच्छा रहा।

काइल जैमीसन ने कहा

उन्होंने वेलिंगटन में जितने शॉट खेले थे, उससे ज्यादा इस बार इस पारी में खेले। मुझे लगता है कि पिच ने भी शायद ऐसा करने में उनकी मदद की। लेकिन मुझे लगता है कि इसी की वजह से हमें भी उन्हें आउट करने में मदद मिली।

जैमीसन की गेंदबाजी से भारतीय टीम धराशायी

क्राइस्टचर्च, 29 फरवरी (भाषा)।

बल्लेबाजों के गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलने से भारत दूसरे और अंतिम टैस्ट की पहली पारी में 242 पर पर सिमट गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने जज्बा तो दिखाया लेकिन अपने शॉट को लेकर सतर्क नहीं रह पाए। आलम यह रहा कि कोई भी खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया।

दूसरे टैस्ट मैच की पहली पारी में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी

पांच विकेट लेने वाले काइल जैमीसन ने चाय के विश्राम के बाद भारतीय पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।

साव ने हमलावर तेवर अपनाकर 64 गेंदों पर 54 रन बनाए वहीं पुजारा (54) ने अपना चिर परिचित धैर्य दिखाया। हनुमा विहारी (55 रन) ने भी गेंदबाजों पर हावी होने की रणनीति अपनाई। लेकिन विहारी के चाय के विश्राम से ठीक पहले आउट होने के बाद भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।

काइल जैमीसन (पांच विकेट) ने चाय के विश्राम के बाद भारतीय पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने दूसरे टैस्ट मैच में ही पांच विकेट लेने का कारनामा दिखाया। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी की अच्छी शुरुआत की और स्टंप उखड़ने तक बिना किसी नुकसान के 63 रन बनाए। टॉम लैथम और टॉम ब्लंडेल को भारतीय तेज गेंदबाज खास परेशान नहीं कर पाए।

पिच दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहेगी। न्यूजीलैंड अगर इसका फायदा उठाता है तो फिर विराट कोहली और उनकी टीम पर दो मैचों की शृंखला 0-2 से गंवाने का खतरा गहरा जाएगा। घसियाली पिच पर तीन भारतीय बल्लेबाजों साव, विहारी और पुजारा ने दिखाया कि रन बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इन तीनों ने ढीले शॉट खेलकर अपने विकेट इनाम में भी दिए।

ऋषभ पंत (12) ने जीवनदान मिलने के बावजूद ढीला शॉट खेला और गेंद उनके विकेट को थर्रा गई। भारत एक समय चार विकेट पर 194 रन बनाकर 350 रन तक पहुंचने की स्थिति में दिख रहा था लेकिन इसके बाद उसने छह ओवर और 22 रन के अंदर पांच विकेट गंवा दिए।

पृथ्वी साव
64 गेंद 54 रन

हनुमा विहारी
70 गेंद 55 रन

चेतेश्वर पुजारा
140 गेंद 54 रन

टॉम ब्लंडेल

स्कोर बोर्ड : भारत बनाम न्यूजीलैंड

भारत पहली पारी : पृथ्वी साव का लैथम बो जैमीसन 54, मयंक अग्रवाल पगबाधा बो बोल्ट 07, चेतेश्वर पुजारा का वाटलिंग बो जैमीसन 54, विराट कोहली पगबाधा बो साउदी 03, अंजिक्य रहाणे का टेलर बो साउदी 07, हनुमा विहारी का वाटलिंग बो वैगनर 55, ऋषभ पंत बो जैमीसन 12, रविंद्र जडेजा का बोल्ट बो जैमीसन 09, उमेश यादव का वाटलिंग बो जैमीसन 00, मोहम्मद शमी बो बोल्ट 16, जसप्रीत बुमराह नाबाद 10 गेंदबाजी : साउदी 13-5-38-2, बोल्ट 17-2-89-2, ग्रैंडहोम 9-2-31-0, जैमीसन 14-3-45-5, वैगनर 10-2-29-1

न्यूजीलैंड पहली पारी : टॉम लैथम खेल रहे हैं 27, टॉम ब्लंडेल खेल रहे हैं 29 गेंदबाजी : बुमराह 7-1-19-0, उमेश 8-1-20-0, शमी 7-1-17-0, जडेजा 1-1-0-0

क्वितोवा और साबलेंका में होगा खिताबी मुकाबला

दोहा, 29 फरवरी (एएफपी)।

पेत्रो क्वितोवा ने तीन सेट तक चले संघर्षपूर्ण मैच में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एश्ले बार्टी को हराकर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया जहां उनका मुकाबला बेलारूस की आर्यना साबलेंका से होगा। दो बार की विंबलडन विजेता क्वितोवा ने बार्टी को 6-4, 2-6, 6-4 से हराया और अपने करिअर में 37वीं बार डब्लूटीए फाइनल में जगह बनाई। दोहा में वह दूसरी बार फाइनल में पहुंची हैं।

इससे पहले उन्होंने 2018 में खिताब जीता था। इससे पहले साबलेंका ने रूस की स्वेतलाना कुजनेत्सोवा को 6-4, 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।

आइपीएल के पहले हिस्से से बाहर हो सकते हैं ईशांत

क्राइस्टचर्च, 29 फरवरी (भाषा)।

ईशांत शर्मा के टखने की चोट के फिर से उभरने के चलते बीसीसीआइ को किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। चोट के चलते इस तेज गेंदबाज को आइपीएल के शुरुआती हिस्से से हटना पड़ सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के मुख्य फिजियो आशीष कौशिक भी सवालों के घेरे में आ गए हैं।

अगर इस तेज गेंदबाज को एनसीए में फिर से रिहैबिलिटेशन के लिए जाना पड़ेगा तो वह आइपीएल के शुरुआती हिस्से में नहीं खेल पाएंगे। ईशांत पहले टैस्ट से 72 घंटे पहले न्यूजीलैंड में भारतीय टीम से जुड़े थे और पांच विकेट चटकाने के लिए उन्होंने करीब 23 ओवर गेंदबाजी की। भारतीय टीम प्रबंधन उनके स्कैन के नतीजे पर चुप्पी साधे हुए है लेकिन बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार उनकी वही 'लिगामेंट' चोट फिर से उभर गई है जिसके लिए वह एनसीए में रिहैबिलिटेशन से गुजरे थे।

चोट के इस ताजा प्रकरण से बीसीसीआइ के अंदर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। बीसीसीआइ के एक अंदरूनी सूत्र ने सवाल किया, 'दिल्ली टीम के फिजियो ने ईशांत को स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर छह हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर कर दिया था क्योंकि इसमें ग्रेड 3 चोट थी। तो कौशिक और एनसीए टीम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि उनके प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए तीन हफ्ते का समय काफी है।

लक्ष्य शनिवार को खेलो इंडिया विवि खेलों के दौरान भारत की स्टार धावक दुती चंद।

मजूमदार के शतक से बंगाल संभला

रणजी ट्रॉफी

कोलकाता, 29 फरवरी (भाषा)।

अनुष्टप मजूमदार ने फिर से नाबाद शतकीय पारी खेलकर बंगाल को स्टार सुसज्जित कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमी फाइनल के शुरुआती दिन नौ विकेट पर 275 रन बनाने में मदद की।

शीर्ष क्रम चरमराने के बाद मजूमदार ने अकेले दम पर एक छोर संभाले रखा और अब तक 173 गेंद का सामना करते हुए 18 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 120 रन बना चुके हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी इसी तरह की अपने करिअर की सर्वश्रेष्ठ 157 रन की पारी खेली थी।

बंगाल को बल्लेबाजी का न्यौता मिला जो 13 साल के बाद फाइनल में पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पहले दिन घरेलू क्रिकेट में डीआरएस (अंपायर समीक्षा प्रणाली) से पहला विकेट भी गिरा। अभिमन्यु मिथुन (65 रन देकर तीन विकेट) ने पारी की 16वीं गेंद पर अभिषेक रमन (शून्य) का विकेट झटका। भारत के घरेलू सर्किट में पहली बार डीआरएस का इस्तेमाल दोनों रणजी सेमी फाइनल में किया जा रहा है हालांकि इसमें हॉकआई, स्निकोमीटर या अल्ट्राऐज नहीं होंगे। बंगाल का प्रदर्शन ओड़ीशा के खिलाफ मैच की तरह रहा जिसमें उन्होंने पांच विकेट पर 46 रन से शानदार वापसी की थी। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (15) और मनोज तिवारी (08) खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए।

275 रन बनाए बंगाल ने कर्नाटक के खिलाफ नौ विकेट गंवाकर

बल्लेबाजी के दौरान बंगाल के खिलाफ अनुष्टप मजूमदार और आकाश दीप।

जैक्सन ने सौराष्ट्र की पारी को संभाला : अनुभवी बल्लेबाज शेलडन जैक्सन की 69 रन की नाबाद पारी से राजकोट में खेले गए सेमी फाइनल में सौराष्ट्र ने गुजरात के खिलाफ पहले दिन 90 ओवर में पांच विकेट पर 217 रन बना लिए। गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल ने इस पांच दिवसीय मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। उनकी टीम शुरुआती ओवरों में इसका फायदा नहीं उठा सकी। हार्विक देसाई (35) और किशन परमार (37) ने सौराष्ट्र को अच्छी शुरुआत दिलाई।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 105, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com